लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 28 मार्च, 1987
= = = =

विषय संख्या: 1 पृष्ठ संख्या: 01

विषय: लखानऊ विकास प्राधिकरण की
बैठक दिनॉक 12 जनवरी, 1987 के
कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

x=x=x=x=x

लखानऊ विकास प्राधिकरण की

बैठक दिनॉक 12 जनवरी, 1987 के कार्यवृत्त

को पुष्टि हेतु संलग्न किया जा रहा है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 12 जनवरी, 1987 का

कार्यवृत्त

उपस्थिति :-

1-	श्री बृजेश कुमार	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2-	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग।
3-	श्री गोविन्दन नायर	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4-	श्री कुँवर फतेह बहादुर	संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग।
5-	श्री एन0 एस0 जौहरी	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6-	डा0 वी0एन0 खन्ना	सदस्य, विधान परिषद एवं सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
7-	श्री राम नगीना सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
8-	श्रीमती उमा त्रिपाठी	सदस्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

=x=x=x=x=x=x=x

बैठक की कार्यवाही से पूर्व उपस्थित सदस्यो ने अध्यक्ष महोदय को नव-वर्ष की बधाई दी तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यों को नर्व-वर्ष की शुभ कामनायें व्यक्त की गई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक दिसम्बर 11, 1986 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधनो के साथ की गई:

वि0सं0 : 33 — यह पंक्ति भी बढ़ा दी जाये कि समस्त निर्माण के सम्बन्ध में, चाहे वह छोटे भूखण्ड हों या बड़े भूखण्ड हो, का स्थल निरीक्षण किया जाये।

विषय संख्या: 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 में लिये गये निर्णयों का अनुपालन आख्या।

निर्णय: — निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक में अनुपालन आख्या अवश्य प्रस्तुत की जाये।

क्रमशः..2..

विषय संख्या : 3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय-व्यय का विवरण।

निर्णय : — प्राधिकरण की आय-व्यय की स्थिति पर विचार किया गया तथा दिनांक 31-12-1986 तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। यह भी आदेश दिया गया कि आय पक्ष में हायर परचेज़ की स्थिति, भवन /दूकानों का किराया, भवन चित्र तथा व्यवसायिक केन्द्रो से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाये। व्यय पक्ष में विकास कार्य तथा व्यवसायिक केन्द्रों की मदों पर ध्यान दिया जाये।

विचार विमर्श के दौरान यहबिन्दु भी उठाया गया कि दूकानों के आवंटन के सम्बन्ध में बेरोज़गार युवकों के लिये आरक्षण किया जाये और इसके साथ ही शासकीय सहकारी समिति, जैसे उपभोक्ता संस्था, पी0सी0डी0एफ0 तथा आवश्यक वस्तु निगम आदि के लिए व्यवसायिक केन्द्रों में कम दर पर दूकानें दी जायें।

विषय संख्या : 4 — भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में प्रगति आख्या ।

निर्णय: — भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श उपरान्त यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में अवशेष मानचित्रों की संख्या 200 से कमरखने हेतु प्रयास किया जाये तथा तीन माह से अधिक समय से लम्बित मानचित्रों की संख्या अवश्य कम कर दी जाये और इस प्रकार के मामलों की समीक्षा उपाध्यक्ष के स्तर पर समय-समय पर की जाये। यह भी निर्देश दिया गया कि मानचित्रों पर आपत्तियों की सूचना एक ही बार दी जाये और बार-बार आपत्तियां सूचित करने की प्रक्रिया बन्द कर दी जाये।

विषय संख्या: 5 — अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में प्रगति विवरण।

निर्णय: — यह देखा गया कि वर्ष 1986-87 में 494 भवन गिराओ आदेश पारित किये जा चुके हैं जिसके विपरीत केवल 92 निर्माण गिराये गये। पूर्व वर्षों की स्थित इससे भी अधिक दयनीय रही है। अत: निर्देश दिया जाता है कि आदेशों के परिपालन के सम्बन्ध में विशेष प्रयास किया जाये।

क्रमश:...3.....

विषय संख्या: 6 — अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यों का विवरण।

निर्णय: — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ज़िलाधिकारी स्तर पर लम्बित भूमि अर्जन प्रस्तावों की प्राथमिकता सूची बना दी जाये तथा उक्त सूची के अनुसार शासन को अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रयास किया जाये।

विषय संख्या : 7 — अभियन्त्रण एवं आवन्टन की प्रगति आख्या।

निर्णय: — अभियन्त्रण विभाग तथा सम्पत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची पर सन्तोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि उक्त सूची को संक्षिप्त कराकर, कागज़ की बचत करते हुए प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत किया जाये। विचार-विमर्श के दौरान यह भी आदेश दिये गये कि अनावन्टित भवनों तथा भूखण्डों को आवंटित करने की शीघ्र कार्यवाही की जाये तथा विकसित क्षेत्रों में निबन्धन तथा अनुबन्ध के लिये भी शीघ्र समुचित कार्यवाही की जाये। विकास कार्यों के सम्बन्ध प्रस्तुत की गई समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा समय समय पर इसकी समीक्षा उपाध्यक्ष के स्तर पर भी सुनिश्चित की जाये।

विषय संख्या: 8 — प्रताप गृह-निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय: — विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासन की स्पष्ट नीतियों के अनुरूप समस्त गृह निर्माण समितियों के मामले निस्तारित किये जायें। इस हेतु एक उप-समिति गठित की गई जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा डा० वी० एन० खन्ना सदस्य होंगें। उक्त समिति एक सप्ताह के अन्दर समस्त सहकारी गृह निर्माण समितियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार करके निस्तारण की कार्यवाही करेगी।

विषय संख्या : 9 — जनपथ मार्केट की एप्रोच रोड के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जनपथ मार्केट के लिए हज़रतगंज की ओर से समुचित एप्रोच उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित योजना के गुणावगुण पर पुन:परीक्षण किया जाये और यदि उचित समझा जाये तो शासन को पुन:प्रेषित किया जाये। योजना से विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु समुचित व्यवस्था भी कर ली जाये।

क्रमश :.....4

विषय संख्या : 10 — पट्टों के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में

निर्णय : — समयाभाव के कारण विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 11 — भूखण्ड संख्या : बी-10, एच रोड, महानगर विस्तार योजना के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि अतिरिक्त ज़िलाधिकारी द्वारा भूखण्ड की दरें "रू0 12/- प्रति वर्गफुट के आसपास" सूचित किया गया है, अत: विक्रय मूल्य रूपया 11.10 पैसा प्रति वर्गफुट के हिसाब से मूल्यांकन किया जाये।

विषय संख्या : 12 — ला-प्लास योजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर विचार।

निर्णय : — इस विषय पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ला-प्लास योजना के जल-भराव की समस्या के सम्बन्ध में किसी विशेषज्ञ से रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये तथा निर्णयार्थ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। इस सम्बन्ध में डा0 वी0 एन0 खन्ना द्वारा आपत्ति उठाई गई कि कदाचित इस विषय में बहुखण्डी योजना तैयार करते समय परीक्षण कर लिया गया होगा, अत: इस मामले में पुन: परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

विषय संख्या: 13 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में अर्जन विभाग मे अमीनों एवं पेनकारों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्ण औचित्य के साथ विषय आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

हस्ताक्षर /---

§ गोविन्दन नायर §
उपाध्यक्ष

अनुमोदित
हस्ताक्षर /----

§ बृजेश कुमार §
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

क्रम संख्या	विषय	लिये गये निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
1-वि0स0:5	गोमती नगर योजना में होटल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	इन्डियन होटल ग्रुप को 5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना में 5 सितारा होटल हेतु उपलब्ध करा दी जाये । इसके अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि की जो माँग की गई है, उसके लिये टर्मस ऐण्ड कन्डीशन्स बनाकर पहले प्राधिकरण से अनुमोदित करा ली जायें ।	लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है । कार्यवाही प्रगति पर है । मे0 इन्डियन होटल ग्रुप्स को 25% धनराशि जमा करने हेतु 28-2-1987 तक की समयवृद्धि प्रदान की गई है । टर्मस ऐण्ड कन्डीशन्स को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
2- वि0स0:6	विभिन्न व्यक्तियों को अर्जित भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	जिन व्यक्तियों की भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जाती है उन्हे विकसित भूमि नियमानुसार प्रीमियम एवं ब्याज की गणना करके प्रदान की जाये ।	लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन किया जा रहा है । जैसे-जैसे इस प्रकार के मामले प्राप्त हो रहे हैं उन्हे इसी आधार पर निस्तारित किया जा रहा है ।
3- वि0स0:7	श्री गोपाल शर्मा, क्रिकेट खिलाड़ी को रियायती दर पर भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।	श्री शर्मा को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स बनाये जाने के भी निर्देश दिये गये ।	अनुपालन किया गया । श्री शर्मा को सूचना भेज दी गई है तथा गाइड-लाइन्स बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।
4- वि0स0:8	श्री जीवेन्द्र नाथ कौल को भूखण्ड आवन्टन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव के अनुरूप भूमि आवन्टित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	पक्षा को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है । अन्य कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ।

क्रमशः:——

1	2	3	4
5	वि0स0:9	दिनॉक 14-8-86 को परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया	प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रगति पर है ।
6	वि0स0:10	स्व0श्री प्रभु दयाल सेवानिवृत्त सुपरवाइजर को हेडमाली के पद में प्रत्यावर्तित करने के सम्बन्धा में ।	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।	कार्यवाही प्रगति पर है ।
7	वि0स0:11	कास्टिंग विभाग में पदों की स्वीकृति के सम्बन्धा में ।	प्रस्तावित अर्हताओं के साथ पदों की स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
8	वि0स0:12	चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों के सृजन के सम्बन्धा में ।	पदों के सृजन हेतु संस्तुति की गई एवं संस्तुतियां शासन को भेजने हेतु निर्देश दिये गये ।	शासन को निर्णयानुसार संस्तुतियां प्रेषित कर दी गई है ।
9	वि0स0:13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल भत्ते में वृद्धि के सम्बन्धा में ।	साइकिल भत्ता रू0 20/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 40/- प्रतिमाह किया गया ।	निर्णय के अनुपालन में चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों को रू0 40/- प्रतिमास साइकिल भत्ता दिया जा रहा है ।
10	वि0स0:14	स्टेटिसटिकल सेल की स्थापना के सम्बन्धा में ।	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग से अभ्यर्थी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।	निर्णय के अनुपालन में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक को पत्र भेज दिया गया है ।
11	वि0स0:15	मलिन बस्ती निपातन सेल हेतु नियुक्ति में शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्धा में ।	शैक्षिक योग्यता में शिथिलता दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	निर्णयानुसार अनुपालन किया गया ।

क्रमश:-----

1	2	3	4
12	वि0स0:16 कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना के सम्बन्ध में ।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई ।	कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ।
13	वि0स0:17 पार्कों के रख-रखाव के सम्बन्ध में ।	पार्कों का रख-रखाव अन्य संस्थाओं व्दारा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है । टर्मस एवं कन्डीशन्स तैयार कर ली गई है ।
14	वि0स0:18 वार्षिक लेखा एवं बैलेन्स शीट 83-84 का सम्परीक्षण ।	एकाउन्टेन्ट जनरल की स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
15	वि0स0:19 उद्व्यान विभाग हेतु एक ट्रैक्टर क्रय हेतु ।	क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई एवं बड़ी खरीद के मामलों में निविदा समिति का सदस्य सचिव को रखे जाने का निर्देश दिया गया ।	ट्रैक्टर खरीद की कार्यवाही की जा रही है । भविष्य में बड़ी खरीद के मामलों में सचिव भी निविदा समिति के सदस्य रहेंगे ।
16:	वि0स0:20 उ0प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-56 (1) के अधीन दस्तावेजों एवं मानचित्रों के निरीक्षण के सम्बन्ध में ।	बनाई गई नियमावली में आवश्यक संशोधन करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया तथा संस्तुतियाँ शासन को भेजने हेतु निर्देश दिये गये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
17:	वि0स0:21 यू0पी0एस0ई0बी0 के चेयरमैन या प्रतिनिधि को बैठक में बुलाये जाने के सम्बन्ध में ।	स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	बिजली से सम्बन्धित कोई मामला प्राधिकरण के विचाराधीन होने पर स्पेशल इनवाइटी के रूप में, निर्णयानुसार बुलाया जावेगा ।

क्रमशः----

1	2	3	4
18	वि0स0:22	यू0पी0अर्बन डेवलपमेन्ट एवं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ऋण प्राप्त प्राप्त करने एवं विकास कार्यों के सम्बन्धा में ।	ऋण प्राप्त करने एवं विकास कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है ।
19	वि0स0:23	अलीगंज योजना में टॅक्सीवर निर्माण के सम्बन्धा में ।	कनसल्टेन्ट नियुक्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है श्री वी0एस0चौहान को कनसलटैन्ट नियुक्त कर लिया गया है । अभी उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।
20	वि0स0:24	गोमती नदी तथा गोमती नगर के बीच क्षेत्र का जोनल प्लान तथा विकास हेतु स्वीकृति ।	प्रस्तावित प्रस्ताव सिध्दान्त रूप में स्वीकार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि जो स्थान ग्रीनबेल्ट के रूप में छोड़ा जाना है उसे सेन्ट्रल पार्क का रूप देकर छोड़ा जाये । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि डिटेल्ड वर्किंग करके इसे अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 से अनुमोदित करा लिया जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
21	वि0स0:25	विकसित आवासीय कालोनियों के भवनों में दुकाने चलाने की अनुमति ।	निर्णय लिया गया कि प्रयोगात्मक रूप से अलीगंज योजना के दो-तीन सेक्टरों में योजना प्रारम्भ करके देखा जाये । सफल होने पर आगे कार्यवाही की जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
22.	वि0स0:26	इन्द्रलोक कालोनी, कानपुर रोड की स्वीकृति के सम्बन्धा में ।	भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने एवं अन्य प्रस्तावित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है ।

क्रमशः-----

1	2	3	4
23	वि0स0:27	90 वर्षों की लीज़ पर ली जाने वाली भूमि पर प्रीपेड लीज़रेन्ट के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या:6795/II-5-80-नि0/86 दिनांक 23 अक्तूबर, 1986 के अनुपालन में कार्यवाही की जाये ।	अनुपालन किया जा रहा है । शासनादेश के अनुसार ही लीज़रेन्ट अब जमा कराया जा रहा है ।
24	वि0स0:28	सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, 10-मालएवन्यू के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तावित प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया । यह भी निर्देश दिये गये कि पार्किंग एवं एफ0ए0आर0के सम्बन्ध में उचित प्रतिबन्ध लगाकर शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाये ।	कार्यवाही प्रगति पर है । इसी क्रम में महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड को पत्र भेजा गया है ।
25	वि0स0:29	लखनऊ महानगरी के विकास हेतु प्रस्तावित जनसंख्या, भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 में सम्बन्धित उपविधियाँ ।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को विधिक परीक्षण कराये जाने हेतु सूचना प्रेषित की जाये ।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है ।
26	वि0स0:30	रायबरेली रोड पर भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर यथा-प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
27	वि0स0:31	आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रचलित सेट बैक में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।	संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को संस्तुतियों सहित शासन को प्रेषित किया जाये ।	संख्या: 1633/एन0एन0बी/87, दिनांक 18-2-87 द्वारा शासन को पत्र भेज दिया गया है ।
28	वि0स0:32	वर्तमान विकसित व निर्मित क्षेत्रों एवं विकसित हो रहे अविकसित क्षेत्रों में भू-उपयोग हेतु जोनिंग रेगुलेशन ।	प्रस्तुत प्रस्ताव को विधिक परीक्षण हेतु शासन को भेजा जाये ।	अनुपालन में पत्र संख्या:1654/एन0एन0बी0/87 द्वारा परीक्षण हेतु शासन को भेज दिया गया है ।

क्रमशः:-------

1	2	3	4
29	वि0स0:33	भवन विभाग में मानचित्रों के सरलीकरण के सम्बन्ध में ।	सरलीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपने स्तर से भी निरीक्षण कराता रहेगा ।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।
30	वि0स0:34	छोटे छोटे नजूल भूखण्डों पर प्लाट होल्डर्स द्वारा स्वयं भूखण्डों के विकसित करने की योजना ।	निर्णय लिया गया कि 25% के बजाये 33-1/2% भूखण्ड सोशल सविलेज के लिये आरक्षित रहेंगे । इन भूखण्डों पर एल0आई0जी0 एवं ई0डब्लू0एस0 के भवन बनाये जायेंगे । साथ ही आच्छादित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये ।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है ।
31	वि0स0:35	श्री प्रकाश नारायण सेठ 19-विधान सभा मार्ग के भूखण्ड बी-3 के भू-उप0 के सम्बन्ध में ।	शासनादेश के अनुसार 50% मूल्य जमा करा लिया जाये । एफ0ए0आर0 एवं ग्राउन्ड कवरेज का परीक्षण उपाध्यक्ष द्वारा करके पुनः शासन को भेजा जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । पत्र संख्या: 1644/एन0एन0वी0/87, दिनांक 21-2-87 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है ।
32	वि0स0:36	प्राधिकरण के अभिलेखों के सम्बन्ध में वीडिंग रूल्स के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	वीडिंग रूल्स के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।	संस्तुतियों सहित शासन के अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है ।
33	वि0स0:37	भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करने व अप्रील करने हेतु शुल्क की दरों का पुनरीक्षण ।	दरों में पुनरीक्षण का प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।	निर्णयानुसार नई दरें दिनांक 1-1-1987 से लागू कर दी गई है ।
34	वि0स0:38	उ0प्र0नगर योजना और विकास अधि0, 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन ।	धारा-32 के अन्तर्गत प्रतिनिधानित शक्तियों को किसी अन्य को प्रतिनिधानित करने की शक्ति उपाध्यक्ष को प्रदान की जाती है ।	निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है ।

क्रमशः——

1	2	3	4
35	वि0स0:39	बजट 1986-87 के विरूद्ध 30-11-86 तक अनन्तिम आय-व्यय की स्थिति ।	आय-व्यय की स्थिति पर सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार कार्यवाही की जाती रहे ।	भविष्य में भी इसी प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जारही है ।
36	वि0स0:40	जनसम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	सँस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये ।	प्रस्ताव को शासन को प्रेषित कर दिया गया है ।
37	वि0स0:41	प्रताप सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि के सम्बन्ध में ।	समयाभाव के कारण विचार नहीं हुआ ।	आगामी बैठक 12 जनवरी, 87 में विषय पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है ।
38	वि0स0:42	कानपुर रोड योजना के ड्रेनेज एवं सीवरेज हेतु कनसलटेन्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	कनसलटेन्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	अनुपालन में कनसलटेन्ट श्री वी0एस0चौहान को इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है ।
39	वि0स0:43	आ0इ0दि0 से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों हेतु साइट ऐण्ड सर्विसेज के विकास हेतु हडको से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में ।	हडको से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है ।
40	वि0स0:44	ल0वि0प्रा0शासन उप-विधि 1986 के सम्बन्ध में ।	एक उप-समिति गठित की गई जिसके अनुमोदन के पश्चात शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये ।	उप-समिति द्वारा विषय पुर विचार किया जा रहा है । कार्यवाही प्रगति पर है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987
में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

क्रम संख्या	वि0स0	विषय	लिये गये निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
1	2		3	4
1	वि0स0:8	प्रताप गृह निर्माण समिति की भूमि अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	इस सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु एक उप-समिति गठित की गई ।	निर्णयानुसार उपसमिति की दो बैठकें हो चुकी हैं । कार्यवाही प्रगति पर है ।
2	वि0स0:9	जनपथ मार्केट की एप्रोच रोड के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रेषित योजना के गुणावगुण पर पुनः परीक्षण किया जाये । विस्थापितों को पुर्नवासित करने के भी निर्देश दिये गये ।	निर्णयानुसार कार्यान्वयन किया जा रहा है ।
3	वि0स0:10	पट्टों के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	समयाभाव के कारण विषय स्थगित किया गया ।	
4	वि0स0:11	भूखण्ड संख्या:बी-10, एचे रोड, महानगर विस्तार योजना के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि विक्रय मूल्य रू0 11.10 पैसा प्रति वर्गफुट के हिसाब से मूल्यांकन किया जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः----

1	2	3	4
5	वि0स0:12	ला-प्लास योजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर विचार ।	निर्णय लिया गया कि जल भराव की समस्या के समबन्ध में किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये ।	अनुपालन में श्री राम नगीना सिंह, विशेषज्ञ एवं सदस्य लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है एवं माननीय सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र भी प्रेषित किये गये है । कुछ सदस्यों की सहमतियां प्राप्त भी हो गई है ।
6	वि0स0:13	अर्जुन विभाग में अभियों एवं चेनमैनों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि पूर्ण औचित्य के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	

विषय संख्या: 4 पृष्ठ संख्या: 14

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण का
मूल आय-व्ययक 1987-88

======

लखनऊ विकास प्राधिकरण का

मूल आय व्ययक 1977-88 अलग से कार्य-सूची के

साथ संलग्न किया जा रहा है ।

==========

विषाय सँख्या: 5 पृष्ठ सँख्या: 15

विषाय: श्री यद्धुनाथ सिँह की भूमि के बदले विकसित भूखाण्ड उपलब्धा कराये जाने के सम्बन्धा में ।

महानगर आबादी में भूखाण्ड सँख्या: 539, 541 एवँ 542 के मालिक श्री यद्धुनाथ सिँह थे । उक्त भूखाण्ड नगर महापालिका व्दारा बिना अर्जित किये, महानगर आवासीय योजना के ले-आउट में सम्मिलित करके भूखाण्ड सँख्या: बी-159 श्रीमती सुभाद्रा देवी को आवन्टित कर दिया गया । लगभग 12 वर्षा तक मुकदमा चलने के बाद पँचम अतिरिक्त मुन्सिफ़, लखानऊ ने यह निर्णय दिया है कि श्री सुभाद्रा देवी का बना बनाया मकान ध्वस्त करके श्री यद्धु नाथ सिँह अपनी भूमि भूमि का क़ब्ज़ा ले सकते हैं, लेकिन यह सम्भाव नहीं है क्योकिँ उक्त भावन को गिराकर द्वसरा भावन देने में प्राधिकरण को काफ़ी वित्तीय हानि होगी। अतएव श्री यद्धुनाथ सिँह को एक भूखाण्ड सँख्या: ए-3/178 विशाल खाण्ड आवन्टित किया गया है । चूकिँ श्री सिँह अनायास ही कठिनाई का शिकार रहे हैं और न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने में प्राधिकरण को अधिक आर्थिक क्षाति सम्भावित है । अतएव उपरोक्त परिस्थितियों में मानवीय आधाार पर श्री यद्धुनाथ सिँह को निम्नाकिँत सुविधा प्रदान किये जाने की सँस्तुति की जाती है :

1- भूखाण्ड के निबन्धान आदि में जो भी व्यय आदि आये वह लखानऊ विकास प्राधिकरण स्वयँ वहन करें ।

2- भूखाण्ड का निबन्धान फ्री-होल्ड भूखाण्ड के रूप में करना उचित होगा, श्री सिँह इस बात के लिये तैयार हैं कि लीज़ राइट लखानऊ विकास प्राधिकरण की बनी रहे तथा लीज़रेन्ट के रूप में उनसे टोकेन लीज़रेन्ट ले लिया जाये । अत: प्रस्तावित है कि श्री सिँह को उक्त भूखाण्ड रूपया 1/- टोकेन लीज़रेन्ट पर दे दिया जाये ।

कृपया प्राधिकरण इस सम्बन्धा में निर्णय देने की कृपा करें ।

विषाय: अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/ कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

==========

उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक यदि किसी भी क्षेत्र (खेल/कला) में सर्वोत्तम राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है तो उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक आवासीय भूखण्ड आधी दर पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सैय्यद मोदी (बैडमिन्टन) तथा श्री गोपाल शर्मा (क्रिकेट) को आधी दर पर आवासीय भूखण्ड देने का निर्णय लिया गया था ।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रार्थनापत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनके निस्तारण के लिये एक नीति निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता है । अत: निम्नांकित प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है :-

<u>चयन समिति:</u>

ऐसे प्रार्थनापत्रों पर निर्णय लेने हेतु एक चयन समिति का गठन जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के दो गैर सरकारी सदस्य, सदस्य होंगे ।

उक्त चयन समिति द्वारा प्रार्थनापत्रों पर निर्णय लेने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं: केवल वे ही व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे :-

(1) जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल एवं कला में एक कीर्तिमान स्थापित किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो ।

(2) खेल जगत में इक्सप्लोरेशन (अन्वेषाण/खोज) एवं साहित्यिक कार्य भी सम्मिलित होंगे ।

(3) कला का तात्पर्य सँगीत, नृत्य एवं चित्रकला, शिल्प कला एवं वैज्ञानिक अनुसँधान आदि से होगा ।

(4) इस योजना में आवन्टित भूखण्डों का मूल्य पाँच वर्षों में देय होगा ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति की इस योजना में पात्रता नहीं होगी जिसके पास पहले से ही लखनऊ में कोई भवन/भूखण्ड हो अथवा किसी अन्य नगर में उसे ऐसी ही किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन भूखण्ड आदि रियायती दर पर पूर्व में आवन्टित किया जा चुका हो ।

(6) चयन समिति इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों पर विचार करने के साथ-साथ स्वत: अपने स्तर से भी तद्नुसार कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगी ।

अत: उपरोक्त प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय:- कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (फेज-3) पार्ट-2 के अन्तर्गत हडको से भूमि अर्जन हेतु रू० 383.69 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में

सारांश:- उपरोक्त योजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति हेतु धारा 17 के परिवधानों सहित धारा 4 व 6 की विज्ञप्ति सं०-1303/11-5-84-5 एल ए/84 दिनांक 17.12.84 तथा 1378/11-5-84-5 एल ए-84 दिनांक 17.12.84 द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है ।

हडको ने कुछ समय पूर्व एक योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत हडको द्वारा भूमि अध्याप्ति हेतु 15% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। और यदि कुल भूमि अध्याप्ति की लागत का 50% तक ऋण हडको से लिया जायेगा तो वे इस ऋण का 12.25% की ब्याज की दर से देंगें। और समय से भुगतान करने पर 1/4% की छूट मिलेगी। इस प्रकार कुल 12% ब्याज देय होगा। चूंकि इस वित्तीय वर्ष में हडको द्वारा 12% ब्याज परसीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में ऋण दिया जा चुका है। अत: इस योजना में 15% ब्याज पर ऋण लिया जायेगा।

यहां पर यहभी उल्लेखनीय है कि प्रतिफल का भुगतान न करने से अब संशोधित अधिनियम में एक वर्ष से अधिक समय के बाद कुल लागत पर 15% अधिक ब्याज हितबद्ध व्यक्ति को देना होगा । इस प्रकार प्राधिकरण को हडको से 15% ब्याज पर ऋण लेने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी ।

उपरोक्त परिस्थितियों में उपरोक्त योजना हेतु रू० 383.69 लाख का ऋण प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव हडको को प्रेषित किये जा चुके हैं । कृपया हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु अधिपत्रिक स्वीकृति से सम्बन्धित विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । साथ ही साथ ऐग्रीमेन्ट पर कामनसील व ऐग्रीमेन्ट इक्ज़ीक्युट करने हेतु सचिव को अधिकृत करने पर विचार ।

विषय:- कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (फेज-II) पार्ट -I के अन्तर्गत हडको से भूमि अर्जन हेतु रु० 183.80 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

सारांश:- उपरोक्त योजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति हेतु धारा 17 के प्राविधानों सहित धारा 4 व 6 की विज्ञप्ति सं०-4839/37-2-15 एल.ए.-76 दिनांक 23.8.76 तथा 6468 /37-2-15 एल.ए.-76 दिनांक 20.11.76 द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है। व इसका एवार्ड भी घोषित किया जा चुका है ।

हडको ने कुछ समय पूर्व एक योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत हडको द्वारा भूमि अध्याप्ति हेतु 15% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। और यदि कुल भूमि अध्याप्ति की लागत का 50% तक ऋण हडको से लिया जायेगा। तो वे इस ऋण का 12.25 % की ब्याज की दर से देगें । और समय से भुगतान करने पर 1/4% की छूट मिलेगी। इस प्रकार कुल 12% ब्याज देय होगा। चूंकि इस वित्तीय वर्ष में हडको द्वारा 12% ब्याज पर सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में ऋण दिया जा चुका है। अत: इस योजना में 15% ब्याज पर लिया जायेगा ।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिकर का भुगतान न करने से अब संशोधित अधिनियम में एक वर्ष से अधिक समय के बाद कुल लागत पर 15% अधिक ब्याज हितबद्ध व्यक्ति को देना होगा । इस प्रकार प्राधिकरण को हडको से 15% ब्याज पर ऋण लेने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी ।

उपरोक्त परिस्थितियों में उपरोक्त योजना हेतु रु० 183.80 लाख का ऋण प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव हडको को प्रेषित किये जा चुके हैं।

कृपया हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु औपचारिक स्वीकृति से सम्बन्धित विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । साथ ही साथ ऐग्रीमेन्ट पर कामनसील व ऐग्रीमेन्ट इक्जीक्युट करने हेतु सचिव को अधिकृत करने पर विचार ।

विषय:- उजरियांव आवासीय योजना (फेज-II) पार्ट-I के अन्तर्गत हडको से भूमि अर्जन हेतु रु0 490.00 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

सारांश: उपरोक्त योजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति हेतु धारा 17 के प्रावधानों सहित धारा 4 व 6 की विज्ञप्ति सं0-817/37-2-82-74 एल0ए0-82 दिनांक 19.1.83 तथा 338/37-2-83-74 एल0ए0-82 दिनांक: 28.1.83 द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है व इसका एवार्ड भी घोषित किया जा चुका है ।

हडको ने कुछ समय पूर्व एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत हडको द्वारा भूमि अध्याप्ति हेतु 15% ब्याज पर ऋण दिया जाता है, और यदि कुल भूमि अध्याप्ति की लागत का 50% तक ऋण हडको से लिया जायेगा तो वे इस ऋण का 12.25% की ब्याज की दर से देंगे और समय से भुगतान करने पर 1/4% की छूट मिलेगी। इस प्रकार कुल 12% ब्याज देय होगा। चूंकि इस वित्तीय वर्ष में हडको द्वारा 12% ब्याज पर सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में ऋण दिया जा चुका है। अत: इस योजना में 15% ब्याज पर ऋण लिया जायेगा ।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिकर का भुगतान न करने से अब संशोधित अधिनियम में एक वर्ष से अधिक समय के बाद कुल लागत पर 15% अधिक ब्याज हितबद्ध व्यक्ति को देना होगा। इस प्रकार प्राधिकरण को हडको से 15% ब्याज पर ऋण लेने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी।

उपरोक्त परिस्थितियों में उपरोक्त योजना हेतु रु0 490.00 लाख का ऋण प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव हडको को प्रेषित किये जा चुके है। कृपया हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्धित विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। साथ ही ऐग्रीमेन्ट पर कामनसील व ऐग्रीमेन्ट इक्ज़ीक्युट करने हेतु सचिव को अधिकृत करने पर विचार ।

विषाय: लखानऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित की गई भूमि में ग्रीन-बेल्ट का उपयोग तथा ऐसी भूमि का उपयोग जिसपर योजना पूर्ण रूप से लागू होने में कुछ समय लगने की सम्भावना रहती है ।

==========

लखानऊ नगर का विस्तार बहुत तीव्र गति से चारों दिशाओं में हो रहा है । नगर के सुनियोजित विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है । सुनियोजित विकास के लिये भूमि अर्जित किया जाना आवश्यक है ताकि अनियोजित विस्तार सम्भाव न हो पाये । पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा काफ़ी भूमि अर्जित की गई थी जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य-कलाप प्रारम्भ किये गये । भाविष्य में भी नगर के सुनियोजित एवँ सुव्यवस्थित विकास के लिये भूमि का अर्जित किया जाना आवश्यक है । ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जित भूमि का क़ब्ज़ा भू-धारकों से प्राप्त करने में भाविष्य में अधिक कठिनाई होगी, इसलिये शीघ्र ही अर्जित भूमि का क़ब्ज़ा विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाना होगा ।

इस प्रकार की भूमि जिसका क़ब्ज़ा विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जा चुका है और जिसमें विकास कार्य भाविष्य में ही कराया जाना है, इन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा इनसे आय प्राप्त करने हेतु निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ रक्खा जा रहा है:-

यह देखा गया है कि व्यवसायिक वानिकी (COMMERCIAL TREE P PLANTATION) उद्दयान (HORTICULTURE) से खाली पड़ी हुई भूमि में करने पर पर्याप्त आय प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार के कार्यक्रम से न केवल अर्जित भूमि अनियोजित विकास से सुरक्षित रहेगी बल्कि विकास-प्राधिकरण को आर्थिक लाभ भी हो सकता है । इसके साथ ही साथ नगर के पर्यावरण की दृष्टि से भी यह कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी होगा । यह प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की योजनाओं की हरित पट्टियों में भी लागू किया जा सकता है । भूमि की स्थिति के अनुसार अलग-अलग वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है । विभिन्न व्यवसायिक वृक्षारोपण हेतु समय निम्न प्रकार निर्धारित होगा :-

(1)	युकलिप्टस	सात वर्ष
(2)	बाँस/बल्ली	तीन वर्ष
(3)	गुलाब एवँ अन्य फूल	एक वर्ष

योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित है कि निम्न स्थानों पर उपरोक्त कार्यक्रम चलाया जाये :-

(1)	सीतापुर रोड एवँ कुर्सी रोड के मध्य	100 एकड़
(2)	हरदोई रोड	100 एकड़
(3)	बिजनौर रोड	100 एकड़
(4)	विपिन्न खण्ड, गोमती नगर योजना	20 एकड़
(5)	बड़े इमामबाड़े के निकट	10 एकड़

क्रमशः:-----

विदित हुआ है कि इस कार्य के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न एजेन्सियाँ ईच्छुक हैं । इनके माध्यम से वृक्षारोपण एवँ पौधों का रख-रखाव कराया जाना प्रस्तावित है । इस सम्बन्ध में शर्तें एवँ नियम प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ रक्खी जायेगी ।

एजेन्सियों/संस्थाओं का चयन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर तथा प्राधिकरण द्वारा गठित उप-समिति के माध्यम से किया जायेगा ।

उपरोक्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण का सैध्दान्तिक अनुमोदन अपेक्षित है ।

==========

विषय: श्री विलायती राम गुप्ता को मोतीझील योजना के अन्तर्गत आवन्टित भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तित करके क़ब्ज़ा देने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=

श्री विलायती राम गुप्ता बक्शीरतगंज स्कीम में स्थित राधारानी पोरशन के ले-आउट के भूखण्ड संख्या-1 जिसका क्षेत्रफल 3503 वर्गफिट है, पर श्री बृज लाल मित्तल के किरायेदार थे । श्री गुप्ता इस हेतु श्री बृजलाल मित्तल को रू0 100/- प्रतिमाह किराया अदा करते थे । उक्त भूमि पर श्री गुप्ता व्दारा सन् 1959 में कारखाना स्थापित किया गया था जबकि उक्त भूमि के अर्जन का नोटीफिकेशन करके प्रतिकर आदि पहले ही भू-स्वामी को भुगतान किया जा चुका था । उक्त स्थल को खाली कराने तथा श्री गुप्ता का कारखाना प्रतिस्थापित कराने हेतु एक भूखण्ड संख्या- 153 जिसका क्षेत्रफल 36000 वर्गफिट है, इन्डस्ट्रियल एरिया, ऐशबाग़ योजना में से कार्यकारिणी समिति, नगर महापालिका, लखनऊ के प्रस्ताव संख्या-752 दिनांक 7-1-63 व्दारा 22000 वर्गफिट इस शर्त पर आवन्टित किया कि श्री गुप्ता व्दारा उक्त भूखण्ड पर कारखाना स्थापित करके अर्जित भूमि का क़ब्ज़ा एक साल के अन्दर दे देंगे । तत्पश्चात श्री गुप्ता के प्रार्थनापत्र पर विचार करके कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं0-257 दिनांक 17-7-64 व्दारा 14,000 वर्गफिट भूमि और आवन्टित कर दी गई जिसके प्रीमियम की धनराशि श्री गुप्ता व्दारा बिना किसी सूचना के चेक जमा करा दिया जो अभी तक कैश नहीं कराया गया है । उक्त मामले को सुलझाने हेतु तत्कालीन सचिव, लखनऊ-विकास प्राधिकरण व्दारा दिनांक 9-12-76 तथा 10-12-76 को श्री गुप्ता को बुलाया गया था लेकिन इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इनको आवन्टन के पश्चात लखनऊ मास्टर-प्लान की जब विज्ञप्ति हुई तो आवन्टित क्षेत्र आवासीय हो जाने के कारण वहाँ कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता है ।

यह विषय पुन: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 में रक्खा गया था जिसमें एल0आर0 से राय माँगने हेतु निर्देश दिया गया था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है जो भूमि आवन्टित की गई थी उसपर अब मास्टर प्लान में आवासीय होने के कारण कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता है । अत: उक्त भूखण्ड जिसके निबन्धन आदि की कार्यवाही नहीं हुई है, का आवन्टन निरस्त करते हुए बक्शीरतगंज स्कीम में जहाँ कारखाना स्थापित है, को आवन्टित कर दिया जाये । इसके प्रीमियम की दर भी निर्धारित किया जाना उचित होगा ।

चूंकि आवासीय उपयोग जोन में औद्योगिक उपयोग का मोरेटोरियम पीरियड, जो केवल पाँच वर्ष है, 7 फरवरी, 1975 को समाप्त हो चुका है, अत: उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973

क्रमश: ----

की धारा- 16 के परन्तुक अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960 के निदेश संख्या: 12 (बी) के उपबन्ध निष्प्रभावी हो गये हैं। लखनऊ महायोजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसमें बक्शीरतगंज स्कीम के उस भूखण्ड को, जिसमें श्री विलायतीराम गुप्ता का कारखाना स्थापित है, औद्योगिक उपयोग के लिये आरक्षित करने के आदेश प्रदान कर दिये जायें और मध्यवर्ती अवधि के लिये वर्तमान महायोजना में इस सीमा तक संशोधन करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाये कि बक्शीरतगंज के उस भूखण्ड को, जहाँ श्री विलायती राम गुप्ता का कारखाना वर्ष 1959 से स्थापित है, औद्योगिक उपयोग हेतु आरक्षित कर दिया जाये।

विषय संख्या: 12 पृष्ठ संख्या: 24

विषय: लखानऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स(पी0बी0एक्स0)को अन्य विभागों की भांति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में ।

xxxxxxxxxxx

लखानऊ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों को समुचित टेलीफोन उपलब्धता कराये जाने के उद्देश्य से पी0बी0एक्स इक्सचेन्ज की स्थापना वर्ष 1984 में की गई जिससे टेलीफोन पर व्यय में काफ़ी कमी दृष्टिगोचर हुई है तथा सार्थक परिणाम सामने आये हैं । साधारण पी0बी0एक्स की सफ़लता को देखते हुए प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रानिक पी0बी0एक्स इक्सचेन्ज स्थापित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और निकट भविष्य में यथा-शीघ्र ही इलेक्ट्रानिक पी0बी0एक्स इक्सचेन्ज स्थापित होने जा रहा है ।

उक्त इक्सचेन्ज में कार्यरत सभी कर्मचारी आपरेटर पद् हेतु निर्धारित प्रशिक्षण भी प्राप्त किये हुए हैं । उक्त आपरेटर्स के पदों के वेतनमान का निर्धारण लिपिक पद् के समकक्ष ही प्रारम्भ में कर दिया गया था क्योंकि यह नया पद् प्राधिकरण में सृजित किया गया था और प्राधिकरण केन्द्रियत सेवा नियमावली में भी अभी इस पद् का समायोजन नहीं किया गया है ।

इस सम्बन्ध में लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यालयों से टेलीफोन आपरेटर्स के वेतनमान ज्ञात किये गये जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1-	उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन	रू0 515-860
2-	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम	रू0 490-760
3-	उ0प्र0स्टेट ऐग्रो इन्ड0का0लि0लखानऊ	रू0 490-760

उपरोक्त वेतनमानों को दृष्टगत रखाते हुए उत्तर प्रदेश चीनी निगम एवं उ0प्र0 स्टेट ऐग्रो का0लि0 में देय वेतनमान रू0 490-760, विकास प्राधिकरण में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स को दिये जाने की संस्तुति की जाती है :-

अत: कृपया लखानऊ विकास प्राधिकरण निम्न बिन्दुओं पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें :-

(1) लखानऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स (नियमित) को रू0 490-760 का वेतनमान दिये जाने की ।

(2) वेतनमान दिये जाने के उपरान्त केन्द्रीय प्राधिकरण सेवा नियमावली में इन पदों को समायोजित करने हेतु शासन को पत्र भेजे जाने की स्वीकृति ।

विषय :- <u>वर्ष 1975 से पूर्व महानगर तथा निराला नगर में आवंटित आवासीय भूखण्डों पर लेवी शुल्क कम करने के सम्बंध में।</u>

विकास प्राधिकरण / महापालिका द्वारा निराला नगर तथा महानगर आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत् विभिन्न व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड, भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराए गये थे, किन्तु अपरिहार्य कारणों से आवंटी अब तक भवन निर्माण नहीं करा सकें हैं तथा वर्तमान में जिस समय भवन मानचित्र स्वीकृत हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत करते हैं तो उसका वर्तमान नीति के अनुसार 2 प्रतिशत लेवी शुल्क प्रतिवर्ष देय होता है। लेवी शुल्क की गणना निबन्धन तिथि से पाँच वर्ष पश्चात् भवन चित्र स्वीकृत के समय तक की जाती है। तमाम से भवन निर्माण-कर्ताओं पर लेवी शुल्क काफ़ी अधिक आ जाता है जिसको जमा करने में आर्थिक कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि भवन निर्माण संबंधी ऋण भी स्वीकृति के पश्चात् ही प्राप्त होता है। विकास प्राधिकरण /महापालिका की आरम्भ से ही यह नीति रही है कि शीघ्र विकास हेतु आवासीय निर्माण को बढ़ावा दिया जाये, तथा आवासीय योजनाएँ चाहे वह प्राधिकरण द्वारा संचालित हों अथवा व्यक्तिगत् रूप से की जा रहीं हों। अत: लेवी शुल्क अदा न करने की स्थिति में भवन निर्माण गतिहीन हो जायेगा।

अत: उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं:-

1- वर्ष 1960 के बाद किन्तु 1970 से पूर्व निबंधित भूखण्डों पर भवन निर्माण की अवधि को बजाय 5 वर्ष के 10 वर्ष कर दिया जाये।

2- निबन्धन के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि को कम करके शेष 5 वर्षों हेतु 2 % प्रतिवर्ष का लेवी शुल्क लिया जाये।

क्रमश:....

3– शेष वर्षों अथवा उसके आंशिकसमय पर । ½ प्रतिवर्ष का लेवी शुल्क लिया जाये।

4– उपरोक्त लेवी शुल्क अधिकतम् 20,000/– रूपये तक ही देय होगा।

5– जिन भूखण्डों पर पूर्व मे लेवी शुल्क जमा किया जा चुका है उन भूखण्डों पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगें।

विषय: नवल किशोर रोड, हज़रतगंज, लखनऊ पर स्थित नजूल भूमि (खसरा संख्या: 163 भाग) का लखनऊ महायोजना में आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन

लखनऊ शहर में हज़रतगंज का क्षेत्र, लखनऊ महायोजना में सेन्ट्रल विनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में व्यवसायिक भू-उपयोग हेतु निर्धारित है तथा इस भू-उपयोग के अन्तर्गत उत्तर दिशा की ओर में महात्मा गांधी रोड व लारेन्स टैरेस रोड के बीच का भाग आता है और इसके अतिरिक्त पश्चिम दिशा की ओर शाहनजफ़ रोड से लगा हुआ भी कुछ भाग आता है । इस व्यवसायिक भू-उपयोग से लगा हुआ आवासीय भू-उपयोग महायोजना में निर्धारित है । जिसके सम्बन्ध में महायोजना में उपयोग निर्धारण कराने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा इस क्षेत्र का एक सर्वेक्षण भी कराया गया था और महायोजना में निर्धारित व्यवसायिक भू-उपयोग के अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र में वर्तमान में कई व्यवसायिक भू-उपयोग चल रहे हैं जिसका उल्लेख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने अपने पत्र संख्या- 1419/नि0नि0(1)/ लखनऊ भू-उपयोग/87, दिनांक 11 मार्च, 1987 में भी किया है । नजूल विभाग द्वारा इस क्षेत्र के अधिकांश पट्टे भी व्यवसायिक प्रयोजन हेतु हैं । अत: वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि नवल किशोर रोड, हज़रतगंज, लखनऊ पर स्थित नजूल भूमि खासरा संख्या: 163 (भाग) का भू-उपयोग परिवर्तन प्रभावी नियमों के अनुरूप अनुमन्य कर दिया जाये । अत: प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

पृष्ठ संख्या: 28

संलग्नक: 1

लखानऊ महायोजना के प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट"ए" के ज़ोन सं0: 3
में प्रस्तावित आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन
का विवरण

ग्राम एवं ज़िला का नाम	खासरा सं0	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	वर्तमान भू-उपयोग महायोजना में	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन
			आवासीय	व्यवसायिक
हज़रतगंज (1862) लखनऊ ।	163 (भाग) वर्ष 1862 (नजूल भूमि)	बी0 3-16-5-7		

विषय: लखनऊ नगर में बिल्ट-अप एरिया में व्यवसायिक/कार्यालय क्षेत्र में निर्मित भवन में विस्तार या परिवर्धन एवं परिवर्तन का निर्माण कार्य स्वीकृत करते समय आवश्यक पार्किंग उपलब्धता न होने की दशा में पार्किंग चार्जेज लेकर सामुदायिक पार्किंग उपलब्धता कराने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ महायोजना में हजरतगंज, चौक, अमीनाबाद का क्षेत्र "सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट" के रूप में व्यवसायिक भू-उपयोग हेतु निर्धारित है जिसमें महायोजना के अनुसार 300 एफ०ए०आर० व 65 प्रतिशत भू-आच्छादन आवश्यक पार्किंग स्थान उपलब्ध कराते हुए अनुमन्य किया जा सकता है । वर्तमान में यह पाया गया कि इस क्षेत्र में अधिकतर भवन शत-प्रतिशत भू-आच्छादन के साथ बने हुए हैं तथा महायोजना अथवा नियमानुसार पार्किंग स्थान उपलब्ध करा पाना किसी भी प्रकार से विस्तार/परिवर्धन/परिवर्तन करने की दशा में सम्भव नहीं है और यदि सम्भव भी होता है तो वह स्थान उपविधियों के अनुसार आवश्यक पार्किंग स्थान से काफी कम होता है अथवा नहीं होता है । ऐसी दशा में किसी भी प्रकार से महायोजना के परिप्रेक्ष्य में मानचित्र स्वीकृत करने में विवशता बनी हुई है चूँकि उक्त वर्णित क्षेत्र व्यवसायिक दृष्टि से काफी आर्थिक महत्व के क्षेत्र हैं और भूमि का पूरा सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा है अर्थात भवन स्वामी द्वारा अनुमन्य पूर्ण एफ० ए० आर० का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा परिवर्तन/परिवर्धन के भवन चित्र भी पार्किंग स्थल के अभाव में स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में सामुदायिक पार्किंग की व्यवस्था, जहाँ सम्भव हो सके के समीपस्थ क्षेत्र में हो, प्राधिकरण द्वारा कराई जाये और इस पार्किंग स्थान को ऐसे भवन स्वामियों को अनुपातिक रूप से आवंटित कर दिया जाये तथा अनुपातिक दर से प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग चार्जेज भी मानचित्र स्वीकृत करते समय पार्किंग के निर्माण हेतु जमा करायें जाये । यह प्रस्ताव केवल पुराने निर्मित भवनों को यथावत्

क्रमशः——————2

रखाने अथवा आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन की दशा में ही लागू माने जायेगें तथा नवीन निर्माण हेतु यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

अ- पार्किंग चार्जेज की गणना निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

न्यूनतम आवश्यक पार्किंग स्थान -- वर्गमीटर में
में कमी

पार्किंग चार्जेज :-

पार्किंग स्थान में कमी × भूमि का मूल्य × प्रचलित दरों के अनुसार पार्किंग के विकास एवं निर्माण की अनुमानित लागत ।

ब- पार्किंग स्थान का आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा सम्पूर्ण पार्किंग स्थान आवंटित हो जाने के पश्चात् इस प्रकार के निर्माण स्वीकृत पार्किंग के अभाव के कारण स्वीकृत नहीं किये जायेगें जब तक नवीन पार्किंग स्थान का विकास न हो जायेगा ।

स- इस सामुदायिक पार्किंग का रख-रखाव प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा रख-रखाव चार्जेज आवंटी द्वारा लिया जायेगा

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ एवं नीतिगत निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

-x--x-x-

विषाय संख्या: 16 पृष्ठ संख्या: 31

विषाय: उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, लि0 के 22- विधान सभा मार्ग पर स्थित कार्यालय परिसर का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x

विधान सभा मार्ग शहर की एक मुख्य मार्ग है जिसपर बहुत से सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित हैं परन्तु लखनऊ महायोजना में इस मार्ग का अधिकांश भाग आवासीय दर्शाया गया है । 22-विधान सभा मार्ग पर यू0पी0स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 का कार्यालय महायोजना प्रभावी होने के पूर्व से स्थित है तथा इस विभाग द्वारा एक बहुखण्डीय भवन का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये विभाग के प्रबन्ध निदेशक द्वारा वान्छित भू-उपयोग परिवर्तन के अनुरोध का पत्र प्राप्त हुआ है ।

चूकिं वर्तमान में विधान सभा मार्ग के दोनों ओर कार्यालय/व्यवसायिक भू-उपयोग चल रहे हैं अतः इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय हित में आवासीय से कार्यालय भू-उपयोग परिवर्तन लखनऊ महायोजना में अनुमन्य प्रभावी भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0 के साथ करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

विषय सं०-17

पृष्ठ-32

लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ आख्या

विषयः- कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 हेतु 904.16 एक भूमि का अर्जन

सारांशः-नगर के सुनियोजित विकास हेतु कानपुर रोड व रायबरेली रोड के मध्य निम्न योजनाओं हेतु अनके सम्मुख अंकित भूमि का अर्जन हेतु पूर्व में विकास प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है:-

1. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1 563.31 एकड़
2. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-2 504.09 एकड़
3. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3 1632.62 एकड़
4. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 1324.73 एकड़
5. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-5 81.16 एकड़

उक्त योजनाओं में से कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भा 5 को छोड़कर शेष की भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धार 4 व 6 के अन्तर्गत शासन द्वारा विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी है।

अब कानपुर रोड तथा पी0जी0आई0ई0 मध्य कुछ भूमि अर्जन से रह गयी है। इस भूमि को दो चरणों में अर्जित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में कुल 1228.69 एकड़ भू की एक योजना बनाई गयी है जिसका विवरण निम्नांकित

कृषि भूमि	ग्राम समाज भूमि	छोड़ी जाने वाली भूमि	वन विभाग भूमि
904.16 एकड़	289.02 एकड़	27.17एकड़	8.34 एकड़

इस भूमि में से 904.16 एकड़ भूमि का अर्जन किये जाने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 17 के प्राविधानों सहित विज्ञप्तियां जारी करने के लिये प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु विकास प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित है।

उपाध्यक्ष	सचिव

प्राधिकारी अधिकारी-अर्जन

लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ आख्या

योजना का नाम:-

आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स, लखनऊ ।

योजना की स्थिति तथा क्षेत्रफल

गौतम बुद्ध मार्ग प्रांगण श्री राम अनाथालय जिसमें पहले आर0टी0ओ0 का कार्यालय था में उपरोक्त योजना का निर्माण प्रस्तावित है इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 14369 वर्गमी0 है । गौतम बुद्ध मार्ग पर स्थिति होने के कारण तथा लाटूश रोड व अमीनाबाद के निकट होने के कारण इस भूमि पर व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित है ।

योजना की अभिकल्पना

वर्तमान समय में अमीनाबाद एवं श्री राम रोड पर दुकानियों सड़क के किनारे अनेको सुझावों के निर्माण के कारण बहुत कनेजेशन है । समय के साथ आस-पास में विस्तार हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण कनजेशन बढ़ता ही जा रहा है जिससे जन समुदाय को न केवल यातायात में दिक्कत होती है बल्कि भीड-भाड के कारण खरीददारी भी परेशानी उठानी पड़ती है । उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अमीनाबाद व श्री राम रोड के निकट गौमतबुद्ध मार्ग पर स्थिति नजूल भूमि जिस पर पूर्व में आर0टी0ओ0 आफिस व श्रीराम अनाथालय [illegible] का आफिस था में से श्री राम अनाथालय को अलीगंज योजना में एक लगभग 20 लाख रूपये की लागत का भवन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्व अपने ही श्रोतो से निर्माण करावहाँ बसाया गया है । इसी प्रकार ल विकास प्राधिकरण द्वारा 2.50 लाख रूपये श्री राम अनाथालय को प्र वर्ष भी दिये जा रहे है । इसी प्रकार आर0टी0ओ0 आफिस को अल गंज शापिंग काम्पलेक्स में किराये पर भूमि उपलब्ध करायी गयी । आ टी0ओ0 व श्रीराम अनाथालय को लाटूश रोड से हटाने के पश्चात ल विकास प्राधिकरण द्वारा इस पर बहुमंजिले व्यवसायिक एवं आफिस काम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित किया गया है ताकि अमीनाबाद, श्री राम रोड में कनेजेशन कम हो सके और इस क्षेत्र की दुकानें, कंपनीआपि

...2

एजेन्सी आदि एक ही प्लान्ड काम्पलेक्स में एसटेबिलिस हो सकें, साथ ही जो दुकानदार फुटपाथ पर दुकान लगाते है तथा आवासीय क्षेत्र में जो आफिस चल रहे है उन्हे भी निकालकर इस काम्पलेक्स में ले जाने का प्रस्ताव किया गया है । इस काम्पलेक्स के अन्तर्गत बेसमेन्ट+ 4 मंजिले व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण किया जायेगा जिसमें दुकानें, शो रूम, डिपार्टमेन्ट स्टोर एवं रेस्टोरेन्ट सम्मिलित है । इसी काम्पलेक्स में 13 मंजिले आफिस ब्लाक का निर्माण भी किया जायेगा । आफिस ब्लाक के बेसमेन्ट में पार्किंग का प्राविधान किया गया है जो कि सम्पूर्ण काम्पलेक्स हेतु पर्याप्त होगा । भूतल पर भी कुछ पार्किंग का प्राविधान है । इसके अतिरिक्त शेष भूमि पर फव्वारे आदि लगाकर ब्यूटीफिकेशन किया जायेगा कुछ कियास्क का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है ताकि फुटपाथ के दुकानदारों को भी बसाया जा सके। सम्पूर्ण काम्पलेक्स हेतु वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रीफिकेशन, फायर फाइटिंग, लिफ्ट, सीढी आदि का पर्याप्त रूप से प्राविधान किया गया है । फायर फाइटिंग फैसिलिटीज के पर्याप्त होने के सम्बन्ध में फायर आफिसर द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है । इस प्रकार यह काम्पलेक्स पूर्णतया जन समुदाय की वर्तमान आवश्यतानुसार प्रस्तावित किया गया है ।

योजना की लागत

इस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है तथा उनके द्वारा इस योजना हेतु एक विस्तृत व्यानुमान भेजा है जो कि प्लिन्थ एरिया रेट पर आधारित है। उ0प्र0रा0नि0नि0 द्वारा जो कुल प्रोजेक्ट कास्ट निकाली गयी है वह एयर कंडीशनिंग के साथ रू0 17.99 करोड आती है तथा एयर कंडीशनिंग का प्राविधान न किये जाने की दशा में 14.69 करोड आती है । प्रोजेक्ट कास्ट में निर्माण कार्य, विकास कार्य, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का निर्माण, फायर एलार्म, डीजल जनरेटर, टेलीफोन कन्ड्यूट, लाइटनिंग कंडक्टर, कंटीजेन्सी स्वायल टेस्टिंग, निर्माण अवधि में दर वृद्धि तथा आर्कीटैक्ट को दी जाने वाली फीस को सम्मिलित किया गया है ।

योजना की आर्थिक विवेचना

[illegible]

योजना का वित्त पो षण,

सम्पूर्ण योजना को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित किया जाना प्रस्तावित है परन्तु जब तक पंजीकरण आदि नही होता है तब तक वित्त पोष्ण में दिक्कत आ सकती है । चूँकि उ0प्र0 रा0 नि0नि0 तुरन्त योजना का निर्माण कराना चाहता है । अत: योजना को शुरूआत करने हेतु 6 माह तक 50.00 लाख रुपये बैंक लोन का प्राविधान किया गया है ।

कृपया उपरोक्त योजना को प्राधिकरण की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि तुरन्त योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जा सके ।

§ उपाध्यक्ष §

§ सचिव §

ललित मेहरोत्रा

§ प्रभारी अधिकारी-अर्जन §

STATEMENT SHOWING AREA CHART

1. Total Area Under Scheme = 14396 SQ.M.

2. Ground Coverage For Shopping Office and Services = 2879 SQ.M.

3. DETAIL OF SALEABLE AREA :

A. Shopping Block :

(i)	Basement	1092 SQ.M.
(ii)	Ground Floor	1040 SQ.M.
(iii)	First Floor	1201 SQ.M.
(iv)	Second Floor	958 SQ.M.
(v)	Third Floor	562 SQ.M.
(vi)	Open Area On Terrace Floor Available For Selling	984 SQ.M.

B. Office Block :

(i)	Ground Floor	840 SQ.M.
(ii)	First Floor	850 SQ.M.
(iii)	Second Floor	1095 SQ.M.
(iv)	Third Floor	1133 SQ.M.
(v)	Fourth Floor	1154 SQ.M.
(vi)	Fifth Floor	1260 SQ.M.
(vii)	Sixth Floor	1380 SQ.M.
(viii)	Seventh Floor	1380 SQ.M.
(ix)	Eaigth Floor	1324 SQ.M.
(x)	Ninth Floor	1324 SQ.M.
(xi)	Tenth Floor	1260 SQ.M.
(xii)	Eleventh Floor	1170 SQ.M.
(xiii)	Twelvth Floor	1038 SQ.M.

TOTAL NO. OF SHOPS ON VARIOUS FLOORS

1- Basement	52 shops
2- Ground Floor	38 shops
3- First Floor	40 shops
4- Second Floor	46 shops
5- Third Floo —	15 Shops, 3 Restaurant

STATEMENT SHOWING PROJECT COST

	WITH A/C IN LACS	WITHOUT A/C IN LACS
1. Cost of construction, development and other expenditure as per statement given by UPRNN (Annexure 'A')	1799.00	1469.00
2. Cost of raw Land 14369 SQ.M. @ 38.50 per Sq.ft. (As per Note given below)	59.55	59.55
	1858.55	1528.55
3. Administrative Charges @5%	92.93	76.43
	1951.48	1604.98
4. Interest @ 15% on Rs. 50.00 Lacs (For Six Months)	3.75	3.75
	1955.23	1608.73
5. Provision for future Contingencies and maintenance @ 10%	195.52	160.87
	2150.75	1769.60
6. Add for New Orphnage Building with abutting land and 2.50 Lacs per year payment to Orphnage	40.00	40.00
	2190.75	1809.60

NOTE:

(1) Cost OF Raw Land:

Rate fixed by District Magistrate for residential use is Rs.35/- per Sq.ft. Due to 30' Road the cost of Land will be charged 10% extra of D.M. rate i.e. Rs. 38.50 per Sq.ft. Due to commercial use the cost of land charged Rs. 77.00 per Sq.ft. Therefore cost of Raw Land Rs. 38.50 per SQ.FT.

(2) The above scheme proposed as Self Financing Scheme but provision for Bank Loan of Rs 50.00 Lacs for intial stage is made in the project cost.

STATEMENT SHOWING DIFFERENTIAL RATE FOR SHOP AND OFFICE

	WITH A/C Rate per SQ.M.	WITHOUT A/C Rate per SQ.M.
(A) SHOPPING BLOCK		
(i) Basement	14,600/-	12,000/-
(ii) Ground Floor	15,700/-	13,000/-
(iii) First Floor	14,000/-	11,500/-
(iv) Second Floor	13,400/-	11,000/-
(v) Third Floor	12,700/-	10,500/-
(vi) Open Area On Terrace floor available for selling	12,100/-	10,000/-
(B) OFFICE BLOCK		
(i) Ground Floor	13,400/-	11,000/-
(ii) First Floor	13,400/-	11,000/-
(iii) Second Floor	13,400/-	11,000/-
(iv) Third Floor	12,700/-	10,500/-
(v) Fourth Floor	12,700/-	10,500/-
(vi) Fifth Floor	12,700/-	10,500/-
(vii) Sixth Floor	12,700/-	10,500/-
(viii) Seventh Floor	12,700/-	10,500/-
(ix) Eighth Floor	12,100/-	10,000/-
(x) Ninth Floor	12,100/-	10,000/-
(xi) Tenth Floor	12,100/-	10,000/-
(xii) Eleventh Floor	11,600/-	9,500/-
(xiii) Twelvth Floor	11,600/-	9,500/-

STATEMENT SHOWING PROFITABILITY

FLOOR	AREA IN SQ.M.	RATE PER SQ.M. (WITHOUT A/C)	TOTAL INCOME (WITHOUT A/C) IN LACS	RATE PER SQ.M (WITH A/C)	TOTAL INCOME (WITH A/C) IN LACS
SHOPPING					
(i) Basement	1092.00	12,000/-	1[illegible]4	14,600/-	159.43
(ii) Ground Floor	1040.00	13,000/-	135.2[illegible]	15,700/-	163.28
(iii) First Floor	1201.00	11,500/-	138.12	14,000/-	168.14
(iv) Second Floor	958.00	11,000/-	105.38	13,400/-	128.37
(v) Third Floor	562.00	10,500/-	59.01	2,700/-	71.37
(vi) Open Area on Terrace Floor available for selling	984.00	10,000/-	98.40	12,100/	119.06
OFFICE					
(i) Ground, First and Second Floors	2785.00	11,000/-	306.35	13,400/-	373.19
(ii) Third, Fourth, Fifth Sixth & Seventh Floors	6307.00	10,500/-	662.24	12,700/-	800.99
(iii) Eighth, Ninth, & Tenth Floors	3908.00	10,000/-	390.80	12,100/-	472.87
(iv) Eleventh & Twelvth Floors	2208.00	9,500/-	209.76	11,600/-	256.13
			2236.30		2712.83

ⓐ TOTAL INCOME — 2236.30

ⓑ TOTAL EXPENDITURE (As per page NO.) — 1809.60

ⓒ PROFIT — 426.70 — [illegible] 522.08

ⓓ PERCENTAGE OF PROFIT — $\frac{426.70 \times 100}{1809.60}$ = 23.58% — $\frac{522.08 \times 100}{2190.75}$ = 23.83%

विषय सँख्याः 19 पृष्ठ सँख्याः 41

विषयः **जनपथ में निर्मित दुकानों को विस्थापितों को बिक्रय किये जाने से सम्बन्धित**

आस्याः जनपथ मार्केट में निर्मित दुकानों के बिक्रय से सम्बन्धित विषय प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 26·7·86 में विषय सँख्याः 7 के अर्न्तगत रखा गया था ।

2· उपरोक्त बैठक में दुकानों के बिक्रय के सम्बन्ध में प्राधिकरण व्दारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :

" जनपथ व्यवसायिक केन्द्र के दुकानों का जो मूल्य निकाला गया है, उस मूल्य अदायगी के विषय में विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि दुकानदारों से 75 प्रतिशत धनराशि तीन छमाही किश्तों में जमा करा ली जाये और यदि वे समय से जमा कर देते हैं तो उन्हे 5 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जायेगी । और किश्तों पर साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज लगेगा । यदि वे समय से निर्धारित किश्तें जमा नहीं करते हैं, तो उन्हे साढ़े सत्तरह प्रतिशत ब्याज देना होगा । इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि जो लीज़ पर दी जायेगी वह पूरे नब्बे वर्ष की होगी और नब्बे वर्ष का लीज़रेन्ट भूमि के मूल्य का दस प्रतिशत एकमुश्त जमा करा लिया जाये ।

दुकानदारों को दुकानों के ऊपर छत पर किसी प्रकार के निर्माण तथा उपयोग का अधिकार न होगा ।

इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जिस सिध्दान्त पर इन दुकानों का बिक्रय मूल्य निकाला गया है, उसी आधार पर बेसमेन्ट तथा अन्य समस्त दुकानों का मूल्य निकालकर अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

उपरोक्त समस्त दुकानदारों को स्ट्रक्चरल चेन्ज की अनुमति नहीं दी जायेगी। वे केवल मरम्मत का कार्य ही करा सकेगें । "

3· परन्तु विस्थापित दुकानदार प्रस्तावित बिक्रय मूल्य पर दुकान क्रय करने के लिये सहमत नहीं हैं । इस सम्बन्ध में जनपथ मार्केट विस्थापित दुकानदार सँघ के पत्र दिनाँक 7·1·87 की प्रति सँलग्न है । इन दुकानदारों के साथ दुकानों के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध किया गया था, उसके अनुसार प्रथम पाँच वर्षो हेतु रू0 3/- प्र0व0फुट प्रतिमाह की दर से तथा अगले पाँच वर्षो हेतु रू0 4/- प्र0व0फुट प्रतिमाह किराये का प्रावधान किया गया था। परन्तु इन दुकानदारों ने रू03/- प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से किराया नहीं दिया । अतः उच्च स्तर पर निर्णय होने के पश्चात् तत्कालीन सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा रू0 2/- प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से किराया लिये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि विस्थापित दुकानदारों से मार्च 82 तक अवशेष किराया रू0 2/- प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से जमा करा लिया जाये । उसके पश्चात् ये दुकानदार उसी दर से किराया जमा करते रहे ।

4· उपरोक्त दुकानदारों को जनपथ मार्केट निर्मित होने से पूर्व साइकिल स्टैन्ड की ओर कुछ स्थान आवन्टितज किया गया था । यह स्थान परमिट के रूप में था, जिस पर अस्थाई तौर पर दुकान का निर्माण दुकानदार को स्वयँ करना था । परमिट की अवधि 12 माह थी । उपरोक्त दुकानदारों का यह कथन है कि उन्हे आवन्टित स्थान पर दुकान निर्मित करने में व्यय करना पड़ा । इन दुकानों को बाद में लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा तोड़ दिया गया और लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा निर्मित दुकानों का आवन्टन किया गया ।

क्रमशः·····42

5. यद्यपि दुकानदारों व्दारा किये गये अनुरोध पर रू0 45,000/-, जो पूर्व में व्यय किया गया बताया जा रहा है, को प्रीमियम के रूप में मानकर लागत में से घटा दिया जाना, मानना सम्भव नहीं है, परन्तु विस्थापित होने के कारण उन्हे निकाले गये विक्रय मूल्य में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक रियायत दिये जाने पर विचार कर लिया जाये ।

प्रस्ताव

(1) विस्थापित दुकानदोरों से रू0 2/- प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से अबतक का किराया ले लिया जाये ।

(2) भुगतान की शर्ते प्राधिकरण व्दारा दिनॉक 26.7.86 को लिये गये निर्णय के अनुसार रक्खी जायें ।

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

passed

मूल आय-व्ययक

वर्ष १९८७-८८



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण, के मूल बजट 1987–88 की विषय सूची ।

= = = =

योजनावाईज आय विवरण 31.1.1987 तक

(लाख रु० में)

योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	लीज रेन्ट	हायर परचेज किस्तें	भवन शुल्क	भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	व्या० केन्द्र	अन्य प्राप्तियाँ	ऋण हडको	ऋण शासन	ऋण अनुदान	डिपाजिट	घाटों चार्ज अदा	घाटों चार्ज दान	कुल आय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1. अलीगंज	=	49.26	60.28	–	–	45.85	22.47	3.92	5.09	–	–	–	–	5.00	181.87
2. मानसरोवर (का० रोड)	–	37.03	43.02	–	–	170.83	220.31	1.08	9.27	762.47	310.00	–	–	121.01	1433.02
3. गोमती नगर	47.93	12.69	2.21	–	–	739.83	180.42	79.04	18.11	425.24	210.00	–	–	+ 46.32	1761.79
4. सीतापुर रोड	24.00	2.95	0.77	–	–	321.34	297.80	0.19	0.17	131.96	–	–	–	5.40	773.78
5. हाता रसूल खाँ	–	–	–	–	–	–	1.60	–	0.01	–	–	–	–	–	1.61
6. ला-प्लास	–	–	–	–	–	83.02	3.07	–	–	–	–	–	–	–	86.09
7. बन्लर पैलेस	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. टिकैत राय तालाब	14.54	–	–	–	–	–	119.79	–	–	41.18	–	–	–	–	175.51
9. आजाद नगर	–	–	–	–	–	–	0.19	–	–	–	–	–	–	–	0.19
10. हरदोई रोड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11. राम नगर	–	–	–	–	–	–	13.92	–	–	–	–	–	–	–	13.92
12. रेल नगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13. मोतीझील	–	–	–	–	–	–	11.30	–	–	–	–	–	–	+ 1.20	12.50
14. अन्य छोटी योजना	–	0.91	0.03	–	–	62.72	30.11	–	–	–	–	–	–	+ 0.02	93.79
15. कैलाश कुँज	–	–	–	–	–	–	–	0.15	–	–	–	–	–	–	0.15
16. हाट मिक्स प्लांट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.87	–	–	16.87
17. व्या०के० जनपथ	–	–	–	9.81	–	–	–	–	0.01	–	–	–	–	–	9.82
" छितवापुर	–	–	–	–	–	–	–	20.47	–	–	–	–	–	–	20.47
" नीबू बाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
" कपूरथाला	–	–	–	–	–	–	–	0.99	–	–	–	–	–	–	0.99
" सिडपब्लम्प	–	–	–	–	–	–	–	1.74	–	–	–	–	–	–	1.74
" अन्य यो० (निशात पलेस)	–	–	–	–	–	–	–	0.03	–	–	–	–	–	–	0.03

क्रमशः....2

मूल बजट 1987-88 (एक दृष्टि में)

(लाख रु० में)

आय की मदें	मूल बजट 1986-87	31.1.87 तक वास्तविक	मूल बजट 1987-88	व्यय मदें	मूल बजट 1986-87	31.1.87 तक वास्तविक	मूल बजट 1987-88
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. लीज रेन्ट	40.21.	104.89	120.00	1. अधिष्ठान	125.00	126.75	217.46
2. हायर परचेज	202.31	119.99	220.00	2. ऋणों का प्रतिदान	564.67	575.93	1045.99
3. भवनों/दुकानों का किराया	46.55	23.62	49.25	3. भूमि अर्जन	950.00	1548.00	1500.00
4. भवन चित्र शुल्क इत्यादि	30.00	3.48	7.25	4. योजनागत विकास कार्य	1476.00	1036.65	1895.95
क. कम्परोमाईज फीस	–	–	10.00	5. (1) अन्य विकास कार्य			
ख. विकास शुल्क	–	–	20.00	क. योजनाओं के अतिरिक्त विस्थापितों हेतु पुर्नवास योजना (सांकेतिक)	–	–	10.00
5. योजनाओं की भूमि की विक्रय	1800.00	1423.59	2064.00	ख. महापालिका क्षेत्र के बाहर भूमि पुर्नव्यस्था (सांकेतिक)	–	–	10.00
6. योजनाओं के भवनों की विक्रय	1600.00	900.98	1386.89	ग. मन्डियों/कैटिल कालोनीय का विकास (सांकेतिक)	0.50	0.06	20.00
7. व्यवसायिक केन्द्रों से आय	400.00	107.61	523.54	घ. क्षेत्रीय विकास	–	–	60.00
8. अन्य प्राप्तियाँ	57.00	81.05	64.70	ड. हाजात/अविकसित कालोनी का सुधार	6.50	0.72	50.00
योग:	4176.07	2765.21	4465.63	च. अन्य सुधार कार्य	85.00	0.03	20.00
1. शासकीय ऋण				(2) पर्यावरण/सौन्द्रीकरण			
क. भूमि अर्जन	25.00	500.00	150.00	क. सौन्द्रीकरण योजना	25.00	18.45	44.00
ख. विकास हेतु	–	31.66	50.00	ख. पार्कों का निर्माण/ वनरोपण	16.00	3.38	10.00
2. शासकीय अनुदान				ग. पार्कों का रखारखाव	11.00	14.79	16.00
क. इन्द्रगॉधी सा०केन्द्र	56.00	75.47	54.00				
ख. विकास कार्य हेतु	10.00	2.50	–				
ग. सौन्द्रीकरण हेतु	–	–	15.00				

.....2

1.	2.	3.	4.
3. संस्थागत ऋण			
क. भूमि अर्जन हेतु	1200.00	1000.00	1350.00
ख. आवासीय योजना हेतु	–	360.85	250.00
ग. कैश लोन योजना हेतु	–	–	5.00
4. संस्थागत डिपाजिट	86.00	16.87	52.00
5. विश्व बैंक परियोजना	87.17	–	60.00
योग:	1464.17	1987.35	1986.00
उचन्त खाते से आय व्यय	–	28.12	–
प्रारम्भिक अवशेष	120.00	269.84	243.00
महायोग:	5760.24	5050.52	6694.63

5.	6.	7.	8.
घ. अन्य विकास	–	–	10.00
ड. मलिन बस्ती सुधार यो0	8.00	0.79	5.00
च. विद्युत शावद:ह गृह	18.00	1.23	10.00
6. भवन निर्माण	1580.00	898.17	764.50
7. क. व्यवसायिक केन्द्रों/छोटी दुकानों का निर्माण	177.00	40.16	271.00
ख. व्यवसायिक केन्द्रों का रखारखाव	7.00	–	10.00
8. स्टोर	200.00	170.22	166.00
9. हाट मिक्स प्लांट	86.00	42.51	52.00
10. इन्द्रागॉधी सा0केन्द्र	56.00	7.52	54.80
11. विश्व बैंक परियोजना	87.17	0.89	60.00
12. कैश लोन योजना	–	–	6.00
13. अन्य व्यय			
क. सांयोगिक व्यय	76.60	85.68	136.00
ख. भवनों/मशीनरी/वाहनों का रखारखाव	20.75	38.08	55.20
ग. जनता को जमा धन की वापसी	63.55	88.95	133.15
योग:	5639.74	4698.96	6632.75
अन्तिम अवशेष	120.50	351.56	61.88
	5760.24	5050.52	6694.63

लेखाधिकारी

मुख्य लेखाधिकारी

सचिव

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
23. विश्व बैंक परि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24. इन्द्रागॉधी यो० सा०के०	51.00	–	–	–	–	–	–	–	0.02	–	–	75.47	–	–	126.49
25. कैशालोन यो०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26. सामान्य आय	132.37	2.05	13.68	13.81	3.48	–	–	–	48.37	–	11.66	2.50	–	111.99	339.91
योग:	269.84	104.89	119.99	23.62	3.48	1423.59	900.98	107.6	181.05	1360.85	531.66	77.97	16.87	28.12	5050.52

व्यय पक्ष

(लाख रु० में)

योजना का नाम	अधिष्ठान	ऋणों का प्रतिदान	भूमि अर्जन	विकास	अन्य विकास	भवन	व्या० केन्द्र	स्टोर	सा० व्यय	रखरखाव	रिफन्ड	डिपाजिट कार्य	कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. अलीगंज	2.06	22.80	–	76.75	–	17.24	1.91	0.83	2.61	0.43	3.95	–	129.38
2. मानसरोवर (का० रो)	13.53	381.36	475.00	192.44	–	106.05	–	5.34	23.41	0.52	11.80	–	1209.45
3. गोमती नगर	18.08	88.03	580.00	594.93	–	338.80	2.66	130.85	13.60	4.30	54.54	–	1825.79
4. सीतापुर रोड	12.41	52.02	485.00	114.32	–	216.03	–	4.18	7.77	0.06	4.64	–	896.43
5. हाता रसूल खाँ	–	–	–	–	–	1.03	–	–	–	–	0.03	–	1.06
6. ला–प्लास	1.97	–	–	7.40	–	52.20	–	–	0.10	–	0.22	–	61.89
7. बटलर पैलेस	–	–	–	0.20	–	45.00	–	–	–	–	0.02	–	45.22
8. टिकैत राय तालाब	2.04	16.00	2.00	3.81	–	94.62	–	11.23	0.18	1.66	1.48	–	133.02
9. आजाद नगर	0.36	0.41	–	6.29	–	5.58	–	–	0.06	–	0.01	–	12.71
10. हरदोई रोड	–	–	–	3.21	–	–	–	–	–	–	0.37	–	3.58
11. राम नगर	1.36	7.71	–	5.89	–	7.99	–	–	–	–	6.79	–	29.74
12. रेल नगर	–	–	–	–	–	0.07	–	–	–	–	0.31	–	0.38
13. मोतीझील	0.36	1.00	–	3.97	–	4.17	–	–	0.64	–	0.09	–	10.23
14. अन्य योजनाएँ	2.96	4.88	6.00	11.58	–	9.39	0.65	–	0.89	–	3.19	–	39.54
15. कैलाश कुंज	0.43	–	–	2.03	–	–	19.28	–	0.12	–	0.09	–	21.95
16. हाट मिक्स प्लांट	1.21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.29	–	42.51	51.01
17. व्या०के० जनपथ	0.32	–	–	–	–	–	0.17	–	0.39	0.73	–	–	1.61
18. " छितवापुर	0.64	–	–	–	–	–	0.40	–	0.20	3.49	0.40	–	5.13
19. " नीबूबाग	–	–	–	–	–	–	7.23	–	0.08	–	–	–	7.31
20. " कपूनथाला	–	–	–	–	–	–	5.64	–	0.04	–	–	–	5.68
21. " सिडर्सडम्प	–	–	–	–	–	–	1.49	–	0.04	–	–	–	1.53
22. " अन्य यो० (निशात पलेस)	0.09	–	–	–	–	–	0.73	–	0.28	–	–	–	1.10

क्रमशः.....2

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
23. विश्व बैंक परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	0.89	–	–	–	0.89
24. इन्द्रागाँधी मो० सा० केन्द्र	0.32	–	–	–	–	–	–	–	7.52	–	–	–	7.84
25. सामान्य व्यय	67.81	1.72	–	13.83	50.04	–	–	17.79	35.27	9.01	1.02	–	196.49
योग:	126.75	575.93	1548.0	1036.65	50.04	898.17	40.16	170.22	94.09	27.49	38.95	42.51	4693.96

7

योजनावाईज आय विवरण, मूल बजट 1987-88

(लाख रु० में)

योजना का नाम	अनुमानित प्रारम्भिक अवशेष	लीज रेन्ट	हायर परचेज किस्तें	रेन्ट	भवन/विकास सन्धि शुल्क	भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	व्या० केन्द्र	अन्य प्राप्तियाँ	ऋण: हडको	ऋण: शासन	ऋण: अनुदान	डिपाजिट	घाटओं चार्ज अशदान	कुल आय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1. अलीगंज	20.00	50.00	90.00	1.50	0.75	37.50	64.50	16.00	2.00	–	–	–	–	50	232.25
2. मानसवरो (कानपुर रोड)	30.00	40.00	80.00	–	–	290.00	200.80	50.00	15.00	500.00	50.00	–	–	120	1135.80
3. गोमती नगर	50.00	15.00	25.00	0.50	–	720.00	502.64	40.00	9.00	450.00	50.00	–	–	100	1762.14
4. सीतापुर रोड	5.00	5.90	10.00	0.50	–	250.00	153.10	10.00	6.00	400.00	100.00	–	–	50	890.50
5. हाता रसूल खाँ	–	0.50	0.10	–	–	–	5.00	–	0.15	–	–	–	–	–	5.75
6. ला-प्लास	–	0.50	–	–	1.50	25.00	70.00	–	0.50	–	–	–	–	–	97.50
7. बटलर पैलेस	–	–	–	–	–	–	100.00	–	0.50	–	–	–	–	–	100.50
8. टिकैत राय तालाब	28.00	–	5.00	–	–	–	100.00	–	3.00	100.00	–	–	–	–	236.00
9. आजाद नगर	–	0.24	0.50	–	–	0.50	8.00	–	0.10	–	–	–	–	–	9.34
10. हरदोई रोड	–	–	0.50	–	–	16.00	5.50	–	0.10.	–	–	–	–	–	22.10
11. राम नगर	–	0.84	0.20	–	–	–	45.00	–	0.05	–	–	–	–	–	46.09
12. शारदा नगर (रायबरेली रोड)	–	–	–	–	–	600.00	–	–	–	150.00	–	–	–	40	710.00
13. रेल नगर	–	–	–	–	–	50.00	40.00	–	–	–	–	–	–	–	90.00
14. मोतीझील	–	0.55	3.00	–	–	–	17.35	–	1.00	–	–	–	–	–	21.90
15. वजीर हसन रोड	–	–	–	–	–	–	25.00	–	–	–	–	–	–	–	25.00
16. अन्य छोटी योजना	–	0.64	2.40	–	–	75.00	50.00	–	1.00	–	–	–	–	15	114.04
17. कैलाश कुँज	–	0.50	–	–	–	–	–	60.00	–	–	–	–	–	–	60.50
18. हाट मिक्स प्लांट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.0	–	52.00
19. व्या० केन्द्र जनपथ	–	–	–	28.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.00
20. व्या० केन्द्र छितवापुर	–	1.33	–	1.00	–	–	–	60.00	0.50	–	–	–	–	–	62.83
21. " नीबू बाग	–	–	–	–	–	–	–	140.56	–	–	–	–	–	–	140.56
22. " कपूरथाला	–	–	–	–	–	–	–	25.00	–	–	–	–	–	–	25.00

क्रमशः.....2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
23. व्या0केन्द्र सिडर्लडम्प	–	–	–	–	–	–	11.98	–	–	–	–	–	–	11.98
24. " नंदाखोड़ा	–	–	–	–	–	–	80.00	–	–	–	–	–	–	80.00
25. " अन्य (निर्यात पलेस)	–	–	–	–	–	–	30.00	–	–	–	–	–	–	30.00
26. विश्व बैंक परि0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.00	–	–	–	60.00
27. कैश लोन योजना	–	–	–	–	–	–	–	1.00	5.00	–	–	–	–	6.00
28. इन्द्रागाँधी मो0 सा0केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	0.50	–	–	54.00	–	–	54.50
29. सामान्य आय	110.00	4.00	3.30	17.75	35.00	–	–	24.30	–	–	15.00	–	+375	584.35
योग:	243.00	120.00	220.00	49.25	37.25	2064	1386.89	523.54	64.70	1605	260.00	69.00	52.00		6694.63

व्यय पक्ष

(लाख रु० में)

योजना का नाम	अधिष्ठान	ऋणों का प्रतिदान	भूमि अर्जन	विकास	अन्य विकास	भवन	व्या० केन्द्र	स्टोर	सा० व्यय	रखा-रखाव	रिफन्ड	डि० कार्य	कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. अलीगॅज	3.00	108.45	–	56.10	–	16.00	5.00	1.00	5.30	2.75	3.30	–	210.90
2. मानसरवर (क० रो)	23.79	578.95	400.00	200.00	5.00	100.00	5.00	50.00	19.75	1.85	35.00	–	1419.34
3. क, गोमती नगर	27.37	153.50	500.00	625.00	–	125.00	15.00	50.00	17.00	12.00	46.50	–	1571.37
ख. विपिन खण्डयो०	–	–	–	100.00	–	–	–	–	–	–	–	–	100.00
4. क. सीतापुर रोड़	13.00	99.40	400.00	225.00	–	100.00	9.00	5.00	11.55	0.45	25.50	–	888.90
ख. सीतापुर रोड़ (पश्चिम)	–	–	100.00	50.00	–	–	–	–	–	–	–	–	150.00
5. हाता रसूल खाँ	–	–	–	2.50	–	1.50	–	–	–	–	0.15	–	4.15
6. ला-प्लास	1.50	–	–	20.00	–	70.00	–	–	1.50	–	4.50	–	97.50
7. बटलर पैलेस	–	–	–	27.00	–	100.00	–	–	2.00	–	3.50	–	132.50
8. टिकैत राय तालाब	2.10	28.00	–	100.00	1.00	106.00	–	10.00	8.00	0.15	7.00	–	262.25
9. आजाद नगर	–	1.80	–	4.85	–	1.00	–	–	1.25	–	0.20	–	9.10
10. हरदोई रोड़	–	6.75	–	2.00	–	–	–	–	0.50	–	1.00	–	10.25
11. राम नगर	0.75	17.00	–	25.00	–	20.00	–	5.00	1.65	–	1.60	–	71.00
12. शारदा नगर (रायबरेली रोड़)	6.33	–	100.00	300.00	–	–	–	–	2.00	–	–	–	408.33
13. रेल नगर	–	–	–	32.50	–	15.00	–	–	4.00	–	0.60	–	52.10
14. मोतीझील	–	19.40	–	7.00	–	10.00	–	–	1.50	–	1.00	–	38.90
15. वजीर हसन रोड़	–	–	–	–	–	50.00	–	–	–	–	–	–	50.00
16. अन्य योजना	2.56	8.45	–	50.00	–	50.00	–	10.00	5.95	–	0.85	–	127.81
17. कैलाश कुँज	–	–	–	4.00	–	–	45.00	–	1.87	–	0.75	–	51.62
18. हाट मिक्स प्लांट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.00	52.00
19. व्या० केन्द्र जनपथ	–	–	–	–	–	–	5.00	–	4.73.	5.00	–	–	14.73
20. " छितवापुर	–	–	–	–	–	–	20.00	–	5.65	4.00	–	–	29.65
21. " नीबू बाग	–	–	–	–	–	–	7.00	–	1.80	–	–	–	8.80

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
22.	व्या0के0कपूरथला	–	–	–	–	–	–	8.00	–	1.35	–	–	–	9.35
23.	" लिडसडम्प	–	–	–	–	–	–	5.00	–	0.60	1.00	0.10	–	6.70
24.	" नंदाखोड़ा	–	–	–	–	–	–	75.00	–	–	–	–	–	75.00
25.	" अन्य यो0 (निश्रात पलेत, आर0टी0ओ0 सहित)	–	–	–	–	–	–	72.00	–	6.20	–	–	–	78.20
26.	विश्व बैंक परि0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.00	60.00
27.	इन्द्रागाँधी यो0 सा0 केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.50	54.50
28.	कैश लोन यो0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.00	6.00
29.	सामान्य व्यय													
क.	विस्थापितों हेतु पुनर्वास यो0	–	–	–	–	10.00	–	–	–	–	–	–	–	10.00
ख.	महापालिका क्षेत्र के बाहर भूमि पुनर्व्यवस्था	–	–	–	–	10.00	–	–	–	–	–	–	–	10.00
ग.	मन्डियों/कैटिल कालोनियों हेतु	–	–	–	–	20.00	–	–	–	–	–	–	–	20.00
घ.	क्षेत्रीय विकास	–	–	–	–	60.00	–	–	–	–	–	–	–	60.00
ङ.	हाताज/अविकसित कालोनियों में विकास	–	–	–	–	50.00	–	–	–	–	–	–	–	50.00
च.	पर्यावरण सुधार यो0/सौन्द्रीकरण	–	–	–	–	92.00	–	–	–	–	–	–	–	92.00
छ.	अन्य सा0व्यय	137.06	24.29	–	55.00	17.00	–	–	35.00	31.85	38.00	1.60	–	339.80
	योग:	217.46	1045.99	1500	1895.95	265.00	764.50	271.00	166.00	136.00	65.20	133.15	172.50	6632.75

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
मूल बजट 1987-88

प्रस्तावना :-

1. संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना :-

सर्व प्रथम लखनऊ नगर में आवास कार्यों का संचालन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था । उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत फरवरी, 1960 से इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट लखनऊ नगर महापालिका के विकास विंग के रूप में शहर के आवास और विकास कार्यों का संचालन करने लगा । शहर की बढ़ती हुई आबादी के कारण यह अनुभव किया गया कि विकास और आवास के कार्यों को सुनियोजित ढंग से करने पर ही समस्या को सुलझाना सम्भव है । इसके समाधान की दृष्टि से वर्ष 1973 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी थी और उसके अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति संख्या-3923-37-वि0प0-72 दिनाँक 11.9.1974 द्वारा लखनऊ नगर को योजनाबद्ध विकास हेतु विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया । इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका की सीमा के अन्दर का क्षेत्र तथा महापालिका सीमाओं में 8 किलो मीटर दूरी का क्षेत्र (कैन्टोनमेन्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा जल-थल तथा नभ सेवा हेतु लिये क्षेत्र को छोड़कर) विकसित क्षेत्र घोषित किया गया । इस विकासशील क्षेत्र के सुनियोजित ढंग से विकास करने की दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना शासकीय विज्ञप्ति संख्या: 2892/37-1-स 21-वि0प्र0/ दिनाँक 13.9.1974 द्वारा की गयी । इस प्रकार अपने सम्पूर्ण परिसम्पत्ति एवं दायित्व के साथ लखनऊ नगर महापालिका से अलग हो कर प्राधिकरण एक स्टेट्यटरी संस्था के रूप में कार्य करने लगा । यद्यपि अचल सम्पत्ति एवं दायित्व सेवा शर्तें लेखा नियमावली आदि से सम्बन्धित, अधिनियम में जो अस्थायी व्यवस्था थी, वही चलती रही ।

क्रमशः ...

1.2 संगठन :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार है :-

पदेन सदस्य :-

1.	आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।	उपाध्यक्ष
3.	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ ।	सदस्य
4.	सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश-शासन	सदस्य
5.	सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश-शासन	सदस्य
6.	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0शासन	सदस्य
7.	प्रबन्ध निदेशक, जल-निगम (जिसकी स्थापना उ0प्र0जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज ऐक्ट 1975 के अन्तर्गत हुई ।	सदस्य
8.	जिलाधिकारी, लखनऊ ।	सदस्य
9.	शासन द्वारा मनोनीत (अशासकीय) तीन	सदस्य

1.3 उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 7 के अनुसार प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजना अनुसार विकसित करना है । इस प्रयोजन हेतु इसका उद्देश्य निम्न प्रकार है :-

1. प्राधिकरण की भूमि तथा अन्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्यवस्था करना ।
2. निर्माण इन्जीनियरिंग खनन तथा अन्य क्रियायें कार्यान्वित करना ।
3. जल, बिजली के प्रदाय के सम्बन्ध में योजनाओं को निष्पादित करना ।
4. मल का व्ययन करने और अन्य सेवायें सुख-सुविधायें उपलब्ध कराना ।
5. साधारणतय: विकास के प्रयोगों के लिये तथा अनुशासित प्रयोजनों के लिये भी कार्य करना है ।

क्रमश: .....

1.4 कार्य-कलाप :-

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति के लिये विकास प्राधिकरण निम्नांकित कार्य-कलापों को विशेष रूप से करता है :-

1. भूमि अर्जन ।
2. भूमि विकास ।
3. आवासीय भवनों का निर्माण ।
4. दुकानों तथा बहुखण्डीय व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण ।
5. मलिन बस्ती पर्यावरण एवं निपातन योजना ।
6. भूमि विकास एवं निर्माण विनियम ।
7. शासन द्वारा निर्देशों के अनुरूप नजूल भूमि का विकास एवं नजूल सम्पत्ति का प्रबन्ध ।
8. सौन्द्रीकरण/पार्कों का निर्माण/रखरखाव तथा वनरोपण ।

1.5 उपरोक्त कार्य-कलापों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न योजनाओं के आय-व्यय पर आधारित प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा (21) के अन्तर्गत बजट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतकिया जाता है, तद्नुसार वर्ष 1987-88 का मूल बजट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । मूल बजट विवरण में 31.1.87 तक के वास्तविक आय व्यय के आकड़े संदर्भितआधा हेतु दशाये गये है। वर्ष 1986-87 का बजट योजनावाईज बनाया गया था जिसे सफलतापूर्वक चलाया गया तथा जो कमियों को देखा गया, उनका सुधार इस बजट में किया जा रहा है । वर्ष 1986-87 का बजट 28.2.1986 के वास्तविक आँकड़ों पर आधारित था । अत: वर्ष 1985-86 के 31.3.1986 तक के वास्तविक आँकड़े सारांश में दिये गये हैं ।

विकास प्राधिकरण के निर्णय अनुसार दोहरी लेखा-प्रणाली (कामर्शियल एकाउन्टिंग) इसी वर्ष लागू कर दी गई है तथा पुरानी प्रणाली के समानान्तर चल रही हैं ।

1.6. प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये नगर महापालिका में लागू पेन्शन नियमावली लागू हैं और प्राधिकरण कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड खाते बैंक में खुले हुये हैं । जब स्वतन्त्र रूप से पेन्शन तथा प्राविडेन्ट फण्ड नियमावली बन जायेगी तभी प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट 1925 के प्राविधान लागू हो सकेंगे । साथ ही साथ प्राधिकरण के निर्णय अनुसार कर्मचारी कल्याण नियम भी लागू कर दिये गये हैं ।

2- वित्तीय वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में उपलब्धियाँ निम्नवत् थीं :

वित्तीय लक्ष्य लाख रूपये में

मद सं0	आय की मदें	मूल बजट अनुमान 85-86	वास्तविक 31.3.86	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक
1.	लीज रेन्ट	10.00	13.52	40.21	104.89
2.	हायर परचेज किश्तें	25.00	38.73	202.31	119.99
3.	भवन/दुकानों का किराया	48.50	24.67	46.55	23.62
4.	भवन चित्र/ अन्य शुल्क	14.10	40.84	30.00	3.48
5.	भूमि की बिक्री से आय	1205.00	1617.19	1800.00	1423.59
6.	भवनों की बिक्री से	2152.12	1005.96	1600.00	900.98
7.	व्यवसायिक केन्द्रों से	299.06	122.22	400.00	107.61
8.	विविध प्राप्तियाँ	92.80	82.36	57.00	81.05
9.	शासकीय ऋण/ अनुदान	105.00	267.59	264.17	626.50
10.	स्थागत ऋण (हडको)	700.00	921.55	1200.00	1360.85
11.	उचन्त खाते से आय	-	-	-	28.12
	योग:	4651.58	4134.63	5640.24	4780.68

2.2. व्यय पक्ष :-

2- वित्तीय वर्ष 1985-86 में 31.3.86 तक तथा वर्ष 1986-87 में 31.1.87 तक के वास्तविक आँकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

मद सं0	व्यय की मदें	1985-86		1986-87	
		मूल बजट अनुमान	वास्तविक 1985-86	मूल बजट अनुमान	वास्तविक 31.1.87 तक
1.	अधिष्ठान	107.76	113.97	125.00	126.75
2.	ऋणों का प्रतिदान	347.10	486.46	564.67	575.93
3.	भूमि अर्जन	510.00	400.00	950.00	1548.00
4.	विकास कार्य	1154.55	1136.76	1732.00	1129.20
5.	भवन निर्माण	2314.00	1563.16	1580.00	898.17
6.	व्यवसायिक केन्द्र	290.00	101.73	177.00	40.16
7.	स्टोर	210.00	280.54	200.00	170.22
8.	इन्द्रा गाँधी मेमो. सो0/व्यवसायिक केन्द्र	-	-	56.00	7.52

क्रमशः ...

9. विश्व बैंक परि0	–	–	87.17	0.89
10. डिपाजिट कार्य				
11. अन्य (रिफण्ड) संयोगिक व्यय (रख-रखाव) व्यय	214.36	302.67	167.90	202.12
कुल योग:	5147.77	4393.29	5639.74	4698.96

2.3 उपरोक्त विवरण को देखने से प्रतीत होगा कि वर्तमान बजट वर्ष 1986-87 में आय की प्रगति इतनी उच्च स्तरीय है कि प्राधिकरण स्थापना से अब तक किसी वर्ष विशेष में इतनी अधिक आय नहीं हुई । विगत चार वर्षों की आय का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(लाख रूपये में)

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87 31.1.87तक
1. अपने श्रोतों से	2476.55	2905.45	2945.49	2765.21
2. शासकीय/संस्थागत ऋण/अनुदान	583.17	801.36	1189.14	1987.35
कुल आय :	3059.72	3706.81	4134.63	4752.56

प्राधिकरण ने भूमि की बिक्री, भवनों की बिक्री पर अधिक जोर दिया है तथा चेष्टा इस बात की की गई है कि भवनों तथा भूमि से निरन्तर आय की वसूली होती रहे ताकि उनसे सम्बन्धित व्यय न रूकने पायें ।

2.2.4 जहाँ तक वास्तविक व्यय का प्रश्न है उसमें नया कीर्तिमान स्थापित होने की सम्भावना है विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक व्यय अभी तक हो चुका है, पूर्ण व्यय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बजट के अन्दर है । परन्तु मदवार भुगतान अपने प्राविधानों से अधिक या कम हुये हैं जो तेजी से चल रहे कार्यों के कारण हुआ है साथ ही प्राधिकरण बजट 1986-87 वर्ष 1985-86 के अन्दर ही बन गया था । प्राधिकरण कृपया कृत कार्यवाही अनुमोदित करने का कष्ट करें । प्रमुख मदों में विगत तीन वर्षों के व्यय देखने से प्रतीत होगा कि चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 में उत्पादक मदों पर व्यय की प्रगति प्रशंसनीय है ।

क्रमशः ..

व्यय मदें	1983–84	1984–85	1985–86	1986–87 31.1.87 तक
1. भूमि अर्जन	150.98	368.56	400.00	1548.00
2. भूमि विकास	559.56	833.50	1068.70	1129.20
3. भवन निर्माण	967.49	1514.00	1563.16	898.17

2.2.5.1 प्राधिकरण ने शासन/संस्थागत ऋण प्राप्त किये हैं उनके मूल धन की किश्तें समय से ब्याज सहित/भुगतान की जा रही है । इस समय प्राधिकरण पर संस्थागत/शासकीय ऋणों की अवभुक्ति मूल धनराशि का अवशेष लगभग रू० 55.00 लाख है ।

2.2.5.2 प्राधिकरण ने वर्ष 1986–87 में रू० 206 लाख के ऋण भाँग-पत्र तथा रू० 250 लाख का आधारित पूँजी ऋण शासन से प्राप्त किया था जिसको समय से प्रतिदान करने हेतु निक्षेप निधि का गठन किया गया ।

2.2.5.3 चालू वित्तीय वर्ष 1986–87 में रिकार्ड व्यय होने के उपरान्त भी प्राधिकरण के पास दिनाँक 31.1.87 को रू० 351.56 लाख का बैंक बैलेन्स तथा रू० 220.29 लाख की दीर्घकालीन एवं रू०165.28 लाख का अल्पकालिक डिपाजिट थी अर्थात् कुल उपलब्ध धनराशि रू० 737.13 लाख थी ।

आय पक्ष

गतत्तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति तथा मूलबजट 85-86 तथा 86-87 का तुलनात्

(₹ लाख रु० में)

क्र०सं०	आय मदें	वास्तविक 1984-85	वास्तविक 1985-86	मूल बजट 1986-87	31.1.87 तक वास्तविक	मूल बजट अनुमा 1987-88
1.	लीज रेन्ट	9.27	13.52	40.21	104.89	120.00
2.	हायर परचेज	21.05	38.73	202.31	119.99	220.00
3.	भवनों/दुकानों का किराया	41.32	24.67	46.55	23.62	49.25
4.	भवन चित्र शुल्क इत्यादि	14.89	20.84	30.00	3.48	7.25
	क. कम्प्रोमाईज फीस	–	–	–	–	10.00
	ख. विकास शुल्क	–	20.00	–	–	20.00
5.	योजनाओं की भूमि की विक्रय	802.75	1617.19	1800.00	1423.59	2064.00
6.	योजनाओं के भवनों की विक्रय	1711.54	1005.96	1600.00	900.98	1386.89
7.	व्या० केन्द्रों से आय	203.14	122.22	400.00	107.61	523.54
8.	अन्य प्राप्तियाँ	101.49	82.36	57.00	81.05	64.70
	योग:	2905.45	2945.49	4176.07	2765.21	4465.63
1.	शासकीय ऋण					
	क. भूमि अर्जन	–	–	25.00	500.00	150.00
	ख. विकास हेतु	38.51	100.00	–	31.66	50.00
2.	शासकीय अनुदान					
	क. इन्द्रागाँधी सा०के०	–	51.00	56.00	75.47	54.00
	ख. विकास कार्य हेतु	–	115.00	10.00	2.50	–
	ग. सौन्द्रीकरण हेतु	1.45	0.71	–	–	15.00
3.	संस्थागत ऋण					
	क. भूमि अर्जन हेतु	–	–	1200.00	1000.00	1350.00
	ख. आवासीय योजना हेतु	761.40	921.55	–	360.85	250.00
	ग. कैश लोन यो० हेतु	–	–	–	–	5.00
4.	संस्थागत डिपाजिट	–	–	86.00	16.87	52.00
5.	विश्व बैंक परियोजना	–	–	87.17	–	60.00
	योग:	801.36	1189.14	1464.17	1937.35	1936.00
	महायोग:	3706.81	4134.63	5640.24	4752.56	6451.63

व्यय पक्ष

क्र0सं0	व्यय मदें	वास्तविक व्यय 1984-85	वास्तविक व्यय 1985-86	मूल बजट 1986-87	31.1.87 तक वास्तविक	मूल बजट 1987-88 अनुमान
1.	अधिष्ठान	99.06	113.97	125.00	126.75	217.46
2.	ऋणों का प्रतिदान	363.96	486.46	564.67	575.93	1045.99
3.	भूमि अर्जन	368.56	400.00	950.00	1543.00	1500.00
4.	योजनागत विकास कार्य	838.50	1060.70	1476.00	1036.65	1895.95
5.	(1) अन्य विकास कार्य	47.61	32.35	35.00	10.64	–
	क. योजनाओं के अति0 विस्थापितों हेतु पुनर्वास यो0 (सांकेतिक)	–	–	–	–	10.00
	ख. महापालिका क्षेत्र के बाहर भूमि पुर्नव्यवस्था (सांकेतिक)	–	–	–	–	10.00
	ग. मुंडियों/कैटिल कालोनीय का विकास (सांकेतिक)	–	–	0.50	0.06	20.00
	घ. क्षेत्रीय विकास	–	–	–	–	60.00
	ड. हाता/अविकसित कालोनी का सुधार	–	–	6.50	0.72	50.00
	च. अन्य सुधार कार्य	–	–	–	–	20.00
	(2) पर्यावरण/सौन्द्रीकरण					
	क. सौन्द्रीकरण योजना	–	–	25.00	18.24	44.00
	ख. पार्कों का निर्माण/वनरोपण	–	–	16.00	3.57	10.00
	ग. पार्कों का रखारखाव	–	–	11.00	14.79	16.00
	घ. अन्य विकास	–	–	–	–	10.00
	ड. मलिन बस्ती सुधार यो0	–	–	8.00	0.79	5.00
	च. विधुत शवदाह गृह	–	–	18.00	1.23	10.00
6.	भवन निर्माण	1514.00	1563.16	1500.00	898.17	764.50
7.	क. व्य0 केन्द्रों/छोटी दुकानों का निर्माण	124.60	101.73	177.00	40.16	271.00
	ख. व्या0केन्द्रों का रखारखाव	–	–	7.00	–	10.00
8.	स्टोर	244.34	288.54	200.00	170.22	166.00
9.	हाट मिक्स प्लांट	10.66	35.21	86.00	42.51	52.00
10.	इन्द्रागॉधी सा0केन्द्र	–	–	56.00	7.52	54.50
11.	विश्व बैंक परियोजना	–	–	87.17	0.89	60.00
12.	कैश लोन योजना	–	–	–	–	6.00
13.	अन्य व्यय					
	क. सॉयोगिक व्यय	93.98	79.89	76.60	85.68	136.00
	ख. भवनों/मशीनरी/वाहनों का रखारखाव	49.23	65.25	20.75	27.49	55.20
	ग. जनता के जमा धन की वापसी	161.13	157.53	63.55	88.95	133.15
	महायोग:	3915.68	4393.29	5639.74	4698.96	6632.75

वर्ष 1987-88 का वित्तीय बजट लक्ष्य

लखनऊ विकास प्राधिकरण का बजट 1986-87 योजनावार/मैक आधार पर बनाया गया था। वर्ष की आय व्यय के आधार पर वार्षिक अनुमानित प्रारम्भिक अवशेष से मूल बजट 1987-88 को प्रारम्भ किया गया है। बजट 1987-88 प्रोग्राम ओरियेण्टेड है। आय पक्ष में पूर्व वर्ष के बकाया तथा वर्ष 1987-88 के सम्भावित मदों को आधार बनाकर प्राविधान प्रस्तावित किये गये है।

3.2 बजट में कानपुर रोड योजना, राय बरेली रोड तथा उमराव टाकीज के समीप व्यवसायिक केन्द्र को क्रमशः आलमबाग, शारदा नगर निशातगंज नामांकित किया गया है।

3.3 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बजट वर्ष 1987-88 में कुछ नई तथा प्रमुख योजनाये समादित करने का प्रस्ताव है जिनके लिये आंकलित प्राविधान बजट में किये गये है। प्रमुख योजनाये निम्नवत है, जिनका विवरण आगे पृष्ठ सं0 30से 37 तक है:-

1:- योजनाओं के अतिरिक्त विस्थापितों हेतु पुनर्वास योजनाये (आंकलित)
2:- महापालिका क्षेत्र के बाहर भूमि पुर्नव्यवस्था (आंकलित)
3:- गण्डियों/कैटिल कालोनीयों का विकास (आंकलित)
4:- क्षेत्रीय विकास
5:- हाता/अविकसित कालोनी का सुधार
6:- मलिन बस्ती सुधार योजना
7:- कैशलोन योजना
8:- गोमती नगर विविध खण्ड योजना
9:- सौन्द्रीकरण एवं वनरोपण योजना

3.4 आय पक्ष:-

प्राधिकरण के प्रमुख आय स्रोतों में भूमि की बि0पी0, भवनों का विक्रय तथा व्यवसायिक केन्द्रों से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित है। विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1986-87में मूल बजट प्रस्तावित रूपया-1400लाख के विरूद्ध 31.1.87तक रूपया 1423.59लाख की वास्तविक आय प्राप्त की थी वर्ष के अन्त में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने की सम्भावना है। वर्ष 1987-88में यह प्राविधान बढाकर रू0206.4लाख रखा गया है क्योंकि बजट वर्ष में शारदा नगर, रायबरेलीरोड, रेलनगर इत्यादि नई योजनाओं से अतिरिक्त आय प्राप्त होने की सम्भावना है। इसी प्रकार भवनों की आय में रू0136.89लाख का प्राविधान बजट 1987-88 में प्रस्तावित किया गया है जिसका मूल आधार विगत वर्ष में आवंटित भवनों के पिछले की बकाया धनराशि है जिसकी वसूली बजट वर्ष में पूर्व रूपेण करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सीतापुर, ना-प्लाट, बटलर पैलेस, टिकैतराय तालाब, रेल नगर से अन्य मद में अधिक आय प्राप्त होने की सम्भावना है।

3.5 व्यवसायिक केन्द्रों में कैलाश कुंज, छितवापुर नीबूबाग नन्दाखेडा तथा निशातगंज प्लेस से प्रमुख रूप से आय प्राप्त होने की सम्भावना है जिसके आधार पर प्राविधान रूपया:--523.54 लाख रखा गया है।

3.6 लखनऊ विकास प्राधिकरण शासन तथा बैंकों से भूमि अर्जन तथा विकास हेतु प्रमुख रूप में ऋण प्राप्त करता है बजट वर्ष 1987-88 में प्राधिकरण का संस्थागत ऋणों के रूप में रू0-15करोड तथा शासन से रूपया-2करोड प्राप्त करने का विचार है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत रू0-60लाख के ऋण के प्राप्ति का प्रस्ताव है।

क्रमशः.....2

20

प्राधिकरण में आवंटिति भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु कैस लोन योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत बजट वर्ष में रूपया-5 लाख का ऋण हुडको से प्राप्त करने का प्रस्ताव है । तथा अब कुछ धनराशि सम्मिलित करके बजट वर्ष में रूपया-6 लाख के आय व्यय का प्रस्ताव बजट में किया गया है ।

उपरांकित रूप में प्राधिकरण अपने श्रोतों से रूपया-4465.63 लाख तथा ऋणों एवं संस्थागत ऋण तथा अनुदान से रूपया-1936 लाख की प्राप्तियां बजट में रखी है जो चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 की प्रगति को देखते हुये उचित प्रतीत होती है ।

4: व्यय पक्ष :-

प्राधिकरण जैसा कि ऊपर अंकित है, अपने श्रोतों से अधिक आय करके योजनाओं पर व करेगी । व्यय की प्रमुख मदों का विवरण निम्नवत् है :-

4.1 अधिष्ठान- बजट में दिनांक-31-3-87 तक के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर रिक्त पदों के भरने के आशय से रूपया-217.46 लाख का प्राविधान बजट में रखा गया है । शासन द्वारा स्वीकृत अन्तरिम सहायता, महंगाई भत्ते, बोनस, अवकाश - नकदीकरण के स्वीकृत किये जाने के कारण अधिष्ठान व्यय बढ़ जाने की सम्भावना है ।

4.2 ऋणों का प्रतिदान:- इस मद में प्राविधान रूपया-1045.99 लाख रखा गया है । बढ़ोत्तरी का प्रमुख कारण यह है कि जनवरी-1987 तक लगभग रूपया-900 लाख का ऋण प्राप्त हुआ है जिसका प्रतिदान अगले वर्ष में पूर्ण रूप से करना होगा ।

4.3 भूमि अर्जन:- प्राधिकरण का प्रयास यह है कि भूमि अर्जन प्रतिकर की धनराशि को अधिक से अधिक रूप में भुगतान किया जाय ताकि प्राधिकरण पर बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व कम हो जाय। इसी आशय से बजट वर्ष में रूपया-1500 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है ।

4.4 पूंजीगत विकास कार्य तथा भवन निर्माण :- प्राधिकरण ने बजट वर्ष 1987-88 में यह प्रयास किया है कि विभिन्न योजनाओं में विकास कार्य पूर्ण रूपेण कर दिया जाये ताकि भवन एवं भूखण्ड आवंटियों को रहने में असुविधा न हो । इसी आशय से विकास कार्य के निमित्त रूपया-895.95 लाख तथा भवन निर्माण रूपया- 764.50 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है ।

4.5 अन्य सुधार कार्य तथा विकास कार्यों के अन्तर्गत कुछ प्राविधान नई योजनाओं हेतु बढ़ाकर रखे गये है जिसका प्रमुख कारण यह है कि(क) योजनाओं के अतिरिक्त विस्थापितों हेतु पुनर्वास योजना(ख) महापालिका क्षेत्र के बाहर भूमि पुनर्व्यवस्था(ग) मछियों/कैटल कालोनीज के विकास क्षेत्रीय विकास, मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सांकेतिक प्राविधान बजट में किये गये है ।

उपरांकित के अतिरिक्त सौन्दर्यकरण व्यवसायिक केन्द्रों, छोटी दुकानों तथा कियास्क के निर्माण इत्यादि के प्रस्तावना बजट वर्ष में सम्मिलित की गयी है ।

4.6 कुल व्यय पक्ष की प्रस्तावना रूपया-6632.75 लाख है। जिसे अपने श्रोतों की आय से तथा कम से कम मात्रा में शासन तथा संस्थागत ऋणों को प्राप्त करके परिपूर्ति की जायेगी।

आय तथा व्यय की योजनावाईज दि0: 31-3-87 तक की वास्तविक स्थिति पूर्व पृष्ट-.....पर संलग्न है तथा विगत वर्षों की तुलनात्मक स्थिति आगे संलग्न है । योजनावाईज मद तथा उप मदानुसार स्तुत बजट आगे पृष्ट..38..से..116..तक .....

वर्ष 1986-87 की सम्भावित भौतिक उपलब्धियाँ

1:- भूमि अर्जन :-

1.1: लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक वित्तीय वर्ष 1986-87 में सबसे अधिक भूमि का कब्जा लेने की सम्भावना है :-

वर्ष	भौतिक कब्जा (एकड़ में)
1980-81	430.90
1981-82	36.24
1982-83	1128.29
1983-84	1740.895
1984-85	1808.00
1985-86	1084.56
1986-87	2601.94

1.2: योजनावार भूमि अर्जन की स्थिति वर्ष 1986-87 के अन्त में निम्नवत् रहेगी :-

क्रमांक	योजना का नाम	कुल क्षेत्रफल	दि. 31.3.86 तक अर्जित क्षेत्रफल	वर्ष 86-87 में प्रस्तावित	वर्ष 1986-87 में संभावित अर्जित क्षेत्रफल
1.	अलीगंज योजना	923	837.506	-	-
2.	सीतापुर रोड				
	भाग- 1	1527.72	1269.25	-	123.86
	भाग- 2	1147.20	-	500	400.00
3.	गोमती नगर				
	भाग- 1				
	कृषि भूमि- 969.78	1952.16	1919.655	-	-
	महापालिका भूमि 325.31				
	स्लेज फार्म 657.07				
4.	गोमती नगर				
	भाग-2	1776.68	1237.88	1000	500.00
	भाग-3	271.11	-		270.00
5.	कानपुर रोड				
	भाग-1	563.31	469.71	-	1.44
	भाग-2	504.09	430.904	-	-
	भाग-3	1632.62	853.76		750.00
	भाग-4	1324.73	-	1000	430.00
6.	हरदोई रोड	1355.97	414.195	-	-
7.	सीतापुर रोड पश्चिम	123.00	-	50	122.99
8.	अन्य योजनायें	91.682	48.575	50	3.65
	योग:	13193.272	7481.435	2600.00	2601.95

2- भवनों का निर्माण

2.1 वर्ष 1985-86 के अन्त तक तथा 1986-87 में भवनों के निर्माण की संभावित उपलब्धि निम्नवत् है :-

क्रमांक	भवन का प्रकार	31.3.86 तक निर्मित भवनों की संख्या	वर्ष 1986-87 की संभावित उपलब्धि	वर्ष 1986-87 के अन्त में कार्य प्रगति में
1.	स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत			
	"ए" टाईप "बी" टाईप "सी" टाईप "डी" टाईप "ई" टाईप टाईप-I टाईप-II मध्यम आय वर्ग मिनी मध्यम आय वर्ग	2860	1051	362
2.	बहुखण्डीय आवासीय भवनों का निर्माण	-	-	144
3.	किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत			
	उच्च आय वर्ग	528	124	40
	मध्यम आय वर्ग	2373	411	46
	मिनी मध्यम आय वर्ग	622	245	116
	अल्प आय वर्ग	2972	-	160
	दुर्बल आय वर्ग	17480	-	41
	साईट्स एंव सर्विसिज	7045	2174	-
	योग:	33880	4493	909

2.2 उपरोक्त भवनों के अतिरिक्त ल0वि0प्रा0 द्वारा 4775 आवासीय भूखण्डों का विभिन्न योजनाओं में विकास किया गया है ।

3. व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण

3.1. कैलाश कुँज

इस योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक तृतीय लेविल का कार्य पूर्ण हो जायेगा । योजना का कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.5.87 है । इस योजना में दिं0 6.2.87 को दुकानों, कियास्क तथा काउन्टर्स का क्रमश: 142, 163, तथा 120 का आवंटन किया जा चुका है ।

3.2 नीबू बाग चौक व्यवसायिक केन्द्र

इस व्यवसायिक केन्द्र में भूखण्डों के नीलाम के अतिरिक्त दुकानों एंव प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है । कुल दुकाने 234 तथा 88 प्लेटफॉर्मस का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव था । गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक 180 दुकानों तथा 88 प्लेट फार्मस् का निर्माण पूर्ण किया गया । वर्तमान वित्तीय वर्ष में शेष दुकानों का निर्माण पूर्ण हो जायेगा, परन्तु पूर्ण रूप से व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण 31.7.87 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

3.3. डिपार्टमेण्टल स्टोर का निर्माण

लखनऊ नगर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप नगरीय क्रियाओं का विकास तीव्र गति से हो रहा है । अत: ल0वि0प्र0 द्वारा प्रयास किया गया है कि भीतर तथा बाहर की ओर नवीन विकसित कालोनियों में अधिक उपयुक्त स्थान पर व्यवसायिक ईकाई उपलब्ध कराई जाये । यद्यपि ल0वि0प्राधिकरण ने कई व्यवसायिक केन्द्र बनाये है, परन्तु ऐसा कोई व्यवसायिक केन्द्र नहीं बनाया गया है, जहॉ पर सभी आवश्यक वस्तुऐं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें । इस समस्या के निदान हेतु ल0वि0प्र0 द्वारा प्रथम चरण में गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड टाउन सेन्टर में एक डिपार्टमेन्ट स्टोर की भूमि नीलाम की जा चुकी है ।

3.4. गोमती नगर योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है । अब तक नगर के अन्दर होटलो का निर्माण हुआ था अब गोमती नगर योजना में दो होटल अर्थात् मे0 एशियन होटल तथा मे0 इंडियन होटल को भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया है, इन्हें क्रमश: 10 एकड़ तथा 5 एकड़ भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव भेज दिया गयाहै

4. सौन्द्रीयकरण योजनायें

4.1 इस वर्ष कूड़िया घाट का विकास कियागया है और एक सुन्दर पार्क का निर्माण किया गया है ।

4.2 कानपुर रोड़ योजना के सेक्टर "डी-1 में 18 पार्क अलीगॅज आवासीय योजना में 26 पार्कों का पुर्नविकास किया जा रहा है ।

4.3 बहुत समय से शहीद स्मारक के पास गोमती नदी में 20फुट ऊँची धारा वाला जवाहर फुहार, जो खराब पड़ा था, उसका सुधार करके चालू किया गया है ।

क्रमश:.....

4.4: ग्लोब पार्क को भी ठीक करने के पश्चात् चालू कर दिया गया है, उसने अपनी दशा के अनुसार चक्कर लगाना शुरू कर दिया है और साथ में फव्वारे भी उसके चारो ओर अपना आकर्षण बढ़ा रहे हैं ।

4.5: गौतम बुद्ध पार्क में जल सामान्य के मनोरंजन हेतु पुरानी नावों को हटाकर नई नावें खरीद ली गई हैं ।

4.6: बहुत से पार्कों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया गया है, साथ ही जिन पार्कों में फव्वारे, रोशनी तथा सीढ़ियाँ टूट गई थी, वह काम नहीं कर रही थीं, उन्हें ठीक करा दिया गया है ।

4.7: प्राचीन सूरज कुन्ड, महात्मा गाँधी मार्ग के दक्षिण में, : नवीउल्ला मार्ग के पूर्व में तथा इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट के पश्चिम में स्थित है तथा यह सूरज कुन्ड गोमती नदी से करीब सवा सौ गज की दूरी पर स्थित है । यद्यपि सूरज कुन्ड अपने आप में पूर्ण बनाया गया था, परन्तु इसको अधिक महत्व देने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसके पश्चिमी दिशा में एक पार्क का भी निर्माण किया गया है, जिसके बीचो-बीच एक सूरज की प्रतिमा लगाई गई है तथा जीर्ण हुई उसकी सीढ़ियों की दीवारों की भी मरम्मत की गई है, उसमें आकर्षण उत्पन्न करने के लिये कुछ खाने-पीने के रेस्टोरेन्ट तथा बैठने के लिये कई स्थान भी बनाये गये हैं । इसके अतिरिक्त रोशनी, फव्वारे और झरनों की भी अभिकल्पना की गई है । इसमें कुन्ड तथा पार्क का पूर्ण अवलोकन करने के लिये कई ऊँचे स्थान भी बनाये गये है, जिसमें घास से मिट्टी के टीले से पार्क तथा सीमेन्ट के स्टेज से कुन्ड की सुन्दरता का अवलोकन किया जा सकता है । कुन्ड की सुन्दरता को बढ़ाने के लिये घाट के चार बुर्जो पर संगीत मुद्रा में प्रतिमा भी लगाई गई है, इस अलौकिक पार्क का उद्घाटन दिनाँक 22.2.1987 को माननीया राज्य मंत्री, नगर विकास द्वारा किया जा चुका है ।

5. बहुमंजलीय आवासीय योजनायें :-

5.1: ला-प्लास योजना :-

इस योजना में 72 भवनों के एक ब्लाक में ओवरहेड टैंक को छोड़कर शेष सिविल कार्य पूर्ण हो गये हैं, तथा दूसरे ब्लाक में 8 तलों में सिविल कार्य पूर्ण हो गये हैं ।

क्रमशः ....

5.2: बटलर पैलेस योजना :-

इस योजना में 48 भवनों की एक यूनिट पर उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

6. बीस सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में :-

वर्ष 1986-87 के लिये शासन द्वारा 2657 भवनों/साईट्स एवं सर्विसेज् के भूखण्डों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके विपरीत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 488 भवनों और 2174 साईट्स एवं सर्विसेज् के भूखण्डों का निर्माण पूर्ण किया जाना सम्भावित है । इस प्रकार उपलब्धि के विपरीत 100 प्रतिशत रहेगी ।

7. भवनों/भूखण्डों का आवंटन :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 1986 से जनवरी, 1987 के अन्त तक भवनों/भूखण्डों का निम्न प्रकार आवंटन किया गया है :-

क्रम सं0	योजना का नाम	भूखण्डों/भवनोंका प्रकार	भूखण्डों/भवनों की संख्या
1.	गोमती नगर योजना	विभिन्न प्रकार के भवन	219
2.	गोमती नगर योजना	विभिन्न प्रकार के भूखण्ड	107
3.	कानपुर रोड योजना	विभिन्न प्रकार के भवन	1524
		विभिन्न प्रकार के भूखण्ड	488
		साईट्स एवं सर्विसेज के भूखण्ड	1754
4.	सीतापुर रोड योजना	विभिन्न प्रकार के भवन	406
		साईट्स एवं सर्विसेज के भूखण्ड	183
5.	राम नगर योजना	एम0आई0जी0/मिनी एम0आई0जी0 भवन	103
6.	नैपियर रोड	एम0आई0जी0 भवन	10
7.	टिकैत राय तालाब योजना	विभिन्न प्रकार के भवन	335
			5129

क्रमशः ....

8. एकमुश्त भूमि की बिक्री :-

8.1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 1986 से जनवरी, 1987 तक निम्न योजनाओं में विभिन्न विभागों को भूमि की बिक्री की गई है :-

क्रमांक	विभाग का नाम	योजना का नाम	आवंटित मात्रा	कुल धनराशि	प्राप्त धन राशि	शेष धन राशि
1.	राज्य संपत्ति वि. उ0प्र0शासन	गोमती नगर	8 एकड़	7608100	7608100	-
2.	न्याय विभाग	गोमती नगर	8 एकड़	7608100	6,08,100	10लाख गत वर्ष प्राप्त
3.	जिला प्रबन्धक टेलीफोन	गोमती नगर	8 एकड़	7608100	6608100	
4.	उर्दू अकादमी	गोमती नगर	1 एकड़	2023500	2023500	
5.	आयुक्त बिक्रीकर	गोमती नगर	12000 व0मी0	5397840	5397840	
6.	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक	गोमती नगर	8000 व0मी0	700000	700000	
		गोमती नगर	7 एकड़	6657100	6657100	
7.	पिकप	मोमती नगर	12120 व0मी0	2848200	2848200	
8.	अधि0अभि0 इलेक्ट्रिसिटी दा0सर्किल उ. प्र. रा. वि. प.	गोमती नगर	39057.94 व. मी.	6834100	6834100	
9.	जी0एस0आई0	सीतापुर रो0	12.177एकड़	9362937	850000	8512937
10.	अधीक्षण अभि0 तृतीय मण्डी उ0प्र0जल निगम	राधा ग्राम यो.	19.56एकड़	5538000	5538000	
11.	निदेशक रिमोट सेनिसंग एप्लीकेशन सेंटर	सीतापुर रोड	36 एकड़	15210600	6210600	अवशेष धनराशि गत वर्ष प्राप्त हो चुकी है।
				77396577	58883640	

क्रमशः ...

8.2 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विभागों को एकमुश्त भूमि की बिक्री के प्रस्ताव भेजे गये है :-

क्रमांक	विभाग का नाम	योजना का नाम	आवंटित मात्रा	कुल धनराशि अभ्युक्ति
1.	उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद	गोमती नगर	12.46 एकड़	109,36,900/-
2.	खेलकूद विभाग उ0प्र0 शासन	"	100एकड़	202,34,300/-
3.	मंडी परिषद	"	5एकड़	60,70,300/-
4.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि0	"	120000व. मी.	60,00,000/-
5.	निदेशक स्थानीय निकाय	"	15183व. फु0	7,05,300/-
6.	निदेशक(होम्योपैथी) उ0प्र0	सीतापुर रोड़	5.05एकड़	25,54,600/-
7.	लखनऊ विश्व - विद्यालय, लखनऊ	"	100 "	404,68,000/-
8.	प्रगति मैदान	"	70 "	283,28,000/-
				1152,97,400/-

9. ल0वि0प्रा0 में बैंक के एक्सटेन्शान काउन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में

जनसुविधा हेतु ल0वि0प्रा0 कार्यालय में यू0को0 बैंक का एक्सटेन्शान काउन्टर वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोल दिया गया है ।

10. योजना के अन्दर ग्रामों का विकास

ल0वि0प्रा0 द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की गई थी, परन्तु योजनाओं के अन्दर आये हुए ग्रामों का विकास नहीं किया गया था, अत: वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीतापुर रोड़ योजना तथा गोमती नगर योजना में ग्रामों का विकास भी किया गया है ।

11. योजनावार लेखे

वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजनावार लेखे रखे गये है, जिससे कि योजनावार आय एंव व्यय की स्थिति ज्ञात हो सकें । तदनुसार ही गत वर्ष भी योजनावार बजट बनाया गया था और इस वर्ष भी योजनावार बजट बनाया गया है ।

क्रमश:.....

12. कल्याण निधि की स्थापना :-

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 11.4.1986 में कर्मचारियों/अधिकारियों के कल्याणार्थ एक निधि की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत किसी कर्मचारी/अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु अथवा गम्भीर बीमारी स्थाई/विकलाँगता की दशा में फण्ड से दी जाने वाली सहायता का प्राविधान है । इस निधि में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं मासिक अंशादान जमा किया जाना है और इतनी ही धनराशि प्राधिकरण द्वारा निधि में जमा की जानी है । इस निधि की स्थापना दिनाँक 1.11.1986 से कर दी गई है, तथा पंजीकरण शुल्क कर्मचारियों/अधिकारियों से प्राप्त कर लिया गया है ।

13. प्राइवेट बिल्डर्स को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में :-

13.1: कानपुर रोड योजना के सेक्टर "जे" के, एम, तथा एन में मेसर्स अंसल हाऊसिंग फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी को विकास तथा भवनों के निर्माण हेतु लाईसेन्स के आधार पर निम्नवत् भूमि आवंटित की गई है, इन सेक्टर्स का वाह्य विकास भी उपरोक्त बिल्डर्स द्वारा किया जायेगा ।

सेक्टर का नाम	भूमि की मात्रा
जे एवं के	177.067 एकड़
एम	152.07 एकड़
एन	136.63 एकड़

13.2: राय बरेली रोड योजना में भूमि के आवंटन का प्रस्ताव निम्न कं0/फर्मों को भेजा गया है :-

फर्म/कं0 का नाम	सेक्टर का नाम	भूमि की मात्रा
1. मे0एल्डको, लखनऊ	रवि	42.13 एकड़
2. मे यूटिलिटी, नई दिल्ली	रश्मि	90.41 एकड़
3. मे0 अंसल फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कं0	रूचि	227.1372एकड़
4. मे0आरिफ इन्ट0 लखनऊ	रजनी	167.670
5. मे0यूनिटेक लि0 नई दिल्ली	रतनाकर	252.209

उपरोक्त योजना में वाह्य विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 3 वर्षों में पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ।

क्रमशः ..

14. सामाजिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में :-

14.1: कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण :-

यद्यपि विभिन्न योजनाओं में भवनों का निर्माण किया गया है, तथा भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, परन्तु कम्युनिटी सेन्टर्स का निर्माण नहीं किया गया था । वर्तमान वित्तीय वर्ष में गोमती नगर योजना तथा अलीगंज योजना में क्रमशः दो-दो कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

14.2: विभिन्न योजनाओं में स्कूल भूखण्डों का आवंटन :-

विभिन्न योजनाओं में स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में सूचना पंजीकृत स्कूलों से प्राप्त कर ली गई हैं तथा स्कूल भूखण्डों का आवंटन शीघ्र ही किया जायेगा ।

15. नकद ऋण योजना :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर में भवनों के निर्माण हेतु नकद ऋण प्रदान करने के लिये योजना प्रस्तावित की गई है । यह योजना हाऊसिंग एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन नई दिल्ली (हुडको) द्वारा ऋण की सहायता प्रदान की जानी है । इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं भूखण्डों के आवंटियों को ऋण प्रदान किया जायेगा जिनको 1.1.82 के पश्चात् ल0वि0प्रा0 द्वारा भूखण्ड आवंटित किये गये हैं और उन्होंने या तो आवंटित भूखण्ड की पूर्ण धनराशि जमाकर दी है, अथवा पूर्ण धनराशि जमा करके रजिस्ट्री करा ली है । उपरोक्त ऋण सुविधा सभी वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान की जायेगी । योजना के प्रथम चरण में प्राधिकरण द्वारा एच0आई0जी0, एम0आई0जी0-प्रथम, एम0आई0जी0-द्वितीय, एल0आई0जी0-प्रथम, एल0आई0जी0-द्वितीय तथा ई0डब्लू0एस0 के क्रमशः 30, 50, 50, 100 तथा 1000 व्यक्तियों को ऋण दिया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकरण दिनाँक 2.2.1987 से खोल दिया गया है तथा दि031.3.87 को बन्द होगा ।

क्रमशः ...

16. वृक्षारोपण :-

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जन सामान्य को लखनऊ नगर में स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु विकास प्राधिकरण ने अपनी कालोनियों में फूल, छायादार तथा फलदार वृक्षों पार्कों में तथा कालोनियों में सड़कों के किनारे लगाये गये हैं, कानपुर रोड योजना में माननीया राज्य मंत्री, श्रीमती पदमा सेठ, नगर विकास द्वारा सेक्टर डी-1 में यह सितम्बर, 1986 में वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है, जिसमें राजकीय कन्या इन्टर कालेज तथा नेशनल पब्लिक स्कूल, कानपुर रोड के लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया ।

17. योजनाओं के नियोजन के सम्बन्ध में :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष में दैनिक कार्यों के अतिरिक्त निम्न महत्वपूर्ण योजनाओं का नियोजन किया गया :-

क: कानपुर रोड योजना फेज-4

ख: शाहदा नहर,

ग: राय बरेली रोड योजना

घ: विपिन खण्ड, गोमती नगर

ड: टाउन सेन्टर गोमती नगर

च: डिपार्टमेन्टल स्टोर अलीगंज, कानपुर रोड, गोमती नगर

छ: सूरज कुन्ड पार्क

ज: प्रपोज्ड डेवलपमेन्ट फार ग्रीन एरियाज एवं विपिन खण्ड गो0नं0

झ: सेक्टर "एल" कानपुर रोड

ट: सिटी बस टरमिनल, सीतापुर रोड योजना सेक्टर "एच"

18. वर्ष 1987-88 के भौतिक कार्यक्रमों का लक्ष्य :-

18.1: भूमि अर्जन:-

वित्तीय वर्ष 1987-88 में निम्नलिखित योजनाओं में भूमि अर्जन प्रस्तावित है ।

क्रमांक	योजना का नाम	प्रस्तावित भूमि (एकड़ में)
1.	सीतापुर रोड भाग-II	700
2.	कानपुर रोड भाग-II	850
3.	हरदोई रोड	900
4.	अन्य योजनायें	50

(11)

18.2: भूमि अर्जन हेतु अगले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित योजनाओं में भी कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ।

क: ट्रांसपोर्ट नगर से अमौसी तक) नागरिक उड्डयन से एन0ओ0सी0 लेने के बाद).

ख: क्षेत्रीय विकास लखनऊ क्षेत्र जिसमें आलमबाग, इंदिरा नगर तथा आर0डी0एस0ओ0) नहर से उत्तर में) सम्मिलित है। आलमबाग की 500 एकड़ इंदिरा नगर को 100 एकड़ तथा आर0डी0एस0ओ0 का 100 एकड़ सम्मलित है ।

18.3: भवनों का निर्माण

चूँकि प्राईवेट बिल्डर्स को कानपुर रोड योजना तथा रायबरेली योजना में लाइसेन्स के आधार पर भूमि आवंटित की जा चुकी है और शर्तों के अनुसार उन्हें 70 % भवन निर्मित कराने हैं। अत: ल0 वि0 प्रा0 विकास कार्यों पर अधिक जोर देगा । तदनुसार इस वर्ष के स्पिलओवर भवन पूर्ण किये जायेंगे तथा नये लक्ष्य के बल 2489 भवनों का रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो संस्थायें/ विभाग डिपाजिट वर्क/स्कीम के में भवन निर्माण कराना चाहेंगे उनके लिये भवन निर्मित कराकर दिये जायेंगे । इस प्रकार अगले वित्तीय वर्ष में निम्नवत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है:-

क्रम सं.	योजना का नाम	भवनों की संख्या
1.	गोमती नगर योजना	-
2.	कानपुर रोड योजना	1285
3.	सीतापुर रोड योजना	-
4.	अन्य योजनायें	1204
		2489

18.3.2 उपरोक्त भवनों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में 5,000 विभिन्न आकार के भूखण्डों का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

18.4 बहुखाण्डीय आवासीय योजनायें

18.4.1 वर्ष 1987-88 में ला-प्लास योजना में बहुखाण्डीय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा ।

18.4.2 बटलर पैलेस योजना में जो एक बहुभूजलीय यूनिट का कार्य इस वर्ष प्रारंभ किया गया है, अगले वित्तीय वर्ष में प्रगति में होगा ।

18.4.3 आर०टी०ओ० व्यवसायिक केन्द्र में बहुखाण्डीय ब्लाक के निर्माण का प्रस्ताव है ।

18.4.4 गो०न०यो० में प्राधिकरण कार्यालय का भवन प्रस्तावित है ।

18.4.5 निशात पैलेस, उमराव टाकीज के निकट सब्जी मंडी का निर्माण प्रस्तावित है ।

18.4.6 तुलसी प्लेस (नन्दा खोड़ा) व्यवसायिक योजना में निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ कर दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में कार्य समाप्त हो जायेगा ।

18.5 बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में 909 भवनो/भूखाण्डों का कार्य प्रगति में रहेगा । वित्तीय वर्ष 1987-88 में 289 भवनों तथा 2200 साईट्स एंव सर्विसेज के भूखाण्डों के निर्माण का लक्ष्य है ।

18.6 गत 10 वर्षों में नगर के भीतरी भागों में व्यवसायिक तथा कार्यालय क्षेत्रों का विकासहुआ है और बाहरी क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों का नगर के भीतरी भागों में व्यवसायिक तथा कार्यालय क्षेत्रों का विकास होने के कारण जन संख्या तथा यातायात इत्यादि का काफी भारी दबाव पड़ रहा है । यधापि ल०वि०प्रा० द्वारा नगर के बाहरी क्षेत्रों में भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण विभिन्न योजनाओं में किया गया है परन्तु फिर भी नगर के भीतरी भागों में उपरोक्त क्रियाओं का दबाव कम नहीं हुआ है । साथ ही नगर के पुराने क्षेत्रों में जो भवन निर्मित है, वह काफी पुराने है जिनका जीर्णोधार नगर के नवीनीकरण के लिये आवश्यक है । अत: नगर के पुराने क्षेत्र जैसे चौक, अमीनाबाद, तथा हजरतगॅज इत्यादि में पुर्नविकास तथा अरबन रिन्यूवल की योजनायें प्रस्तावित है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति में है ।

18.7 अविकसित कालोनियों का पूर्ण विकास

लखनऊ नगर में बसी अविकसित कालोनियों में पूर्ण विकास करके वहाँ के निवासियों को स्वच्छ एंव स्वास्थ्यप्रद वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा । इसके अन्तर्गत फैजाबाद रोड़ पर स्थित शक्ति नगर, अकबर नगर तथा संजयपुरम को अविकसित कालोनियों को उपरोक्तानुसार विकसित किये जाने का प्रस्ताव है ।

क्रमश:.....

18.8: योजनाओं के अन्दर ग्रामों का विकास

लखनऊ वि० प्रा० द्वारा अपनी नई योजनाओं में आने वाले ग्रामों का विकास वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 1987-88 में नवविकसित योजनाओं में सभी ग्रामों का विकास पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ।

18.9: विश्व बैंक योजना

विश्व बैंक से आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के लिये निर्मित किये जाने वाले भवनों/ भूखंडों हेतु कम दर पर ऋण उपलब्ध होगा । कानपुर रोड योजना के सेक्टर " आई" में उपरोक्त योजना कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत कार्य वित्तीय वर्ष 1987-88 के प्रारम्भ में किया जाना है । (बजट में प्रावधान भी किया गया है)

18.10: सामाजिक सुविधायें उपलब्ध कराना

18.10.1: कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण

ल० वि० प्रा० ने सभी योजनाओं में कम्युनिटी सेन्टर्स का निर्माण करने का निर्णय लिया है । गोमती नगर योजना तथा अलीगंज योजना में निर्माण प्रारंभ हो गया है तथा कानपुर रोड योजना में भी शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जायेगा ।

18.10.2: पुलिस स्टेशन का निर्माण

अलीगंज योजना तथा गोमती नगर योजना में पुलिसस्टेशन हेतु भूमि दी जा चुकी है तथा अन्य योजनाओं में भी पुलिस स्टेशन हेतु भूमि दिये जाने का प्रस्ताव है ।

18.10.3: स्कूल भूखंडों के आवंटन के सम्बन्ध में

शासन की नीति के अनुसार स्कूल भूखंडों के आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।

18.11 लखनऊ में होटलो का निर्माण

18.11.1 पॅच सितारा होटल का निर्माण

लखनऊ नगर में पर्यटको की सुविधा हेतु ल0वि0प्रा0 ने पॅच सितारा होटल के निर्माण हेतु गोमती नगर योजना में मे0 एशियन होटल व तथा मे0 इंडियन होटल लि0 को क्रमशः 10 एकड़ तथा 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है । इन होटलो का निर्माण 3 वर्षों के अन्दर पूर्ण कराये जाने प्रस्ताव है । इन होटलो का निर्माण हो जाने के पश्चात लखनऊ की विकास की प्रगति में प्राधिकरण का यह महत्वपूर्ण योगदान होगा ।

18.11.2 पॅच सितारा होटल से कम होटल तथा रेस्टोरेन्ट का निर्माण

गोमती नगर योजना तथा कानपुर रोड़ योजना में उपरोक्त प्रयोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया था । जिसने 7 फार्मों ने भूमि की मॉग की है ।

18.11.3 आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को ऋण की सुविधा

सार्वजनक भूमि पर झुग्गी झोपड़ी निर्माण को रोकने में सफलता न मिलने का मुख्य कारण अत्यन्त गरीब लोगों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था न मिलने का है । आवासीय बस्तियों में विकास प्राधिकरण ई0डब्लू0एस0 के भवनों को उसको कम मूल्य पर उपलब्धा करायेगा . . . जैसाकि प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, परन्तु फिर भी अत्यन्त गरीब लोगों को उस धनराशि के अन्तर्गत भी भवन लेने में कठिनाई महसूस हो रही है, इसको ध्यान में रखकर विकास प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय योजनाओं में विकसित भूखण्डों के आवंटियों को ऋण की सुविधा (कैश लोन स्कीम के अन्तर्गत) देने का निर्णय लिया है । प्रथम चरण में 1,000 व्यक्तियों को ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है ।

18.12 कम्प्यूटर की स्थापना

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एस-850 कम्प्यूटर लगाया गया था, जिस पर प्रारंभ में गोमती नगर योजना को कम्प्यूटराइज किया गया था । इसके अतिरिक्त अन्य नई योजनायें भी उक्त कम्प्यूटर पर ली गई । अब यह कार्यक्रम बनाया गया है कि पॅजीकरण होने के उपरान्त सीधे ही कार्य कम्प्यूटर पर लिया जायेगा । विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दि0 23.9.86 से 25.9.86 तक कम्प्यूटर की जानकारी भी कराई गई थी ।

उपरोक्त कम्प्यूटर की महत्ता को देखते हुए एक अधिक क्षमता वाला कम्प्यूटर के माध्यम से जन समुदाय को अपने प्रश्नो का उत्तर तुरन्त देने में सुविधा होगी । साथ ही इंजीनियरिंग तथा डिजाईनिंग में भी उक्त

क्रमशः.....

कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा सकेगा । दि0 29.1.87 को उपरोक्त कम्प्यूटर का उदघाटन आयुक्त लखनऊ मंडल एंव अध्यक्ष ल0वि0प्रा0 के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ । इस कम्प्यूटर के अन्तर्गत सभी योजनाओं में प्रारंभिक जानकारी सीधे ही टरमिनल पर प्राप्त की जा सकेगी । भविष्य में लाटरी भी इसी कम्प्यूटर द्वारा निकाले जाने का प्रस्ताव है तथा प्राप्त धनराशि एंव वितय की धनराशि को भी सुगमता पूर्वक जाना जा सकेगा ।

19. सस्ती दुकानों का निर्माण

19.1 लखनऊ नगर में विभिन्न स्थानों पर एंव नव विकसित कालोनियों में छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकाने खोल लेते है, जो सामान्यत: सड़को पर होती है, जिससे आवागमन में वाधा उत्पन्न होती है । अत: ल0वि0प्र0 ने निर्णय लिया है कि नगर के अन्दर जहाँ पर सड़कों के किनारे स्थान उपलब्ध है, उन पर सघल दुकानो का निर्माण किया जायेगा । आवंटी से केवल निर्माण लागत ली जायेगी और भूमि का कोई मूल्य नहीं लिया जायेगा । नवकिसित कालोनियों में ल0वि0प्रा0 द्वारा उपरोक्त प्रकार की दुकानो का निर्माण सड़को के किनारे निर्दिष्ट स्थानों पर सस्ती दुकानो बनाई जायेगी जिससे कि छोटे छोटे दुकानदार अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार दुकाने ले सके ।

19.2 गोमती नगर की रमणीक योजनायें

गोमती नदी व गोमती नगर योजना के बीच लगभग 800 एकड़ भूमि के विकास हेतु एक योजना बनाई गई है, यह योजना गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित है :-

क. गोमती बन्धो तट, बन्धा बैराज से दिलकुशा तक 30 मी0चौड़ें बाँधा का निर्माण व उसके ऊपर काफी चौड़ी सड़क का निर्माण ।

ख. लामार्टीनियर क लेज के सामने पुल का निर्माण व पुल से कालीदास मार्ग से हजरतगँज को सीधा गोमती नगर से मिलाना ।

ग. कुकरैल नाले को निशातगँज से सीधे गोमती नदी से मिलाना व वहीं पर पुल का निर्माण ताकि निशातगँज को पेपर मिल से गोमती नदी में मिलाया जा सके ।

इस क्षेत्र में इन्दिरा गाँधी मेमोरियल हेतु 100 एकड़ भूमि, प्रदर्शनी स्थल हेतु 70 एकड़ भूमि भी आरक्षित कर दी गई है ।इस क्षेत्र को हरा भरा व आकर्षिक बनाने के उदेश्य से 300 एकड़ ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें विभिन्न प्रकार के आकर्षक पेड़ो का रोपण कियाजायेग । इसके साथा साथ अनेक स्थान पर बड़े बड़े पार्क, झील व क्रीड़ा स्थल भी विकसित कियाजाना प्रस्तावित है ।

क्रमश:....

19.3 दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सहायता

इस संस्था में दो सामाजिक कार्य कर्ताओं की नियुक्ति की गई है, जो नगर के विभिन्न स्थानो पर जाकर वहाँ के निवासियों से सम्पर्क करते है । इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गाजीउद्दीन हैदर कैनाल योजना में बसी हुई मलिन बस्ती में जाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य कर रहे है । इस उसके पश्चात अन्य स्थानों पर कार्य प्रारंभ करेगें ।

20. नियोजन के सम्बन्ध में

दैनिक कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित महात्वपूर्ण योजनाओं में नियोजन का कार्य प्रस्तावित है :-

क. सीतापुर रोड़ (पश्चिम)

ख. हरदोई रोड़

ग. कैटिल कोलोनी हरदोई रोड़, गोमती नगर, बिजनौर रोड़,

घ. व्यवसायिक केन्द्र :- गोमती नगर (टाइन सेन्टर), सेक्टर "बी" कानपुर रोड़ तथा सेक्टर डी-1, कानपुर रोड़ तथा

ड. सेक्टर "ई" (सीतापुर रोड़)

21. नगर के अन्दर तथा बाहर वातावरण में सुधार:-

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नगर के अन्दर अनेक छोटे पार्को के अतिरिक्त बड़े बड़े पार्को जैसे गौतम बुध्दा पार्क, हाथी पार्क, नीबू पार्क, गुलाब वाटिका तथा सूरज कुण्ड का विकास किया हैं जिससे नगर वासियो को मनोरंजन तथा सुन्दर वातावरण प्राप्त हुआ हैं। नगर के बाहरी क्षेत्र में कानपुर रोड के सेक्टर "एल" में 100 एकड़ भूमि पर झील व पार्क का विकास वन विभाग की सहायता से प्रस्तावित हैं साथ ही विपिन खाण्ड , गोमती नगर योजना में इसी प्रकार की योजना 300 एकड़ भूमि पर वन विभाग की सहायता से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य योजनओ में बड़े बड़े क्षेत्रो में जो हरित पट्टी के रूप में आरक्षित हैं में सघन वृक्षारोपण की योजना प्रस्तावित हैं।

22. कार्य-कलापो का पुर्ननिधारण:-

22.1- इसके अन्तर्गत नगर में स्थिति विभिन्न प्रकार की मंडियो जैसे गल्ला सब्जी फल, वन लकड़ी, बांस बल्ली, इत्यादि को नगर के अन्दर से स्थानातरित करके नगर के बाहरी क्षेत्रो के मुख्य मार्गो पर पुर्नस्थापित किये जाने का प्रस्ताव हैं। प्रथम चरण में नवी उल्ला रोड पर जो बांस बल्ली तथा मरम्मत आदि की दुकाने अनाधिकृत रूप से स्थापित थी, उसको हटाकर सीतापुर रोड योजना में हाट मिक्स प्लान्ट के निकट पुर्नस्थापित किये जाने के सम्बधा में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

22.2 नगर के दुधारू पशुओ अर्थात डेरियो के रहने के कारण एक तो वातावरण दूषित रहता हैं तथा दूसरे आवागमन में अवरोधा उत्पन्न होता हैं अत: नगर की चारो दिशाओ में कैटिल कालोनी बनाया जाना प्रस्तावित हैं, जिसमें सस्ती दरो पर भूखाण्ड आवटित किये जायेगे।

22.3 नगर के अन्दर जो इमारती सामानो की दुकाने हैं उन्हे भी नव-विकसित योजनाओ में पुर्नस्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं । इस सम्बधा में गोमती नगर योजना में इस प्रयोजन हेतु क्षेत्र विकसित किया गया हैं, जिसमें भूखाण्ड भी आवटित किये जा चुके हैं। इस प्रकार अन्य योजनाओ में भी इसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित हैं ।

22.4 मिनिरल्स गोदाम व मिनिरल्स साइडिंग को भी नगर के अन्दरूनी भागो से हटाकर नवविकसित कालोनियो में पुर्नस्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।

22.5 स्वच्छ वातावरण नागरिको को देने की दृष्टि से नगर के अन्दर नवविकसित कालोनियो में पार्को का निर्माण किया गया हैं। परन्तु पार्को के रखारखाव का उत्तरदायित्व केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण पर ही हैं जिसके कारण पार्को का रखा रखाव भली भाति नही हो रहा हैं अत: इस सम्बधा में यह प्रस्ताव हैं कि जन समुदाय, विभिन्न संस्थाये/विभागो, विभिन्न समाजवादी संस्थाओ आदि का सहयोग प्राप्त किया जाये।

22.6 लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी नयी योजनओ में स्थान स्थान पर डस्ट बिन्स का निर्माण करेगा। प्रथम चरण में यह कार्य गोमती नगर योजना में प्रारम्भ कर दिया गया हैं ।

वर्ष 1985-86 में संभावित पूर्ण भवनों तथा वर्ष 1987-88में भवनों के निर्माण का लक्ष्य

क्रमांक	योजना का नाम	1985-86का स्पिलओवर	1986-87 का लक्ष्य	पुनरीक्षित लक्ष्य 1986-87	योग 3+5	1986-87का संभावित उपलब्धि	1986-87का स्पिलओवर	1987-88का लक्ष्य	योग 8+9	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	गोमती नगर	719	979	1219	1382	1614	268	-	268	
2.	कानपुर रोड	309	556	288	597	424	173	1285	1458	
3.	सीतापुर रोड	173	549	344	517	439	78	-	78	
4.	अन्य योजनायें	167	2439	~~2239~~ 2039	~~2406~~ 2206	~~2016~~ 1816	390	1204	1594	
		1368	4523	~~3390~~ 3090	× ~~5202~~ 5402	4293	909×	2489	3398	

×8 गोमती नगर योजना में 56 भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण नहीं किया जा सका।

नोट:- वर्ष 1987-88 हेतु जो प्रस्तावना अंकित की गई है उनके अतिरिक्त, स्वतः वित्त पोषित (रजिस्टर्ड) तथा डिपाजिट के विरूद्ध निर्माण होने वाले भवन अलग से निर्मित किये जायेंगे। जिनके लिए उक्त विवरण में प्रावधान उपस्थिति नहीं किये गये हैं।

क्र0सं0	योजना का नाम/भवन के प्रकार	खण्ड का नाम	वर्ष 1985-86 का स्पिल ओवर	वर्ष 1986-87 का लक्ष्य	वर्ष 1986-87 का पुनरीक्षित लक्ष्य	योग 4+6	वर्ष 86-87 की सभा-वित	वर्ष 86-87 का स्पिल ओवर	वर्ष 87-88 का लक्ष्य	योग 9+10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	गोमती नगर योजना									
	(अ) स्ववित्त पोषित									
	(1) ए-टाइप	विकास खण्ड	6	-	6	6	6	-	-	-
		विश्वास खण्ड	-	8	8	8	8	-	-	-
		विजय खण्ड	-	20	20	20	20	-	-	-
	(11) बी-टाइप	विश्वास खण्ड	-	5	5	5	5	-	-	-
		विजय खण्ड	15	-	-	15	15	-	-	-
		विकास खण्ड	*12	22	-	12	12	-	-	-
	(111) सी-टाइप	विवेक	4	-	-	4	4	-	-	-
		विश्वास	10	15	15	25	25	-	-	-
		विजय खण्ड	-	50	50	50	25	25	भूमि उपलब्ध नहीं हो सका।	25
		विकास खण्ड	34	34	-	34	-	-		-
	डी-1 टाईप	विवेक	5	-	-	5	5	-	-	
	डी-2 टाईप	विवेक	50	-	-	50	50	-	-	
	ई-टाइप	विवेक	-	-	100	100	100	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
(1)	किराया क्रय पद्धति									
	उच्च आय वर्ग	विशाल खण्ड		-				-	-	-
		विशाल खण्ड	84	80	80	164	124	40		40
	मध्यम आय वर्ग	विशाल खण्ड	44	-	-	44	44	-	-	-
		विनय खण्ड	118	-	-	118	98	20	-	20
		विरान खण्ड	-	*66	166	166	140	26	-	26
	निम्न मध्यम आय वर्ग	विशाल खण्ड	165	-	-	165	165	-	-	-
		विनय खण्ड	100	-	-	100	20	80	-	80
		विरान खण्ड	-	96	96	96	60	36	-	36
	अल्प आय वर्ग	विजय खण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
		विनय खण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
	ईडब्लूएस०	विशाल खण्ड	38	382	382	420	420	-	-	-
		विनय खण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
		विरान खण्ड	-	101	101	101	60	41	-	41
		विकास खण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
	साऊट एण्ड सर्विसेज	विकास खण्ड विवेक खण्ड	-	-	174	174	174	-	-	-
	पत्रकारों हेतु भवन किराया क्रय पद्धति									
	बी-टाइप	विनय खण्ड	30	-	-	30	30	-	-	-
	सी-टाईप	विनय खण्ड	4	-	-	4	4	-	-	-
			719	979	1219	1916	1614	268	-	268
						(-) 34				
						1882				

क्र0	योजना का नाम/भवन का प्रकार	खण्ड का नाम	वर्ष 1985-86 का स्पिल ओवर	वर्ष 1986-87 का लक्ष्य	वर्ष 1986-87 का पुनरीक्षित लक्ष्य	योग	वर्ष 86-87 की उपलब्धि	वर्ष 1986-87 का स्पिल ओवर	वर्ष 87-88 का लक्ष्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11
कानपुर रोड योजना										
	स्वावित्त पोषित									
	एस टाइप	सेक्टर "डी"	–	–	–	–	–	–	–	–
	बी टाइप	सेक्टर "डी"	–	28	28	28	28	–	–	–
	सी टाइप	सेक्टर "डी"	20	72	4	24	24	–	–	–
	डी-2 टाइप	सेक्टर "डी"	15	–	–	15	15	–	–	–
	ई-टाइप	सेक्टर "डी"	–	56	56	56	56	–	–	–
		सेक्टर "डी-1	75	–	–	75	62	13	–	13
	किराया क्रय पद्धति									
	उच्च आय वर्ग	सेक्टर "जी"	–	50	–	–	–	–	–	–
		सेक्टर "एच"	–	–	–	–	–	–	–	–
	मध्यम आय वर्ग	सेक्टर "जी"	160	–	–	160	–	160	–	160
	अल्प आय वर्ग	सेक्टर डी-1	–	–	–	–	–	–	–	–
	ईडब्ल्यूएस0	एच	–	–	–	–	–	–	200	200
	साइट एण्ड सर्विसेज	सेक्टर-जी-एच	–	200	200	200	200	–	1000	1000
	एमआईजी0-1	सेक्टर-डी-1	15	–	–	15	15	–	–	–
	एमआईजी0-11	सेक्टर-डी-1	24	–	–	24	24	–	–	–
	सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट एम्पलाइज स्कीम									
	किराया क्रय पद्धति									
	ए-टाइप	सेक्टर "ई"								
	बी-टाइप	सेक्टर "ई"								
	सी-टाइप	सेक्टर "ई"								
	उच्च आय वर्ग	सेक्टर "ई"								
	ईडब्ल्यूएस पोषित किराया क्रय पद्धति									
	उच्च आय वर्ग	सेक्टर "एम"								
	ईडब्ल्यूएस0	सेक्टर "एम"								
	रेल नगर योजना									
	स्वावित्त पोषित ए, बी, सी, टाइप			150	–	–	–	–	85	85
			309	556	288	597	424	173	1285	1458

योजना का नाम/भवनों का प्रकार	खण्ड का नाम	वर्ष 85-86 का स्थिल ओवर	वर्ष 86-87 का लक्ष्य	वर्ष 1987-88 का पुनरीक्षित लक्ष्य	योग	वर्ष 86-87 की सम्भावित उपलब्धि	वर्ष 86-87 का स्थिल	वर्ष 87-88 का लक्ष्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
सीतापुर रोड योजना									
स्वावित्त पोषित									
बी-टाईप	सेक्टर-ए/बी	16	47	-	16	16	-	-	-
सी-टाईप	सेक्टर-सी	17	150	150	167	89	78	-	78
डी-टाईप	सेक्टर-सी	7	-	-	7	7	-	-	-
ई-टाईप	सेक्टर-सी	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ-टाईप	सेक्टर-सी	-	-	-	-	-	-	-	-
मिनी एम0आई0जी0/ एम0आई0जी0	सेक्टर-ए/बी	35	52	194	229	186 43	-	-	-
किराया क्रेय पद्धति									
मध्यम आय वर्ग	सेक्टर-सी	90	-	90	90	90	-	-	-
अल्प आय वर्ग	सेक्टर-सी	-	-	-	-	-	-	-	-
ई0डब्ल्यू0एस0	सेक्टर-ए/सी	8	-	0	8	8	-	-	-
साइट एण्ड सर्विसेज	सेक्टर-सी	-	300	-	-	-	-	-	-
		173	549	344	517	439	78	-	78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
अन्य योजनायें:-									
हाता रसूल बाँध स्ववित्तपोषित योजना		3	–	–	3	3	–	–	–
लाल फ्लास योजना		144	–	–	144	–	144	–	148
मोती झील योजना		–	–	–	–	–	–	–	–
नेपियर रोड योजना		–	–	–	–	–	–	–	–
राम नगर योजना									
मध्यम आय वर्ग स्वावित्त पोषित योजना		20	–	00	20	11	9	–	9
मिनी एम0आई0जी0		–	91	91	91	87	4	–	4
साइट एण्ड सर्विसेज-आजादनगर		–	–	–	–	–	–	–	–
ई0डब्लू0एस0		–	–	–	–	–	–	–	–
बजीर हसन रोड									
मिनी एम0आई0जी0		–	–	–	–	–	–	–	–
ई0डब्लू0एस0		–	–	–	–	–	–	–	–
टिकैतराय तालाब आवासीय योजना									
स्ववित्त पोषित	ए-टाइप	–	88	88	88	20	68	-8	68
	बी-टाईप	–	136	136	136	55	81	–	81
	सी-टाइप	–	88	88	88	24	64	–	64
	डी-टाइप	–	36	36	36	16	20	–	20
किराया क्रय पद्धति-एम0आई0जी0		–	–	–	–	–	–	–	–
	एम0आई0जी0-I	–	–	–	–	–	–	–	–
	एम0आई0जी0-II	–	–	–	–	–	–	–	–
	एल0आई0जी0	–	–	–	–	–	–	–	–
विभिन्न योजनाओं में साइट एण्ड सर्विसेज के भूखण्ड		–	2000	1800 ~~1600~~	1800 ~~1600~~	1800 ~~1600~~	–	1200	1200
		167	2439	~~2039~~ 2239	~~2206~~ 2406	~~1816~~ 2016	390	1204	1594

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

19

मूल बजट 1987-88 के आय पक्ष के अनुमान

1- अलीगंज गृह निमार्ण-योजना

सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक आँकड़े 31.1.87	मूलबजट 1987-88
क.	प्रारम्भिक अवशेष	-	-	20,00,000
क.	अपने श्रोतो से आय			
	1- लीज रेन्ट	24,90,000	49,25,721	50,00,000
	2- किराया क्रयकिश्तें	32,14,000	60,27,844	90,00,000
	3- अन्य किराये			
	क. दुकानों का किराया	2,00,000	-	1,50,000
	ख. भवन-चित्र शुल्क	1,10,000	-	75,000
	योग:	60,14,000	1,09,53,565	1,42,25,000
	4- अन्य आय			
	क. विलेखों पर शुल्क	50,000	-	-
	ख. विविध प्राप्तियाँ	1,00,000	5,09,329	2,00,000
	योग:	1,50,000	5,09,329	2,00,000
	5- भूमि की बिक्री से आय			
	1- पूर्ण विक्रय	10,00,000	45,85,277	37,50,000
	योग:	10,00,000	45,85,277	37,50,000
	6- भवनों की बिक्री से आय			
	1- भवनों का पूर्ण विक्रय	5,00,000	15,51,984	42,50,000
	2- किराया क्रय आधार पर	4,00,000	6,95,268	22,00,000
	योग:	9,00,000	22,47,252	64,50,000
7-	व्यवसायिक केन्द्र से आय	30,00,000	3,91,871	16,00,000
	महायोग	1,10,64,000	1,86,87,294	2,62,25,000
8-	छटाये ओवरहेडचार्ज/अधांदास	5,00,000	5,00,000	50,00,000
	महायोग	1,05,64,000	1,81,87,294	2,12,25,000

महायोग अवशेष सहित	1,05,64,000	1,81,87,294	2,32,25,000

अन्चित खाता

खण्डों का अवशेष:	15,00,000	–	14,00,000
1– कर्मचारियों के भावष्यानिधि/ बीमे इत्यादि से प्राप्तियाँ	50,000	–	10,000
2– डिपाजिट कार्यों हेतु प्राप्त	41,00,000	–	–
3– स्टोर, प्राप्ति	–	–	50,000
4– ठेकेदारों की प्रतिभूति	–	–	1,00,000
5– अन्य उच्चत आय	10,00,000	21,467	5,00,000
6– योजना से प्राप्त अग्रिमरूप में	–	–	–
	66,50,000	21,467	20,50,000

2- मानसरोवर§कानपुर रोड योजना§

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
555				
क.	प्रारम्भिक अवशेष			20,00,000
	अपने श्रोतों से आय			
	1- लीज रेन्ट	3,85,000	37,02,878	40,00,000
	2- किराया क्रय किश्तें	51,00,000	43,02,332	50,00,000
	3- अन्य किराये/शुल्क	1,00,000	-	-
	योग:	55,85,000	80,05,210	1,20,00,000
	4- अन्य आय			
	क. विलेखों पर शुल्क	3,50,000	-	2,00,000
	ख. विविध प्राप्तियाँ	2,00,000	9,27,146	13,00,000
	योग:	5,50,000	9,27,146	15,00,000
	5- भूमि की बिक्री से आय			
	1- पूर्ण विक्रय	4,10,00,000	1,70,83,401	2,90,00,000
	2- किराया क्रय आधार पर	40,00,000	-	-
	योग:	4,50,00,000	1,70,83,401	2,90,00,000
	6- भवनों की आय			
	1- भवनों का पूर्ण विक्रय	1,90,00,000	1,73,75,845	1,50,00,000
	2- किराया क्रय आधार पर	60,00,000	46,54,886	50,80,000
	योग:	2,50,00,000	2,20,30,731	2,00,80,000
	7-व्यवसायिक केन्द्र से आय	30,00,000	1,07,766	50,00,000
	महायोग	7,90,85,000	4,81,54,254	6,75,80,000
	क. ओवरहैड/सी0अंशदान §-§	50,00,000	1,00,00,000	1,20,00,000
	ख. उचन्त खाते को स्थानान्तरित	-	(→) 21,01,150	-
	महायोग	7,40,85,000	3,60,53,104	5,55,80,000
	ऋण तथा अनुदान			
	1- शासन से अनुदान	-	-	-
	2- शासन से ऋण	25,00,000	3,10,00,000	50,00,000
	3- संस्थागत ऋण	4,40,00,000	7,62,47,000	5,00,00,000
	4- बैंक ऋण/आगम	-	-	-
	5- अन्य	-	-	-
	योग:	4,65,00,000	10,72,47,000	5,50,00,000
	अवशेषसहित महायोग	12,05,85,000	14,33,00,104	11,35,80,000

अन्यत खाता

खण्डों का अवशेष=	28,00,000	–	28,00,000
1– कर्मचारियों के भविष्य निधि/ बीमे इत्यादि से प्राप्तियां	50,000	–	10,000
2– शासन से ऋण	–	2,00,00,000	–
3– अन्य उचन्त आय	7,00,000	–	5,00,000
4– विनियोग का आहरण	–	1,85,00,000	–
5– ठेकेदारों की डिपाजिट	–	–	50,000
6– स्थानान्तरित आय से	–	21,01,150	–
योग:	35,50,000	4,06,01,150	33,60,000

3- गोमती नगर योजना

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	संशो बजट 1987-88
	प्रारम्भिक अवशेष		47,93,008	50,00,000
क.	अपने श्रोतो से आय			
	1- लीज रेन्ट	2,25,000	12,69,231	15,00,000
	2- किराया क्रय किश्तें	80,00,000	2,20,771	25,00,000
	3- अन्य किराये/शुल्क	1,50,000	-	50,000
	योग:	83,75,000	14,90,002	40,50,000
	4- अन्य आय			
	क. विलेखों पर शुल्क	5,00,000	-	4,00,000
	ख. विविध प्राप्तियाँ	4,00,000	18,11,288	5,00,000
	योग	9,00,000	18,11,288	9,00,000
	5- भूमि की बिक्री से आय			
	1- पूर्ण विक्रय	7,00,00,000	7,39,83,201	7,20,00,000
	2- किराया क्रय आधार पर	2,00,00,000	-	-
	योग:	9,00,00,000	7,39,83,201	7,20,00,000
	6-भवनों की आय			
	1- भवनों का पूर्ण विक्रय	3,00,00,000	1,43,46,295	3,50,00,000
	2- किराया क्रय आधार पर	1,84,00,000	36,95,682	1,52,64,000
	योग	4,84,00,000	1,80,41,977	5,02,64,000
	7- व्यवसायिक केन्द्र से आय	75,00,000	79,03,823	40,00,000
	योग:	15,51,75,000	10,32,30,291	13,12,14,000
	क- ओवरहेड/सी0अंशदान(-)	75,00,000	-	1,00,00,000
	योग:	14,76,75,000	1032,30,291	12,12,14,000
	उचन्त खाते से स्थानान्तरित	-	46,31,835	-
	महायोग	14,76,75,000	10,78,62,126	12,12,14,000
ख.	ऋण तथा अनुदान			
	1- शासन से अनुदान	-	-	-
	2- शासन से ऋण	-	2,10,00,000	50,00,000
	3- संस्थागत ऋण	3,50,00,000	4,25,24,000	4,50,00,000
	योग	3,50,00,000	6,35,24,000	5,00,00,000
	महायोग(क+ख)	18,26,75,000	17,13,86,126	17,12,14,000
	महायोग(अवशेष सहित)	18,26,75,000	17,61,79,134	17,62,14,000

अन्वत खाता

खण्डों का प्रा०अवशेष	42,00,000		42,00,000
1– कर्मचारियों के भविष्यनिधि/ बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	1,50,000		30,000
2– विनियोगों का आहरण	2,00,00,000	2,65,00,000	–
3– अन्य उचन्2 आय	20,00,000	23,51,511	20,00,000
4– योजना से स्थानान्तरण	———	———	———
योग:	2,63,50,000	2,88,51,511	62,50,000
5– लेखों का स्थानान्तरण	–	46,31,835	–
महायोग	2,63,50,000	2,42,19,676	62,50,000

4–सीतापुर रोड योजना

मदसं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987–88
	प्रारम्भिक अवशेष		24,00,000	5,00,000
क.	अपने श्रोतों से आय			
	1– लीज रेन्ट	2,06,000	2,94,668	5,90,000
	2– किराया क्रय किश्तें	25,00,000	76,823	10,00,000
	3– अन्य किराये/शुल्क	1,52,000	–	50,000
	योग:	28,58,000	3,71,491	16,40,000
	4– अन्य आय			
	क. विलेखों पर शुल्क	2,10,000	–	1,00,000
	ख. विविध प्राप्तियाँ	3,00,000	17,011	5,00,000
	योग:	5,10,000	17,011	6,00,000
	5– भूमि की बिक्री से आय			
	1– पूर्ण विक्रय	3,20,00,000	3,18,15,684	2,00,00,000
	2– किराया क्रय आधारपर	46,00,000	3,18,282	50,00,000
	योग	3,66,00,000	3,21,33,966	2,50,00,000
	6– भवनों की आय			
	1– भवनों का पूर्ण विक्रय	2,10,00,000	2,66,68,222	1,26,00,000
	2– किराया क्रयआधार पर	65,00,000	31,11,884	27,10,000
	योग:	2,75,00,000	2,97,80,106	1,53,10,000
	7– व्यवसायिक केन्द्र से आय	–	18,540	10,00,000
	योग:	6,74,68,000	6,23,21,114	4,35,50,000
	उचन्त खाते कोहस्तानान्तरित	–	5,40,684	–
	ओवरहेड/सी0हेतु (–)	30,00,000	–	(–) 50,00,000
	महायोग	6,44,68,000	6,17,80,430	3,85,50,000
ख.	ऋण तथा अनुदान			
	1– शासन से अनुदान	–	–	–
	2– शासन से ऋण	–	–	1,00,00,000
	3– संस्थागत ऋण	1,50,00,000	1,31,96,000	4,00,00,000
	4– बैक ऋण/आगम	–	–	–
	5– अन्य	–	–	–
	योग	1,50,00,000	1,31,96,000	5,00,00,000
	महायोग (क+ख)	7,94,68,000	7,49,76,430	8,85,50,000
	महायोग (अवशेष सहित)	7,94,68,000	7,73,76,430	8,90,50,000

ट
अन्यत खाता

खण्डों का अवशेष	11,04,000		11,04,000
1– कर्मचारियों के भविष्यनिधि/ बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	75,000	–	25,000
2– विनियोगों का आहरण	1,00,00,000	–	50,00,000
3– अन्य उचन्त आय	10,00,000	8,74,812	5,00,000
4– योजना से अग्रिम	20,00,000	5,40,684	50,00,000
5– आय से स्थानान्तरित	–	–	–
महायोग	1,41,79,000	14,15,496	1,16,29,000

5:- हाता रसूल खाँ योजना :-

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.1987 तक	बजट 1987-88
क.	अपने श्रोतों से आय			
1.	लीज रेन्ट	05,000	-	50,000
2.	किराया क्रय किश्तें	12,000	-	10,000
3.	विविध प्राप्तियाँ	1,40,000	1,000	15,000
	योग:	157,000	1,000	75,000
4.	भवनों की आय			
1.	भवनों का पूर्ण विक्रय	20,00,000	1,59,700	5,00,000
2.	किराया क्रय आधार पर	5,00,000	-	-
	योग:-	25,00,000	1,59,700	5,75,000
	महायोग:	26,57,000	1,60,700	5,75,000

ब- अचक्त खाता -:

1.	कर्मचारियों के भविष्य निधि/ बीमें, इत्यादि से प्राप्तियाँ	10,000	-	10,000
2.	अन्य उचन्त आय	2,00,000	-	1,00,000
3.	योजना से स्थानान्तरण	5,00,000	-	30,000
	योग:-	7,10,000	-	1,40,000

6- ला-प्लास गृह निर्माण योजना :-

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुदान 1986-87	वास्तविक 31.1.1987	बजट 1987-88
क.	अपने श्रोतों से आय:-			
1.	लीज रेन्ट	50,000	-	50,000
2.	विविध प्राप्तियाँ	50,000	-	50,000
3.	अन्य शुल्क (विलोखों पर)	3,00,000	-	1,50,000
	योग:	4,00,000	-	2,50,000
	भूमि की बिक्री से आय			
1.	पूर्ण विक्रय		83,01,550	25,00,000
	योग:	-	83,01,550	25,00,000
4.	भवनों की आय:-			
1.	भवनों का पूर्ण विक्रय	10,00,000	3,07,500	70,00,000
	योग:	10,00,000	3,07,500	70,00,000
5.	उचन्त खाते को अग्रिम विनियोग हेतु स्थानान्तरण	(5) -	-	-
	महायोग-	14,00,000	86,09,050	97,50,000

-: उचन्त आय :-

1.	कर्मचारियों के भविष्य निधि/बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	50,000	-	10,000
2.	ठेकेदारों की प्रतिभूति	10,00,000	-	3,00,000
3.	अन्य उचन्त आय	15,00,000	-	10,00,000
4.	योजना से स्थानान्तरण			
	योग:-	25,50,000	-	13,10,000

7:- बटलर पैलेस योजना :-

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
क.	अपने श्रोतों से आय :-			
1.	लीज रेन्ट	–	–	–
2.	किराय क्रय किश्तें	–	"	–
3.	अन्य आय:-			
क.	विलेखों पर शुल्क	2,00,000	–	5,[illegible]
ख.	विविध प्राप्तियाँ	1,00,000	–	50,000
	योग:-	3,00,000	–	50,000
4,	भवनों की आय:-			
1.	भवनों का पूर्ण विक्रय	50,00,000	–	1,00,00,000
	योग:-	50,00,000	–	1,00,00,000
	महायोग :-	53,00,000	–	1,00,50,000
	-: उचन्त खाता :-			
ग.				
1.	कर्मचारियों के भविष्य निधि/ बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	05,000	–	50,000
2.	ठेकेदारों की प्रतिभूति	1,00,000	–	50,000
3.	अन्य उचन्त आय	2,00,000	–	–
4.	योजना से अग्रिम	–	–	–
	योग(ग)	3,05,000	–	1,00,000

8:- टिकैत राय तालाब योजना :-

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
क.	अपने श्रोतों से आय			
	प्रारम्भिक अवशेष	14,54,000		28,00,000
1.	नीज रेन्ट	50,000	–	5 00,000
2.	किराया क्रय किश्तें	6,75,000	–	–
3.	अन्य किराये/शुल्क	50,000	–	–
	योग:	7,75,000	–	5,00,000
4.	अन्य आय			
क.	विलेखों पर शुल्क	1,75,000	–	1,00,000
ख.	विविध प्राप्तियाँ	75,000	–	2,00,000
	योग:	2,50,000	–	3,00,000
5.	भूमि की बिक्री से आय			
6.	भवनों की आय			
1.	भवनों का पूर्ण विक्रय	1,75,00,000	1,11,64,075	90,00,000
2.	किराया क्रय आधार पर	90,00,000	8,14,754	10,00,000
	योग:	2,65,00,000	1,19,78,829	1,00,00,000
7.	व्यवसायिक केन्द्र से आय:	–	–	–
	योग:	2,75,25,000	–	1,08,00,000
	ओवर हेड/सौ0चार्ज (-)	11,97,000	–	–
	महायोग :-	2,63,28,000	1,19,78,829	1,08,00,000
ख.	ऋण तथा अनुदान			
1.	शासन के ऋण			
2.	संस्थागत ऋण	1,50,00,000	41,18,000	1,00,00,000
	योग:-	1,50,00,000	41,18,000	1,00,00,000
	महायोग (प्रा. अव. सहित)	4,13,28,000	1,75,50,829	2,36,00,000

:: उचन्त खाता ::

1.	कर्मचारियों के भविष्य निधि/बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	50, 000	–	10, 000
2.	ठेकेदारों की प्रतिभूति	3, 50, 000	–	–
3.	अन्य उचन्तम आय	5, 00, 000	–	5, 00, 000
4.	योजना से अग्रिम	10, 00, 000	–	–
	योग–ग–	19, 00, 000	–	5, 10, 000

9 आजाद नगर योजना

मद सं.	मदों का विवरण	बजट अनुमान- 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
क.	अपने श्रोतों से आय			
	1. लीज रेन्ट	75,000	-	24000
	2. किराया क्रय किश्तें	95,000	-	50,000
	योग-	1,70,000	—	74,000
	3. अन्य आय			
	क. विलेखों पर शुल्क	-	-	-
	ख. विविध प्राप्तियाँ	50,000	-	10,000
	योग-	50,000	—	10,000
	4. भूमि की बिक्री से आय			
	1. पूर्ण विक्रय	1,00,000	-	50,000
	योग-	1,00,000	—	50,000
	5. भवनों की आय			
	1. भवनों का पूर्ण विक्रय			
	2. किराया क्रय आधार पर	5,00,000	19035	800,000
	योग-	5,00,000	19035	800,000
	महायोग-	8,20,000	19035	934,000
ख,	उचन्त खाता			
	1. कर्मचारियों के भविश्य निधि/बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	05,000	—	-
	2. अन्य उचन्त आय	50,000	—	10,000
	3. अग्रिम (गोमतीनगरसे)			
	योग-	55,000	—	10,000

10 हरदोई रोड योजना

मद सं.	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	बजट अनुमान 1987–88
क.	अपने श्रोतों से आय			
	1. लीज रेन्ट	–	–	50,000
	2. किराया क्रय किश्ते	–	–	10,000
	3. अन्य आय	–	–	–
	योग–			60,000
	4–भूमि की बिक्री से आय			
	1. पूर्ण विक्रय	3,00,000	–	16,00,000
	योग–	3,00,000	–	16,00,000
	5–भवनों की आय			
	1. भवनों का पूर्ण विक्रय	2,00,000	–	5,50,000
	योग–	2,00,000	–	5,50,000
	महायोग–	5,00,000	–	22,10,000
	उचन्त खाता			
	1. डिपाजिट कार्यों हेतु प्राप्त			
	2. ठेकेदारों की प्रति भूति			
	3. अन्य उचन्त आय	–	–	1,00,000
	4. योजनामे स्थान्त्रण	10,00,000	–	–
	योग–	10,00,000	–	1,00,000

11. राम नगर गृह निर्माण योजना:-

मद संख्या	मदों का विवरण	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87तक	मूल बजटअनुमान 1987-88
1.	लीज रेन्ट	-	-	84, 000
2.	किराया किस्तों के आधार पर	-	-	20, 000
3.	अन्य आय	1, 00, 000	-	5, 000
	योग-	1, 00, 000	-	1, 09, 000
4.	भावनों की बिक्री			
	1. पूर्ण विक्रय पर	100, 00, 000	9, 27, 807	40, 00, 000
	2. हायर परचेज पर	-	4, 64, 547	5, 00, 000
	योग-	100, 00, 000	13, 92, 354	45, 00, 000
5.	शासन से ऋण	-	-	-
6.	संस्थागत ऋण	-	-	-
	महायोग-	101, 00, 000	13, 92, 354	46, 09, 000
	उचन्त खाता			
1.	डिपार्टमेंट कार्य हेतु प्राप्ति	-	-	-
2.	अन्य उचन्त आय	-	-	-
3.	ठेकेदारों की प्रति भूति	-	-	-
4.	अग्रिम अन्य योजना से	-	-	24, 91, 000
	योग-	-	-	24, 91, 000

12. शारदा नगर योजना§ रायबरेली रोड§ 54

मद सं.	मदों का विवरण	मूल बजट 1986-87	वास्तविक×× 31.1.87 तक	मूल बजटअनुमान 1987-88
1.	भूमि की बिक्री से आय	–	–	600, 00, 000
2.	भवनों का विक्रय	–	–	–
3.	अन्य आय	–	–	–
	योग–	–	–	600, 00, 000
ख.	ऋण तथा अनुदान			
1.	शासन से ऋण	–	–	–
2.	संस्थागत ऋण	–	–	150, 00, 000
	योग–	–	–	750, 00, 000
	§–§ओवरहेड चार्ज	–	–	40, 00, 000
	महायोग –	–	–	710, 00, 000

13. रेल नगर गृह निर्माण योजना:-

मद सं.	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	बजट अनुमान 1987-88
क.	1-भूमि की			
	1. पूर्ण विक्रय	-	-	50,00,000
	8.			
	योग-	-	-	50,00,000
	2- भवनों से आय			
	1. भवनों का पूर्ण विक्रय	-	-	40,00,000
	2. किराया क्रय आधार	10,00,000	-	-
	3. अन्य आय	-	-	-
	योग-	10,00,000	-	40,00,000
	(क) महायोग-	10,00,000	-	90,00,000
ख.	ऋण तथा अनुदान=			
	1. शासन से ऋण	-	-	-
	2. संस्थागत ऋण	100,00,000	-	-
	(ख) योग-	100,00,000	-	-
	महायोग (क + ख)	110,00,000	-	90,00,000
	ग- उचन्त खाता			
	1. कर्मचारियों के भविष्य निधि/बीमा इत्यादि से प्राप्तियाँ	50,000	-	-
	2. अन्य उचन्त आय	5,00,000	-	2,00,000
	3. योजना से अग्रिम	10,00,000	-	-
	योग- (ग)	15,50,000	-	2,00,000

14- मोती झील योजना :-

मद सं०	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
क-1.	अपने श्रोतों से आय:-			
1.	लीज रेन्ट	2,10,000	-	55,000
2.	किराया क्रय किश्तें	5,11,000	-	3,00,000
3.	अन्य आय	2,15,000	-	1,00,000
	योग:	9,36,000	-	4,55,000
क-2.	भवनों से आय:-			
1.	भवनों का पूर्ण विक्रय	10,00,000	11,30,427	10,00,000
2.	किराया क्रय आधार	30,00,000	-	7,35,000
	योग:	40,00,000	11,30,427	17,35,000
	महायोग :	49,36,000	11,30,427	21,90,000
	उचन्त खाते से आय:	-	1,19,700	-
	महायोग:	49,36,000	12,50,127	21,90,000
ख.	ऋण तथा अनुदान :-			
1.	शासन से ऋण	-	-	-
2.	संस्थागत ऋण	10,00,000	-	-
	योग:	10,00,000	-	-
	महायोग :	59,36,000	12,50,127	21,90,000
	-: उचन्त खाता :-			
ग-1	अन्य उचन्त आय	-	1,19,700	5,000
2.	अग्रिम प्राप्ति	-	-	-
	आय को स्थानान्तरित योग:	-	1,19,700	5,000

15:- वजीर हसन रोड योजना :-

मद संख्या	आय की मदें	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	मूल बजट 1987-88
1.	भूमि की बिक्री से आय	–	–	–
2.	भवनों की बिक्री से आय	–	–	25,00,000
3.	अन्य आय	–	–	–
	योग:	–	–	25,00,000

16- अन्य छोटी योजनायें (मोती नगर, नैपियर रोड/हाते/इत्यादि

मद सं०	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	मूल बजट 1987-88
क-1.	अपने श्रोतों से आय:			
1.	लीज रेन्ट	-	90,659	64,000
2.	किराया क्रय किश्तें	-	-	2,40,000
3.	अन्य आय	-	2,850	1,00,000
	योग:	-	93,509	4,04,000
क-2	भूमि की बिक्री से आय:			
1.	पूर्ण विक्रय से	50,00,000	62,72,128	75,00,000
2.	किराया क्रय आधार पर	20,00,000	-	-
	योग:	70,00,000	62,72,128	75,00,000
क-3,	भवनों की आय:-			
1.	भवनों का पूर्ण विक्रय	60,00,000	24,44,801	40,00,000
2.	किराया क्रय आधार पर	15,00,000	5,66,299	10,00,000
	योग:	75,00,000	30,11,100	50,00,000
	उचन्त खाते से आय	-	2,000	-
	ओवर हेड चार्जेज	-	-	(-) 15,00,000
	योग:	1,45,00,000	93,78,737	114,04,000
ख.	ऋण तथा अनुदान :-			
1.	शासन से अनुदान	-	-	-
2.	शासन से ऋण	-	-	-
3.	संस्थागत ऋण	-	-	-
4.	बैंक ऋण/अग्रिम	-	-	-
5.	अन्य	-	-	-
	योग:	-	-	-
	महायोग :	1,45,00,000	93,78,737	114,04,000
ग-	उचन्त आय :-			
1.	अन्य उचन्त आय	-	2,000	-
2.	अग्रिम प्राप्ति	-	-	63,77,000
	योग:	-	2,000	63,77,000
	आय को स्थानान्तरित	-	2,000	

17- कैलाश कुंज योजना :-

मद सं०	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट
क-I भवनों से आय :-				
1.	भवनों का पूर्ण विक्रय	-	-	-
2.	किराया क्रय आधार पर	-	-	-
3.	अन्य	-	-	50,000
4.	व्यवसायिक केन्द्र से आय	30,00,000	14,560	60,00,000
	उचन्त खाते से आय (अग्रिम)			
	योग:	30,00,000	14,560	60,50,000
ख. ऋण तथा अनुदान :-				
1.	शासन से ऋण			
2.	संस्थागत ऋण			
	महायोग:	30,00,000	14,560	60,50,000

ग- उचन्त खाता :-

1.	कर्मचारियों के भविष्य निधि/ बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	50,000	-	-
2.	अन्य उचन्त आय	5,00,000	-	50,000
3.	योजना से स्थानान्तरण	10,00,000	-	-
	योग (ग)	15,50,000	-	50,000

18- हाट मिक्स प्लान्ट योजना :-

मद सं०	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
1.	प्राधिकरण कार्यों हेतु अग्रिम	10,00,000	-	-
2.	संस्थागत डिपाजिट कार्य			
क.	महापालिका			
ख ख.	अन्य	76,00,000	16,87,122	52,00,000
	योग:	86,00,000	16,87,122	52,00,000

19. व्यवसायिक केन्द्र जनपथ

मद सं.	मदों का विवरण	मूल बजट 1986-37	वास्तविक 31.1.37 तक	मूल बजट 1987-88
1.	दुकानों/ कार्यालय का किराया	28, 00, 000	9, 82, 384	28, 00, 000
2.	नई दुकानों का प्रीमियम	–	–	–
3.	अन्य	–	–	–
	कुल योग–	28, 00, 000	9, 82, 384	28, 00, 000

20:- व्यवसायिक केन्द्र छितवापुर :-

मद सं0	मदों का विवरण	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	मूल बजट 1987-88
1.	लीज रेन्ट	–	–	1,33,000
2.	दुकानों का किराया	–	–	1,00,000
3.	नई दुकानों के आवंटन से	40,00,000	20,46,546	60,00,000
4.	अन्य आय	–	–	50,000
	योग:	40,00,000	20,46,546	62,83,000

21- व्यवसायिक केन्द्र नीचू बाग

मद सं.	मदो का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87तक	मूल बजट 1987-88
1.	दुकानों/ कार्यालयो भवनों का किराया	-	-	-
2.	दुकानों के निर्माण (प्राईवेट बिल्डर्स से)	1,23,00,000	-	1,40,56,000
	योग-	1,23,00,000	-	1,40,56,000

22. व्यवसायिक केन्द्र कपूरथला:

मद संख्या	मदो का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	दिनांक 31.1.87	बजट अनुमान 1987-88
क-	1. भूमि का प्रीमियम	17,00,000	98951	2500000
	2. अन्य योजनाओं से अग्रिम			
	योग:-	17,00,000.	98951	2500000

23–व्यवसायिक केन्द्र सिन्डर्स डम्प

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987–88
1–	दुकानों तथा कार्यालय भवन का किराया	20,000	–	[illegible]
2–	नई दुकानों का प्रीमियम	25,00,000	173529	11,58,000
3–	लीज रेन्ट	–	–	40,000
	योग:	25,20,000	173529	11,98,000

24– व्यवसायिक केन्द्र नन्दा खेड़ा

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987–88
1–	दुकानों का किराया	–	–	–
2–	दुकानों का विक्रय	–	–	80,00,000
3–	अन्य आय	–	–	–
	योग:	–	–	80,00,000

25– अन्य छोटी योजनाऐं

§ निशात प्लेस केन्द्र तथा अन्य योजनाऐं §

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987–88
1–	दुकानों तथा कार्यालय भवन का किराया	1,00,000	–	–
2–	नई दुकानों से आय	30,00,000	2,573	30,00000
	योग:	31,00,000	2,573,	30,00000

26–विश्व बैंक परियोजना

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	पूल बजट 1987–88
5				
1–	शासन से ऋण			
	क– भूमि अर्जन	–	–	–
	ख– भूमि विकास हेतु	–	–	–
	ग– भवन निर्माण हेतु	–	–	–
	घ– अन्य	87,17,00,000	–	–
	योग:	87,17,00,000	–	60,00,000
2–	भूमि की विक्रय से			
3–	भवनों के विक्रय से			
	क– पूर्ण विक्री से	–	–	–
	ख– हायर परचेज से	–	–	–
	योग	–	–	–
4–	अन्य आय			
5–	अन्य योजनाओं से आगम	–	–	–
	महायोग:	87,17,00,000	–	60,00,000

27–कैश लोन योजना

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987–88
1–	क– ऋण			
	1– शासन से	–	–	–
	2– हुडको से	–	–	5,00,000
	3– बैंकों से	–	–	–
	ख– प्राधिकरण से अग्रिम	–	–	–
	योग:	–	–	5,00,000
2–	क– जनता से वसूली			
	1– ऋण की वसूली	–	–	40,000
	2– ब्याज की वसूली	–	–	60,000
	योग:	–	–	1,00,000
	ख– अन्य आय			
	1– लीज रेन्ट	–	–	–
	2– हायर परचेज की किस्तें	–	–	–
	3– अन्य आय	–	–	–
	योग:	–	–	–
	महायोग (1+2)	–	5	6,00,000

28–इन्द्रागाँधी मेमोरियल सांस्कृति केन्द्र 68/69

मद सं०	विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987–88
	प्रारम्भिक अवशेष	————	51,00,000	————
1–	शासन सेअनुदान			
	क– भूमि विक्रय हेतु	56,00,000	75,46,500	–
	ख– अन्य विकास कार्यहेतु	–	–	54,00,000
	ग– निमार्ण हेतु	————	————	————
	योग:	56,00,000	75,46,500	54,00,000
2–	अन्य आय			
	क– दुकानों से	–	–	–
	ख– विविध विक्री से	–	2,200	50,000
	योग,	–	2,200	50,000
35	डिपाजिट	–	–	–
4–	प्राधिकरण योजनाओं से अग्रिम	–	–	–
	महायोग	56,00,000	1,26,48,700	54,50,000

29- सामान्य आय/योजनागत आय के अतिरिक्त

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
	प्रारम्भिक अवशेष		1,32,37,057	1,10,00,000
1-	पुरानी योजनाओं से लीजरेन्ट	3,25,000	2,04,679	4,00,000
2-	पुरानी योजनाओं से किराया क्रय किस्तें	1,24,000	13,68,493	3,30,000
3-	भवनों का किराया	8,75000	9,99,362	10,50,000
	दुकानों का किराया			
1	नक्खास	2,00,000	63,475	1,75,000
2-	महानगर	1,60,000	2,58,831	1,50,000
3-	आई0टी0कालेज	1,25,000	18,890	2,00,000
4-	अन्य	1,75,000	40,945	2,00,000
	योग:	6,60,000	3,82,141	7,25,000

अन्य शुल्कों से आय/योजनाओं के अतिरिक्त

1-	भवन चित्र शुल्क	4,00,000	1,42,435	400,000
2-	तावान शुल्क	20,00,000	1,91,801	10,00,000
3-	अनुज्ञापित शुल्क	10,000	12,175	25,000
4-	अन्य (विकास शुल्क)	53,000	1,591	20,75,000
	योग:	24,63,000	3,48,002	35,00,000
6-	सौन्द्रीर्यकरण तथा अन्य सुधार कार्यों हेतु योजनाओं से अंशदान	1,03,50,000	50,00,000	1,44,00,000
7-	योजना से ओवर हेडचार्जेज	68,47,000	55,00,000	2,31,00,000
8-	अन्य प्राप्तियाँ			
	1- रेजीडेन्सी	30,000	41,044	30,000
	2- पार्कों से आय	5,50,000	2.89,390	5,00,000
	3- बाजार मांडयों से आय	5,50,000	54,806	4,00,000
	4- नजूल से अंशदान	4,80,000	-	5,00,000
	5- विविध प्राप्तियाँ	6,00,000	23,82,537	5,00,000
	6- स्टेम्प ड्यूटी अंशदान	-	16,79,304	5,00,000
	7- मल्बा चार्जेज	-	2,89,703	-
	योग:	22,10,000	48,36,784	24,30,000

ख- ऋण तथा अनुदान			
1- शासन से अनुदान	10,00,000	2,50,000	15,00,000
2- शासन से ऋण	-	11,66,100	-
महायोग	2,48,54,000	2,00,55,561	15,00,000
उचन्त खाते से स्थानान्तरित	-	6,99,052	-
प्रारम्भिक अवशेष		1,32,37,057	1,10,00,000
महायोग	2,48,54,000	3,39,91,670	5,84,35,000
उचन्त खाता			
1- खण्डों का अवशेष	12,00,000	12,05,141	5,00,000
2- कर्मचारियों से भविष्यनिधि/ बीमें इत्यादि से प्राप्तियाँ	1,00,000	-	-
3- डिपाजिट	10,00,000	4,62,335	5,00,000
4- ठेकेदारों की प्रतिभूति	5,00,000	58,708	-
5- अन्य उचन्त आय	10,00,000	13,06,954	10,00,000
6- योजनाओं से स्थानान्तरण	-	-	-
7-			
योग=	38,00,000	30,33,138	15,00,000
घ- अवशेष हस्तान्तरित	-	6,99,052	-
महायोग	38,00,000	23,34,086	20,00,000

मूल बजट 1987-88 के बजट अनुमान

व्यय पक्ष I. अलीगंज नगर ऐ सडक प्रसार योजना,

मद सं०	मदो का विवरण	मूल बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
1.	अनुषांगिक अधिष्ठान	10,00,000	2,86320	300000
2.	सांयोगिक व्यय	–	–	–
क.	पर्यवेक्षण आडिट फीस	1,00,000	–	200000
2.	विधि व्यय	10,000	5216	10000
3.	फर्नीचर	5,000	–	5000
4.	पाई का व्यय	5,000	–	15000
5.	लेखन सामग्री	20,000	–	20000
6.	बिजली / टेलीफोन	20,000	35788	20000
7.	वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	1,50,000	130689	50000
8.	कर्मचारियों को अग्रिम	1,00,000	89750	200000
9.	अन्य विधि व्यय	7,000	–	10000
		4,17,000	261443	530,000
3.	ऋणो का प्रतिदान			
क.	शासकीय ऋणो का प्रतिदान			
1.	मूल धन	30,00,000	–	51,00000
2.	व्याज धन	28,00,000	–	2925000
3.	विपदा निधि को अंशदान	7,20,000	799799	720000
ख.	संस्थागत ऋण			
1.	मूल धन	15,40,000	592000	900000
2.	ब्याज	17,30,000	888700	1200000
		97,90,000	2280499	10845000
4.	भूमि अर्जन	10,00000		
5.	भूमि विकास			
1.	भूमि सर्वेक्षण	35,000	–	–
2.	भूमि विकास	30,000	36140	10000
3.	मार्ग/ गलियाँ	40,00,000	1308406	40,00000
4.	नल नाले / नालियाँ	35,00,000	816172	5,00000
5.	जल व्यवस्था	5,00,000	2123548	10,00000
6.	रोशनी	10,00,000	1809346	500000
7.	पार्क	3,35,000	990558	5,00000

8. आकस्मिक व्यय	4,00,000	37579	100000
9. विकसित कार्यों का रखरखाव	2,00,000	552904	--
योग:-	100,00,000	7674653	66,10,000
6. भवनों का निर्माण			
1. हडको कम्पोजिट योजना	650,000	104089	100,000
2. शासकीय ऋणो से	-	-	-
3. अपने श्रोतो से			
1. दुर्बल आय वर्ग	-	-	--
2. ए० बी० सी० टाइप फ्लैट	-	1732	-
3. निम्न आय वर्ग गृह निर्माण	350,000	887070	500000
4. मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	30,00000	720991	1000000
5. उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	-	9829	-
	40,00,000	1723711	1600000
7. औद्योगिक केन्द्र / दुकानों/ कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण	10,00000	191192	500000
8. सौन्दर्यकिरण कार्य	5,00000	-	-
8. पार्कों / भवनों का रखरखाव	-	-	-
9. स्टोर का क्रय	5,00000	83101	100000
10. वाहनों / संयुत्रो का क्रय	-	-	-
11. वाहनों का रख रखाव/मरम्मत			
क. ईंधन पर व्यय	75,000	11217	75000
ख. अन्य रख रखाव	110,000	31413	200000
12. जनता को धन की वापसी			
क. भवन	50,000	17,5473	130000
ख. भूमि	75,000	21,3023	150000
ग. अन्य	25,000	6880	50000
योग:-	1,50,000	395376	330000
	285,42000	12938925	21090000

उद्वहन खाता :-

1. कर्मचारियों का भविष्य निधि/ बीमें इत्यादि का भुगतान	50,000	21468	10000
2. डिपाजिट कार्यों पर व्यय			
1. जनता	1300000	–	–
2. संस्थागत	4000000	–	–
3. अन्य	300000	–	–
3. विनियोग			
4. ठेकेदारों का प्रतिभूमि की वापसी	15,00000	–	–
5. अन्य उद्वहन व्यय	10,00000	–	2000000
6. ठेकेदारों की पंजीकरण शुल्क की वापसी	–		40000
7. अग्रिम की वापसी	–		–
	81,50,000	21468	2050000

2. मानसरोवर ॥ कानपुर रोड ॥ योजना

व्यय पक्ष

मद सं०	मदों का विवरण	मूल बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान
1.	अनुषांगिक अधिष्ठान	12,00,000	1353259	2379000
2.	सामयिक व्यय			
क.	पर्यवेक्षण आडिट फीस	2,00,000		300000
2.	विधि व्यय	50,000		60000
3.	फर्नीचर	25,000		25000
4.	छपाई का व्यय	25,000	231054	25000
5.	लेखन सामग्री	75,000	–	75000
6.	बिजली / टेलीफोन	10,000	–	10000
7.	वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	2,00000	71381	150000
8.	कर्मचारियों का अग्रिम	2,00000	391500	300000
9.	अन्य विविध व्यय	50000	304588	30000
10.	बैंक गारण्टी कमीशन	–	1342160	10,00000
		8,35,000	2340683	1975000
3.	ऋणों का प्रतिदान			
क.	शासकीय ऋणक का प्रतिदान			
1.	मूल धन	30,00,000	–	20755000
2.	ब्याज धन	62,36,000	2600000	8200000
3.	[illegible] निक्षेप निधि को अंशदान	14,40,000	1199697	1440000
ख.	संस्थागत ऋण			
4.	मूल धन	60,00,000	9360000	14000000
5.	ब्याज	70,00,000	9191811	13500000
ग.	बैंक अग्रिम की वापसी			
1.	मूल धन	–	15000000	–
2.	ब्याज	–	784571	–
	योग :-	241,46,000	38136079	57895000
4.	भूमि अर्जन	300,00,000	47500000	40000000
5.	भूमि विकास			
1.	भूमि सर्वेक्षण	200000	9802	50000
2.	भूमि विकास	1000000	749132	1000000
3.	मार्ग/गलियां	15800000	8679710	7000000
4.	नल जाले/ नालियां	9000000	3092139	3000000
5.	जल व्यवस्था	3000000	2731123	2000000
6.	रोशनी	4000000	2926555	4500000
7.	पार्क	1500000	894824	1950000
8.	आकस्मिक व्यय	500000	160692	500000
	योग:-	350,00000	1,9243977	2000000

6. भवनों का निर्माण:-			
1. हडको कम्पोजिट योजना	100,00,000	34,37,649	40,00,000
2. शासकीय ऋणों से	–	–	–
3. अपने श्रोतों से			
1. दुर्बल आय वर्ग	18,00,000	16,95,722	15,00,000
2. ए. बी. सी. टाइप फ्लैट	100,00,000	17,03,685	15,00,000
3. निम्न आय वर्ग गृह निर्माण	12,00,000	13,29,585	18,00,000
4. मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	40,00,000	17,90,488	10,00,000
5. उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	30,00,000	6,47,902	2,00,000
योग:	300,00,000	106,05,031	100,00,000
7. औद्योगिक केन्द्र/दुकानों/ क0 सेन्टर का निर्माण	25,00,000	–	5,00,000
8. सौन्दर्यीकरण तथा अन्य विकास	1,00,000	–	5,00,000
8. पार्कों/भवनों का रख-रखाव	–		[illegible]
9. स्टोर का क्रय	50,00,000	5,33,700	50,00,000
10. वाहनों/सयंत्रों का क्रय	–	–	10,000
11. वाहनों का रख-रखाव/मरम्मत			
क. ईधन पर व्यय	1,00,000	–	1,00,000
ख. अन्य रख-रखाव	75,000	51,925	75,000
	73,75,000	5,85,625	1,75,000
12. जनता को धन की वापसी			
क. भूवन	10,00,000	8,89,859	15,00,000
ख. भूमि	10,00,000	2,89,122	15,00,000
ग. अन्य	5,00,000	832	5,00,000
योग:	25,00,000	11,79,813	35,00,000
	13,14,56,000	12094467	14193400[illegible]

:: उचन्त खाता ::

1. कर्मचारियों का भविष्य निधि/ बीमें इत्यादि का भुगतान	50,000	–	10,000
2. विनियोग	–	3,000	–
3. ठेकेदारों का प्रतिभूति की वापसी	30,00,000	10598,550	–
4. अन्य उचन्त व्यय	10,00,000	–	33,00,000
5. ठेकेदारों की पंजीकरण शुल्क की वापसी	–	–	50,000
6. योजनाओं को अग्रिम वापसी	25,00,000	–	–
7. शासकीय ऋण व अन्य प्राधिकरणों को	8,00,000	200,00,000	–
	63,50,000	406,01,150	33,60,000

:: 3-क- गोमती नगर योजना :÷

मद सं०	मदों का विवरण	मूल बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1.	अनुपातिक अधिष्ठान	21, 75, 000	18, 07, 891	27, 37, 000
2.	सांयोगिक व्यय			
1.	पर्यवेक्षण आडिट फीस	1, 75, 000	–	2, 00, 000
2.	विधि व्यय	25, 000	2, 38, 610	1, 50, 000
3.	फर्नीचर	50, 000	–	50, 000
4.	छपाई का व्यय	50, 000	3, 10, 575	50, 000
5.	लेखन सामग्री	50, 000	–	50, 000
6.	बिजली/टेलीफोन	50, 000	25, 001	1, 00, 000
7.	वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	2, 00, 000	2, 40, 114	4, 00, 000
8.	कर्मचारियों का अग्रिम	3, 00, 000	3, 83, 243	3, 00, 000
9.	किराया	–	7, 500	10, 000
10.	अन्य विविध व्यय	1, 00, 000	1, 55, 292	1, 00, 000
11.	बैंक गारन्टी कमीशन	–	–	2, 90, 000
	योग:	10, 00, 000	13, 60, 335	17, 00, 000
3.	ऋणों का प्रतिदान			
क.	शासकीय ऋणों का प्रतिदान			
1.	मूल धन	–	–	10, 00, 000
2.	व्याज धन	–	–	28, 50, 000
3.	निक्षेप निधि को अंशदान	–	–	–
ख.	संस्थागत ऋण			
4.	मूल धन	62, 94, 000	45, 28, 000	60, 00, 000
5.	व्याज धन	48, 00, 000	42, 74, 830	55, 00, 000
	योग:	110, 94, 000	88, 02, 830	153, 50, 000
4.	भूमि अर्जन	400, 00, 000	580, 00, 000	500, 00, 000
5.	भूमि विकास			
1.	भूमि सर्वेक्षण	2, 00, 000	77, 682	5, 00, 000
2.	भूमि विकास	20, 00, 000	28, 69, 539	20, 00, 000
3.	मार्ग/गलियाँ	180, 00, 000	283, 05, 530	300, 00, 000
4.	नल नाले/नालियाँ	153, 00, 000	152, 26, 440	125, 00, 000
5.	जल व्यवस्था	90, 00, 000	55, 52, 940	75, 00, 000
6.	रोशनी	100, 00, 000	47, 52, 309	50, 00, 000
7.	पार्क	50, 00, 000	24, 06, 988	40, 00, 000
8.	आकस्मिक व्यय	5, 00, 000	3, 02, 087	10, 00, 000
	योग:	600, 00, 000	594, 92, 725	2500, 000

6.	भवनों का निर्माण			
1.	हडको कम्पोजिट योजना	50,00,000	18,63,331	20,00,000
2.	शासकीय ऋणों से	–	–	–
3.	अपने श्रोतों से			
1.	दुर्बल आय वर्ग	270,00,000	68,98,958	15,00,000
2.	ए0बी0सी0टाइप फ्लैट	200,00,000	87,17,553	55,00,000
3.	निम्न आय वर्ग गृह निर्माण	50,00,000	20,90,054	10,00,000
4.	मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	50,00,000	104,40,658	10,00,000
5.	उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	30,00,000	38,69,622	15,00,000
7.	औद्योगिक केन्द्र/दुकानों/ क0सेन्टर का निर्माण	450,00,000	338,80,176	125,00,000
7.	सौन्दर्यीकरण/अन्य विकास कार्य	25,00,000	2,65,814	15,00,000
8.	पार्कों/भवनों का रख-रखाव	–	–	–
9.	स्टोर का क्रय	75,00,000	130,85,098	50,00,000
10.	वाहनों/संयत्रों का क्रय	10,00,000	3,39,889	10,00,000
11.	वाहनों का रख-रखाव/मरम्मत			
क.	ईधन पर व्यय	2,00,000	–	1,00,000
ख.	अन्य रख-रखाव	2,00,000	90,321	1,00,000
12.	जनता को धन की वापसी			
क.	भवन	5,00,000	39,52,159	27,50,000
ख.	भूमि	5,00,000	14,47,102	17,50,000
ग.	अन्य	2,50,000	54,140	1,50,000
		12,50,000	54,53,401	46,50,000
13.	ओवर हेड चार्जेज			
14.	अन्य सुधार/सौन्दर्यीकरण हेतु अंशादान			
	योग:	17,19,19000	182578480	157137000

:: उचन्त खाता ::

1.	कर्मचारियों को भविष्य निधि/बीमें इत्यादि का भुगतान	1,50,000	–	–
2.	विनियोग	200,00,000	242,18,700	–
3.	ठेकेदारों का प्रतिभूति की वापसी	25,00,000	–	–
4.	अन्य उचन्त व्यय	20,00,000	118	42,50,000
5.	ठेकेदारों की पंजीकरण शुल्क की वापसी	–	–	–
6.	योजनाओं को अग्रिम	50,00,000	–	20,00,000
7.	अग्रिम	17,00,000	858	–
	योग:	313,50,000	242,19,676	62,50,000

ख- गोमती नगर विपिन खण्ड-योजना:-

मद सं०	मदों का विवरण	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	मूल बजट 1987-88
1.	विपिन खण्ड में विकास सम्बन्धी कार्य।	-	-	100,00,000
	योग:	-	-	100,00,000

4-क सीतापुर रोड योजना

व्यय पक्ष

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
1-	अनुषांगिक अधिष्ठान	10,00,000	12,41,448	13,00,000
2-	सांयोगिक व्यय			
	क. पर्यवेक्षक आडिट फीस	75,000	-	1,75,000
	ख. विविध व्यय	10,000	-	20,000
	ग. फर्नीचर	10,000	-	10,000
	4. छपाई का व्यय	10,000	85,505	10,000
	5. लेखन सामग्री	10,000	-	20,000
	6. बिजली/टेलीफोन	10,000	-	20,000
	7. वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	1,50,000	3,69,138	2,00,000
	8. कर्मचारियों को अग्रिम	2,00,000	3,17,157	3,00,000
	9. अन्य विविध व्यय	25,000	5,000	50,000
	10. बैंक गारन्टी कमीशन	-	-	3,50,000
	योग:	5,00,000	7,76,800	11,55,000
3-	ऋणों का प्रतिदान			
	क. शासकीय ऋणों का प्रतिदान	-	-	-
	1. मूल धन	-	-	1,75,000
	2. व्याज धन	14,25,000	-	17,65,000
	3. निक्षेप निधि का अंशदान	-	-	-
	ख. संस्थागत ऋण			
	4. मूल धन	13,00,000	28,22,000	45,00,000
	5. ब्याज	11,00,000	23,80,496	35,00,000
	योग:	38,25,000	52,02,496	99,40,000
4-	भूमि अर्जन	2,40,00,000	4,85,00,000	4,00,00,000
5-	भूमि विकास			
	1. भूमि सर्वेक्षण	1,00,000	5,727	5,00,000
	2. भूमि विकास	5,00,000	5,83,343	10,00,000
	3. मार्ग/गलियाँ	1,15,00,000	30,63,884	75,00,000
	4. मल नाले/नालियाँ	85,00,000	39,95,482	60,00,000
	5. जल व्यवस्था	50,00,000	8,70,895	30,00,000
	6. रोशनी	15,00,000	10,40,192	25,00,000
	7. पार्क	20,00,000	18,26,334	15,00,000
	8. आकस्मिक व्यय	9,00,000	46,154	5,00,000
	योग:	3,00,00,000	1,14,32,411	2,25,00,000

6–	भवनों का निर्माण			
	1. हुडको कम्पोजिट योजना	35,00,000	सेक्टर एए के भवन तथा नन टाइप भवनों के रखे गये हैं	19,89,159	10,00,000
	2. शासकीय ऋणों से				
	3. अपेन श्रोतों से				
	1. दुर्बल आय वर्ग	15,00,000		16,13,608	10,00,000
	2. एबीसीटाइपफ्लैट	80,00,000		24,34,840	15,00,000
	3. निम्न आय वर्गगृहनिर्माण	20,00,000		20,68,765	10,00,000
	4. मध्यम आय वर्गगृहनिर्माण	40,00,000		1,31,61,376	40,00,000
	5. उच्चआय वर्ग गृहनिर्माण	10,00,000		3,34,948	15,00,000
	योग:	2,00,00,000		2,18,02,696	1,00,00,000
7–	औद्योगिक केन्द्र/दुकानों/ कंसेन्टर का निर्माण	–		–	9,00,000
8–	स्टोर का क्रय	5,93,000		4,17,385	5,00,000
9–	वाहनों का रख–रखाव/मरम्मत				
	क. ईधन पर व्यय	20,000		–	20,000
	ख. अन्य रख–रखाव	25,000		6,244	25,000
		45,000		6,244	45,000
10–	जनता को धन की वापसी				
	क. भवन	5,00,000		3,00,966	15,00,000
	ख. भूमि	2,00,000		1,59,262	10,00,000
	ग. अन्य	1,00,000		3,503	50,000
	योग:	8,00,000		4,63,731	25,50,000
	महायोग	8,17,63,000		8,96,43,211	8,88,90,000

4–ख उचनत खाता

1–	कर्मचारियों का भविष्य/निधि/ बीमे इत्यादि का भुगतान	75,000	–	25,000
2.	डिपाजिटकार्यो पर व्यय 1– जनता 2–संस्थागत 3–अन्य			
3.	विनियोग	1,00,00,000	10,00,000	34,79,000
4.	ठेकेदारोंकी प्रतिभूतिवापसी	1,03,675	–	–
5.	अन्य उचन्त व्यय	10,00,000	4,15,496	28,25,000
6.	ठेकेदारों की पंजीकरण शुल्क की वापसी	–	–	3,00,000
7.	योजनाओं को अग्रिमवापसी	20,00,000	–	50,00,000
8.	अग्रिम	10,00,000	–	–
	योग:	1,41,78,675	14,15,496	1,16,29,000

4–खसीतापुर (पश्चमी योजना)

मद सं0	विवरण	बजट अनुमान 1986–87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987–88
1–	भूमि अर्जन	–	–	1,00,00,000
2–	भूमि विकास			
	क–सर्वेक्षण	–	–	10,000
	ख. भूमि विकास	–	–	1,90,000
	ग. सडकें	–	–	25,00,000
	घ. मन नाले	–	–	13,00,000
	ड. जल व्यवस्था	–	–	5,00,000
	च. पार्क	–	–	2,00,000
	छ. प्रकाश	–	–	1,00,000
	ज. आकस्मिक व्यय	–	–	2,00,000
	योग	–	–	1,50,00,000

5-हाता रसूल खाँ योजना

व्ययय पक्ष,

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
1-	अनुपातिक आधिष्ठान	50,000	-	-
2-	भूमि विकास	10,00,000	-	2,50,000
3-	भवनों का निमार्ण			
	1- अपने श्रोतों से			
	क. दर्बल आय वर्ग	1,00,000	3,800	50,000
	ख. मध्यमआय वर्ग	7,00,000	98,995	1,00,000
	योग	8,00,000	1,02,795	1,50,000
4-	जनता को धन की वापसी			
	क. भवन	25,000	2,432	5,000
	ख. भूमि	20,000	256	2,000
	गद्म अन्य	5,000	-	5,000
	योग	50,000	2,688	15,000
	सहायोग	19,00,000	105483	4,15,000

उचन्त खाता

1-	कर्मचारियों को भावष्यानिधि/ बीमें इत्यादि का भुगतान	10,000	-	10,000
2-	अन्य उचन्त खाता	7,00,000	-	1,00,000
3-	योजनाओं को आग्रिम	-	-	30,000
	योग:	7,10,000	-	1,40,000

6-ला-प्लास-गृह निमार्ण योजना

व्यय वक्ष,

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	बजअ मूल 1987-88
1-	अनुषांगिक आधिष्ठान	2,00,000	1,96,596	1,50,000
2-	संयोगिक व्यय	-	10,088	1,50,000
	योग:		1,00,88	1,50,000
3-	भूमि विकास			
	1- मार्ग/गालियाँ	3,00,000	4,64,953	10,00,000
	2- नल नाले/नालियाँ	7,00,000	2,07,706	8,00,000
	3- जल व्यवस्था	3,00,000	14,951	50,000
	4- रोशनी	1,00,000	-	1,00,000
	5-पार्क	1,00,000	-	-
	6- आकस्मिक व्यय	-	52,360	50,000
	योग:	15,00,000	7,39,970	20,00,000
4-	भवनों का निमार्ण			
	1- अपने श्रोतों से			
	क- ए0बी0सी0टाइप प्लैट	1,00,00,000	52,19,744	70,00,000
	योग	1,00,00,000	52,19,744	70,00,000
5-	जनता को धन की वापसी			
	क- भवन	5,00,000	-	1,00,000
	ख- भूमि	-	21,500	2,50,000
	ग- अन्य	1,00,000	-	100,000
	योग:	6,00,000	21,500	4,50,000
	महायोग:	1,23,00,000	61,87,898	97,50,000

अचन्त खाता

1-	कर्मचारियों करे आविष्यनिधि/ बीमे इत्यादि का भुगतान	50,000	-	10,000
2-	ठेकेदारें को प्रतिभूतिकी वापसी	10,00,000	-	3,00,000
3-	अन्य उचन्त खाता	15,00,000	-	10,00,000
4-	योजनाओं को अग्रिम	20,00,000	-	-
	योग:	45,50,000	-	13,10,000

7- बटलर पैलेश योजना

व्यय पक्ष

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
1-	अनुपातिक अधिष्ठान	50,000	-	-
2-	संयोगिक व्यय	-	-	2,00,000
	योग	50,000	-	2,00,000
3-	भूमि विकास:-			
	1- भूमि सर्वेक्षण	-	-	-
	2- भूमि विकास	-	-	-
	3- मार्ग/गलियाँ	10,00,000	20,592	12,00,000
	4- नल नाले/नालियाँ	-	-	10,00,000
	5- जल व्यवस्था	-	-	3,50,000
	6- रोशनी	-	-	1,50,000
	7- पार्क	-	-	-
	8- आकस्मिक व्यय	-	-	-
	योग	10,00,000	20,592	27,00,000
4-	भवनों का निर्माण			
	अपने श्रोतों से			
	क- ए0बी0सी0टाइपप्लैट	40,00,000	45,00,000	1,00,00,000
	ख- मध्यम आय वर्ग	10,00,000	-	-
	योग=	50,00,000	45,00,000	1,00,00,000
5-	जनता का धन की वापसी			
	क- भवन	50,000	1,656	1,50,000
	ख- भूमि	50,000	-	1,50,000
	ग- अन्य	25,000	-	50,000
	योग:	1,25,000	1,656	3,50,000
	महायोग	61,75,000	45,22,248	1,32,50,000

अचन्त खाता

1-	कर्मचारियों को भविष्यनिधि/ बीमें इत्यादिकीवापसी	5,000	-	-
2-	ठेकेदार की प्रतिभूति की वापसी	1,00,000	-	50,000
3-	अन्य उचन्त खाता	2,00,000	-	50,000
4-	अग्रिम वापसी	-	-	-
	योग:	3,05,000	-	1,00,000

8- टिकैत राय तालाब योजना

व्यय पक्ष

मद सं0	मद विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
1-	अनुपातिक अधिष्ठान	2,00,000	2,03,860	2,10,000
2-	सांयोगिक व्यय			
	क-पूर्वविक्षण आडिट फीस	-	-	1,50,000
	2- विधि व्यय	-	-	20,000
	3- फर्नीचर	-	-	50,000
	4- छपाई का व्यय	3,00,000	8,303	40,000
	5- लेखन सामग्री	-	-	25,000
	6- बिजली/टेलीफोन	-	"	40,000
	7- वर्गीकृत एवं अन्यविज्ञापन	-	9,281.00	1,50,000
	8- कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	2,50,000
	9- अन्य विविध व्यय	-	-	75,000
	योग:	3,00,000	17,584	8,00,000
3-	ऋणों का प्रतिदान			
	क- शासकीय ऋणों का प्रतिदान			
	ख- संस्थागत ऋण			
	मूल धन	19,48,000	10,96,000	17,00,000
	ब्याज	9,00,000	5,04,150	1100,000
	योग	28,48,000	16,00,150	28,00,000
4-	भूमि अर्जन	-	2,00,000	-
5-	भूमि विकास:			
	1- भूमि विकास	7,50,000	2,084	5,00,000
	2- मार्ग/गलियाँ	20,00,000	80,083	20,00,000
	3- नल नाले एवंनालियाँ	10,00,000	18,922	20,00,000
	4- जल व्यवस्था	2,50,000	-	20,00,000
	5- रोशनी	2,50,000	2,10,579	20,00,000
	6- पार्क	2,00,000	68,913	10,00,000
	7- आकस्मिक व्यय	50,000	-	5,00,000
	योग:	45,00,000	3,80,581	1,00,00,000

6–	भवनों का निर्माण			
	1– हुडको कम्पोजिट योजना	15,00,000	1,767	1,00,000
	2– अपने श्रोतों से			
	क– दुर्बल आय वर्ग	5,00,000	8,28,691	5,00,000
	ख– एबीसीडीइपप्लैट	2,00,00,000	20,23,089	60,00,000
	ग–मध्यम आय वर्ग	30,00,000	54,44,724	30,00,000
	घ– उच्च आय वर्ग	–	11,63,921	10,00,000
	योग	2,50,00,000	94,62,192	1,06,00,000
7–	सौन्द्रीकरण हेतु कार्य	5,00,000	–	1,00,000
8–	स्टोर का क्रय	15,00,000	11,23,200	10,00,000
9–	वाहनों/संयत्रों का क्रय	–	1,66,000	15,000
10–	वाहनों का रख–रखाव/मरम्मत			
	क– ईधन पर व्यय	10,000	–	–
	ख– अन्य रख–रखाव	10,000	–	–
	योग	20,000		–
11–	जनता को धन की वापसी			
	क– भवन	3,00,000	1,42,986	5,00,000
	ख– भूमि	1,50,000	5,183	1,50,000
	ग– अन्य	50,000	–	50,000
	योग:	5,00,000	1,48,169	7,00,000
	महायोग	3,53,68,000	1,33,01,736	2,62,25,000
		अचन्त खाता		
1–	कर्मचारियों को भविष्यनिधि/ बीमें इत्यादि का भुगतान	50,000	–	10,000
2–	ठेकेदारों को प्रतिभूति की वापसी	3,50,000	–	–
3–	अन्य उचन्त खाते	5,00,000	–	5,00,000
4–	योजनाओं को अग्रिमवापसी	10,00,000	–	–
	योग:	19,00,000	–	5,10,000

9- आजाद नगर योजना

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
1-	अनुपातिक अधिष्ठान	50,000	36,038	-
2-	सांयोगिक व्यय			
	1- विविध व्यय	-	-	5,000
	2- छपाई का व्यय	-	-	15,000
	3- लेखन सामग्री	-	-	5,000
	4- वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	-	5,946	55,000
	5- कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	-
	6- अन्य विविध व्यय	-	-	45,000
	योग:	-	5,946	1,25,000
3-	ऋणों का प्रतिदान			
	क- सांसकीय ऋणों का प्रतिदान			
	ख- संस्थागत ऋण			
	1- मूल धन	1,10,000	25,000	1,10,000
	2- ब्याज	90,00	15,588	70,000
	योग:	2,00,000	40,588	1,80,000
4-	भूमि अजग्न			
5-	भूमि विकास			
	1- भूमि सर्वेक्षण	-	-	-
	2- भूमि विकास	-	4,22,650	10,000
	3- मार्ग/गलियाँ	3,00,000	2,06,659	1,00,000
	4- नल नाले/नालियाँ	-	-	2,00,000
	5- जल व्यवस्था	-	-	75,000
	6- रोशनी	-	-	1,00,000
	7- पार्क	-	-	-
	8- आकस्मिक व्यय	-	-	-
	योग:	3,00,000	6,29,309	4,85,000
6-	भवनों का निर्माण			
	1- अपने श्रोतों से			
	क- दुर्बल आय वर्ग	3,00,000	5,57,914	1,00,000
7-	जनता की जमा की वापसी	-	875	20,000
	महायोग	8,50,000	12,70,669	9,10,000

अवन्त खाता

1-	कर्मचारियों को भविष्यनिधि/ बीमे इत्यादि का भुगतान	5,000	-	-
2-	अन्य उचन्त खाता	50,000	-	10,000
	योग:	55,000	-	10,000

10- हरदोई रोड योजना

मद सं.	मदों का विवरण	मूल बजटअनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87तक	बजट अनुमान 1987-88
1.	अनुपातिक अधिष्ठान	-	-	-
2.	सांयोगिक व्यय	-	-	50,000
	योग-	-	-	50,000
3.	~~ऋणों~~ का प्रतिदान			
	क. शासकीय ऋणों का प्रतिदिन			
	1. मूल धन	1,05,000	-	200,000
	2. ब्याज	2,20,000	-	475,000
	योग-	3,25,000	-	675,000
4.	भूमि विकास			
	1. भूमि सर्वेक्षण	-	-	-
	2. भूमि विकास	-	-	-
	3. मार्ग/ गलियाँ	1,00,000	3,20,587	100,000
	4. नल नाले/नालियाँ	-	-	50,000
	5. जल व्यवस्थम	-	-	50,000
	6. रोशनी	-	-	-
	7. पार्क	-	-	-
	8. आकस्मिक व्यय	-	-	-
	योग-	1,00,000	3,20,587	200,000
5.	जनता को धन की वापसी			
	क. भवन	1,00,000	36,424	100,000
	ख. भूमि			
	ग. अन्य			
	योग-	1,00,000	36,424	100,000
	महायोग-	~~55~~ 5,25,000	3,57,011	10,25,000

उचन्त खाता

1.	कर्मचारियों को भविष्य निधि/ बोनस इत्यादि का भुगतान	50,000	-	-
2.	अन्य उचन्त व्यय	5,00,000	-	-
3.	अन्य योजनाओं को अग्रिम	10,00,000	-	-
		15,50,000	-	-

11- राम ~~xx~~ नगर गृह निर्माण योजना

मद सं.	मदों का विवरण	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
1.	अधिष्ठान एवं पर्यवेक्षण	25,000	1,36,038	75,000
2.	सा० व्यय			
	क. विधि व्यय	-	-	-
	ख. लेखन सामग्री	21,000	-	40,000
	ग. विज्ञापनों पर व्यय	-	-	50,000
	घ. अन्य विविध व्यय	-	-	75,000
	योग-	21,000	-	165,000
3.	ऋणों का प्रतिदान			
	क. शासकीय ऋण			
	I. मूल धन			
	II. ब्याज धन			
	ख. संस्थागत ऋण			
	I. मूल धन	3,00,000	3,65,000	700,000
	II. ब्याज धन	2,60,000	4,05,920	1000,000
	योग-	5,60,000	7,70,920	17,00,000
4.	भूमि विकास			
	क. भूमि विकास	50,000	~~4,41,775~~	-
	ख. सड़कों का निर्माण	5,00,000	4,41,775	1000,000
	ग. मल नाले / नालियाँ	3,00,000	52,835	1200,000
	घ. जल व्यवस्था	1,00,000	-	2,50,000
	ङ. पार्क	50,000	94152	50,000
	योग-	10,00,000	5,88,762	2500,000

1	2	3	4	5
6.	भवन निर्माण			
	1. मिनी मध्यम आय वर्ग (हडको पोषित)	2, 00, 000	3, 599	5, 00, 000
	2. मिनी मध्यम आय वर्ग (स्वत पोषित)	28, 00, 000	7, 95, 288	15, 00, 000
	3. मध्यम आय वर्ग (स्वत पोषित)	20, 00, 000	–	–
	योग–	50, 00, 000	7, 98, 887	20, 00, 000
7–	स्टोर	10, 00, 000	–	5, 00, 000
8–	जमा धन की वापसी			
	क– भवन		6, 03, 341	100, 000
	ख– भूमि		76, 046	50, 000
	ग– अन्य			10, 000
	योग–		6, 79, 387	160, 000
	महायोग–	76, 06, 000	29, 73, 994	71, 00, 000

xxx उचन्त खाता xxx

1– अन्य योजनाओं की अग्रिम वापसी	–	–	24, 91, 000
2– अन्य उचन्त आय	–	–	–
	– –	–	24, 91, 000

12- शारदा नगर (राय बरेली रोड) लोना

मद सं.	मदों का विवरण	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 1986-87	मूल बजट 1987-88
1.	अनुभागिक अधिष्ठान	=	-	6, 33, 000
2.	सां० व्यय	-	-	2, 00, 000
3.	भूमि अर्जन	-	-	100, 00, 000
	भूमि विकास			
क-	भूमि सर्वेक्षण/ विकास	-	-	25, 00, 000
ख-	सड़कों का निर्माण	-	-	150, 00, 000
ग-	मल नाले/ नालियाँ	-	-	70, 00, 000
घ-	जल व्यवस्था	-	-	20, 00, 000
ङ.	पार्क	-	-	30, 00, 000
च.	आकस्मिक	-	-	5, 00. 000
	योग-	-	-	300, 00, 000
	महायोग -	-	-	4, 08, 33, 000

13- रेल नगर गृह निर्माण योजना

1	2	3	4	5
1.	अनुपातिक अधिष्ठान	50, 000	–	~~6, 33, 000~~
2.	सांयोगिक व्यय	2, 00, 000	–	4, 00, 000

3ब भूमि विकास

1.	भूमि सर्वेक्षण	20, 000	–	50, 000
2.	भूमि विकास	20, 000	–	2, 00, 000
3.	मार्ग/ गलियाँ	5, 00, 000	–	25, 00, 000
4.	नल नाले / गलियाँ	1, 30, 000	–	2, 50, 000
5.	जल व्यवस्था	1, 50, 000	–	2, 00, 000
6.	रोशनी	80, 000	–	50, 000
7.	पार्क	–	–	–
8.	आकस्मिक व्यय	1, 00, 000	–	–
		10, 00, 000	–	32, 50, 000

1	2	3	4	5
4-	भवनों का निर्माण			
	1. ए0वी0सी0टाइप फ्लैट	40, 00, 000	6823	5, 00, 000
	2. मध्य आय वर्ग	-	-	10, 00, 000
	3. उच्च आय वर्ग	-	-	-
	योग-	40, 00, 000	6823	15, 00, 000
5-	जनता को धन की वापसी			
	क. भवन		31133	-
	ख. भूमि		-	50, 000
	ग. अन्य		-	10, 000
	योग-		31133	60, 000
	महायोग-	52, 50, 000	37~~56~~	52, 10, 000
1.	कर्मचारियों को भविष्य निधि/ बोनस इत्यादि का भुगतान	50, 000	-	-
2.	अन्य उपरान्त व्यय	5, 00, 000	-	2, 00, 000
3.	योजनाओं को अग्रिम वापसी	10, 00, 000	-	-
		15, 50, 000	-	2, 00, 000

14- मोतीझील योजना

मद सं.	मदों का विवरण	मूल बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
1.	अनुभागीय अधिष्ठान	1,00,000	36,170	
2.	सांयोगिक व्यय			
	1. छपाई का व्यय	25,000	–	25,000
	2. लेखन सामग्री	25,000	–	25,000
	3. वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	1,00,000	61,752	1,00,000
	4. कर्मचारियों को अग्रिम	1,00,000	–	–
	5. अन्य विविध व्यय	50,000	1,942	–
	योग–	3,00,000	63,694	1,50,000
3.	ऋणों का प्रतिदान			
	क. शासकीय ऋणों का प्रतिदान			
	1. मूल धन	–	–	10,00,000
	2. ब्याज धन	4,50,000	–	4,50,000
	3. निक्षेप निधि को अंशदान	2,40,000	–	2,40,000
	ख. संस्थागत ऋण			
	1. मूल धन	1,20,000	58,000	1,50,000
	2. ब्याज	1,00,000	41,813	1,00,000
		9,10,000	99,813	19,40,000
4.	भूमि अर्जन			
5.	भूमि विकास			
	1. भूमि विकास	3,00,000	2,96,599	–
	2. मार्ग/गलियाँ	–	–	3,00,000
	3. नल नाले/नालियाँ	–	–	2,00,000
	4. जल व्यवस्था	1,00,000	66,458	1,00,000

1	2	3	4	5
5.	रोशनी	–	34, 166	50, 000
6.	पार्क	–	–	–
7.	आकस्मिक व्यय	–	–	50, 000
	योग–	4, 00, 000	3, 97, 223	7, 00, 000
6–	भवनों का निर्माण			
1.	दुर्बल आय वर्ग	5, 00, 000	37, 131	5, 00, 000
2.	मध्यम आय वर्ग	20, 00, 000	3, 79, 498	5, 00, 000
	योग–	25, 00, 000	4, 16, 629	10, 00, 000
7–	जनता को धन की वापसी			
क.	भवन	50, 000	–	50, 000
ख.	भूमि	40, 000	–	40, 000
ग.	अन्य	10, 000	9, 422	10, 000
	योग–	1, 00, 000	9, 422	1, 00, 000
	महायोग–	43, 10, 000	10, 22, 951	38, 90, 000
**				
	उचन्त खाता			
1–	अन्य योजनाओं को अग्रिम वापसी	–	–	–
2–	अन्य उचन्त आय	–	–	5, 000
		–	–	5, 000

15- बजौर हसन रोड योजना

व्यय मद	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87तक	मूल बजट 1987-88
1- अधिष्ठान	-	-	-
2- सां0 व्यय	-	-	-
3- भूमि विकास	-	-	-
4- भवन निर्माण	-	-	50,00,000
योग-	-	-	50,00000

16-अन्य छोटी योजनाऐं

(नेपियर रोड, भवानी आवास योजना इत्यादि)

व्यय पक्ष

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
1-	अनुपातिक अधिष्ठान	1,00,000	2,96,475	2,56,000
2-	सायांगिक व्यय			
	क- प्राविधिक पर्यवेक्षक आडिट फीस	-	-	-
	2- विविध व्यय	5,000	5,396	75,000
	3- फर्नीचर	-	-	50,000
	4- छपाई का व्यय	50,000	-	30,000
	5- लेखनसामग्री	45,000	-	75,000
	6- बिजली/टेलीफोन	-	-	25,000
	7- वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	1,00,000	8,854	1,90,000
	8- कर्मचारियों को अग्रिम	1,00,000	-	1,00,000
	9- अन्य विविध व्यय	50,000	73,397	50,000
	योग:	3,50,0000	88,647	5,95,000
3-	ऋणों का प्रतिदान			
	क-शासकीय ऋणों का प्रतिदान			
	1- मूल धन	4,00,000	1,07,836	4,00,000
	2- ब्याज	2,50,000	2,62,844	2,50,000
	ख- संस्थागत ऋण			
	1- मूल धन	-	65,000	1,20,000
	2- ब्याज	-	52,636	75,000
	योग:	6,50,000	4,88,316	0,45,000
4-	भूमि अर्जन	-	6,00,000	-
5-	भूमि का विकास			
	1- भूमि सर्वेक्षण	1,00,000	3,139	1,00,000
	2- भूमि विकास	3,00,000	67,478	5,00,000
	3- मार्ग/गलियाँ	8,00,000	5,34,024	25,00,000
	4- नल नाले/नालियाँ	1,00,000	3,62,833	13,30,000
	5- जल व्यवस्था	-	-	4,00,000
	6- रोशनी	-	46,673	1,50,000
	7- पार्क	50,000	79,425	10,000
	8- आकस्मिक व्यय	1,50,000	65,000	10,000
	योग:	15,00,000	11,58,382	50,00,000

6–	भवनों का निर्माण			
	1– हुडको कम्पोजिट योजना	–	–	–
	2– शासकीय ऋणों से	–	–	–
	3– अपने श्रोतों से			
	1– दुर्बल आय वर्ग	–	–	"
	2– एबीसीडीइपप्लैट	40,00,000	9,39,061	–
	3– निम्न आय वर्ग	–	–	–
	4– मध्यम आय वर्ग	–	–	50,00,000
	5– उच्च आय वर्ग	–	–	–
	योग:	40,00,000	9,39,061	50,00,000
7–	स्टोर ब्रिक	–	64,721	10,00,000
8–	जनता को धन की वापसी			
	1– भवन	–	2,72,867	50,000
	2– भूमि	–	43,542	25,000
	3– अन्य	–	2,532	10,000
	योग:	–	3,18,941	85,000
	महायोग	40,00,000	39,54,543	1,27,81,000

17-कैलाश कुंज योजना

व्यय पक्ष,

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	भूल बजट 1987-88
1-	अनुपार्तिक अधिष्ठान	50,000	43,015	-
2-	सायांगिक व्यय			
	क-प्राविधिक पर्यवेक्षक आर्किट फीस	-	-	-
	2- विधि व्यय	5,000	-	5,000
	3- फर्नीचर	2,000	-	2,000
	4- छपाई का व्यय	5,000	-	5,000
	5- लेखन सामग्री	5,000	-	10,000
	6- बिजली/टेलीफोन	-	-	5,000
	7- वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	20,000	7,556	50,000
	8- कर्मचारियों को अग्रिम	1,00,000	-	1,00,000
	9- अन्य विविध व्यय	10,000	4,588	10,000
	योग	1,47,000	12,144	1,87,000
3-	भूमि अर्जन			
4-	भूमि विकास			
	1- मार्ग/गलियाँ	2,00,000	23,473	2,00,000
	2- नल नाले/नालियाँ	-	-	1,00,000
	3- जल व्यवस्था	1,00,000	1,80,001	50,000
	4- रोशनी	-	-	50,000
	योग:	3,00,000	2,03,474	4,00,000
5-	भवनों का निमार्ण			
	1- हुडको कम्पोजिट योजना	-	-	-
	2- शासकीय ऋणों से	-	-	-
6-	औधायोगिक केन्द्र/दुकानों का निमार्ण	24,00,000	19,27,731	45,00,000
	योग	24,00,000	19,27,731	45,00,000

8– जनतो को धन की वापसी

क– भवन	10,000	8,600	50,000
ख– भूमि	5,000	–	20,000
ग– अन्य	5,000	–	5,000
योग	20,000	8,600	75,000
महायोग	29,17,000	21,94,964	31,62,000

अवन्त खाता

*– कमचारियों को भावष्य निधि/ बीमें इत्यादि का भुगतान	50,000	ब	–	–
2– अन्य उचन्त खाता	5,00,000		–	50,000
3– अन्य योजनाओं कोआंग्रम	10,00,000		–	–
योग	15,50,000		–	50,000

18- हाट मिक्स प्लान्ट

व्यय पक्ष,

मद सं0	मदों का विवरण	अजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.88	मूल बजट 1987-88
1-	अधिष्ठान		1,20,710	-
2-	सायोगिक व्यय	-	-	2,00,000
3-	सड़कों का निर्माण	86,00,000	35,88,823	20,00,000
	1- नगरमहापालिका			
	2- अन्य संस्थाओं की सड़कें			
	3- प्राधिकरण की सड़कें			
4-	स्टोर क्रिय	-	6,62,284	20,00,000
5-	हाट मिक्स प्लान्ट का रख-रखाव	-	7,29,078	10,00,000
	योग	86,00,000	51,00,895	52,00,000

19- व्यवसायिक केन्द्र जनपथ :-

मद सं०	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	बजट अनुमान 1987-88
1.	अधिष्ठान	50,000	32,870	-
2.	संयोगिक व्यय			
क.	लेखन सामग्री	10,000	4,743	5,000
ख.	फार्म छपाई	50,000	-	20,000
ग.	महापालिका कर	3,65,000	-	3,65,000
घ.	विधि व्यय	-	-	-
ड.	अन्य व्यय	25,000	34,383	83,000
3.	दुकानों/भवनों का रख-रखाव	5,00,000	72,486	5,00,000
4.	नव निर्माण	10,00,000	17,175	5,00,000
	योग:	20,00,000	1,60,857	14,73,000

20:- व्यवसायिक केन्द्र छितवापुर

व्यय पक्ष

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87तक	मूल बजट 1987-88
1.	अधिष्ठान	50,000	64,139	-
2.	संयोगिक व्यय			
क.	लेखन सामग्री	20,000	-	20,000
ख.	फार्म छपाई	50,000	-	75,000
ग.	महापालिका कर	4,00,000	-	4,00,000
घ.	विधि व्यय	20,000	-	20,000
ङ.	अन्य व्यय	10,000	19,960	50,000
3.	दुकानों/भवनों का रख-रखाव	2,00,000	3,49,268	4,00,000
4.	नव निर्माण	10,00,000	39,738	20,00,000
5.	जमा धन की वापसी	-	39,814	-
	योग:	17,50,000	5,12,919	29,65,000

21:- व्यवसायिक केन्द्र नीबू बाग:-

व्यय पक्ष

मद सं0	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87 तक	मूल बजट 1987-88
1.	अधिष्ठान	50,000	–	–
2.	संयोगिक व्यय			
क.	लेखन सामग्री	20,000	1,068	5,000
ख.	फार्म छपाई	30,000	–	5,000
ग.	महापालिका कर	1,00,000	–	50,000
घ.	विधि व्यय	1,20,000	1,700	20,000
ङ.	अन्य व्यय	1,30,000	5,000	1,00,000
3.	विकसित कार्यों	40,00,000	1,894	5,00,000
4.	नव निर्माण	5,00,000	1,70,887	2,00,000
	योग:	49,50,000	7,30,549	8,80,000

व्यय पक्ष

22. व्यवसायिक केन्द्र कपूरथला:-

मद सं०	व्यय मदें	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	बजट अनुमान 1987-88
1-	अधिष्ठान	50,000	-	-
2-	संयोगिक व्यय			
	क- लेखन सामग्री	10,000	4256	10000
	ख- फार्म छपाई	10,000	-	5000
	ग- महापालिका कर	-	-	100000
	घ- विधि व्यय	5,000	-	10000
	ङ- अन्य व्यय	75,000	-	10000
		100000	4256	13,5000
3.	विकास कार्य	15,00000	564242	8,00000
	योग:-	16,50,000	568498	935000

23. व्यवसायिक केन्द्र सिंडर्स डम्प योजना::

व्ययपक्ष::

मद सं०	व्यय मदें	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31.1.87	बजट अनुमान 1987-88
1-	अधिष्ठान	50,000	-	-
2-	संयोगिक व्यय			
	क- लेखन सामग्री	50,000	-	50,000
	ख- फार्म छपाई	50,000	-	5000
	ग- महापालिका कर	-	-	-
	घ - विधि व्यय	-	-	--
	ङ- अन्य व्यय	1,00000	4410	50,000
3-	विकास कार्य	5,00000	-	1,00000
4-	नव निर्माण	20,00000	129768	5,00000
5-	जमा धन की वापसी	-	18744	10000
	योग:-	27,50,000	152922	670000

24. बन्दा खेड़ा व्यवसायिक केन्द्र

मद सं०	व्ययमदें	मूल बजट 1986-87	वास्तविक 31.1.87	मूल बजट 1987-88
1-	अधिष्ठान	-	-	-
2-	सांयोगिक व्यय	-	-	1,00000
3-	विकास कार्य	-	-	5,00000
4-	निर्माण	-	-	69,00000
	योग :-	-	-	7500,000

::25, अन्य छोटी योजनायें ::

व्यय पक्ष :- (निशात प्लेस तथा अपर०टी०ओ०, व्यवसायिक केंद्र , इत्यादि)

मद सं०	व्यय मद	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31-1-87तक	बजट अनुमान 1987-88
1:	अधिष्ठान	-	08,540	-
2:	संयोगिक व्यय			
	लेखन सामग्री	-	-	50,000
	फार्म छपाई-	10,000	-	1,00,000
	महापालिका कर-	25,000	-	4,00,000
	विधि व्यय-	50,000	27,522	0,20,000
	अन्य व्यय-	15,000	-	0,50,000
3:	विकास कार्य-	2,00,000	39,858	5,00,000
4:	नव निर्माण	10,00,000	33,978	67,00,000
	योग:-	13,00,000	1,09,898	78,20,000

एके/4,

25. विश्व बैंक परियोजना

मद सं०	विवरण	बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31-1-87	बजटअनुमान 1987-88
1:	अधिष्ठान	–	–	–
2:	सांयोगिक व्यय			
	क-छपाई पर व्यय	117000	–	–
	ख-लेखन सामग्री	–	1943	10000
	ग-विज्ञापन	–	–	–
	घ-विधि व्यय	–	–	–
	च-अन्यव्यय-	–	86933	50000
	योग:-	117000	88876	60000
3:	भूमि अर्जन	8600000	–	–
4:	भूमि विकास	–	–	5000000
	क: भूमि सर्वेक्षण/विकास			
	ख: सड़कें			
	ग: नाले-नाले और सीवर			
	घ: जल-व्यवस्था			
	च: प्रकाश			
	छ: पार्क			
	ज: अन्य			
	योग:-	–		5000,000
5:	भवन निर्माण	–	–	–
6:	स्टोर क्रय	–	–	940000
7:	ऋणों का प्रतिदान			
	क: मूल धन	–	–	–
	ख: ब्याज धन	–	–	–
	योग:			
	महायोग:	87,17000	88876	60,00000

एके/4

27 इन्दिरा गांधी मेमोरियल संस्कृति केंद्र

मद	मदों का विवरण	बजट अनुमान 1986.87	वास्तविक 31-1-87तक	बजट अनुमान 1987-88
1:	अधिष्ठान	100000	32070	–
2:	सांयोगिक व्यय	–	–	100000
	क-छपाई–	–	–	–
	ख-लेखन सामग्री–	–	–	–
	ग-विज्ञापन–	200000	–	250000
	घ-अन्य व्यय–	100000	752418	100000
	योग–	400000	784488	450000
3:	भूमि का क्रय–	5000000	–	–
4:	विकास कार्य–	200000	–	5000000
5:	निर्माण कार्य–	–	–	–
6:	स्टोर्स क्रय–	–	–	–
	महायोग– (1से6तक)	5600000	784488	5450000

एके/4,

2ब, कैश लोन योजना

मद सं०	मदों का विवरण	मूल बजट 86-87	वास्तविक 31-1-87	मूल बजट अनुमान-87-88
1:	अधिष्ठान-	-	-	-
2:	सांयोगिक व्यय	-	-	50000
3:	ऋणों का प्रतिदान-			
क-चालन :-	क- मूल धन-			
	ख-ब्याज धन-			
ख:	संस्थागत ऋण: -			
	क-मूल धन-			
	ख-ब्याज धन-			
	योग: -	-	-	50,000
4:	भूमि अर्जन-	-	-	-
5:	भूमि विकास-	-	-	-
6:	भवन निर्माण हेतु वितरण-		-	450000
7:	स्टार क्रय-	-	-	50000
	महायोग: -	-	-	600,000

एके/4,

29. सामान्य व्यय

मद सं०	मदों का विवरण	मूल बजट अनुमान 1986-87	वास्तविक 31-11-87 तक	मूल बजट अनुमान 1987-88
1-	अधिष्ठान (सा०पर्यवेक्षण)	-	-	-
1-क:	सामान्य प्रशासन-	2286000	2022524	3076000
ख:	लेखा एवं कोषालय-	650000	590081	783000
ग:	कास्टिंग विभाग-	300000	409410	530000
घ:	व्ययाधिकरण का स्टाफ-	110000	136754	140000
ङ:	सम्पत्ति विभाग-	624000	826857	824000
च:	राजस्व विभाग-	300000	110886	411000
छ:	किराया विभाग-	320000	274129	313000
ज:	वसूल विभाग-	600000	551213	740000
झ:	विधि विभाग-	210000	203096	245000
य:	इन्फोर्समेंट विभाग-	600000	721243	870000
र:	उद्यान विभाग-	-	-	4401000
	योग:-	6000,000	5846193	12333000
2:	अधिष्ठान (अभियंत्रण)			
1:	मुख्य अभियंता कार्यालय-	150000	249659	472000
2:	अभियंत्रण खण्ड-1	720000	512322	787000
3:	-2	320000	382584	724000
4:	-3	602000	507743	545000
5:	-4	310000	420337	549000
6:	-5	275000	275303	349000
7:	-6	275000	259729	597000
8:	-7	655000	980364	1200000
9:	-8	300000	395369	535000
10:	-9	310000	353208	534000
11:	-10	415000	358573	603000
12:	-11	420000	341212	422000
13:	-12	625000	687193	481000
14:	-भवन	423000	422778	517000
15:	नियोजन-विभाग	700000	642755	966000
16:	स्टोर-	-	-	132000
	योग-	6500000	6789129	9413000
	अनुपातिक स्थानान्तरण सम्बन्धित योजनायों को-	6500000	5854029	8040000
		-	935100	1373000

एढे/4,

114

1.	2.	3.	4.	5.
3-	सैंयोधिक व्यय-			
क:	पर्यवेक्षण शुल्क	150000	–	400000
ख:	पुस्तकालय /वाचनालय	25000	0016428	50000
ग:	टेलिफोन	75000	0251519	75000
घ:	वर्दियाँ	40000	0006939	100000
च:	प्राधिकरण तथा अन्य बैठकों पर व्यय	100000	0106190	100000
छ:	फार्म/स्टेशनरी	75000	0274102	040000
ज:	किराया / टैक्स	700000	0872524	800000
झ:	फर्नीचर	150000	219274	150000
य:	कर्मचारियों के कल्याण हेतु सुविधायें	50000	0045312	200000
र:	मानदेय	75000	0018385	120000
ल:	कर्मचारियों को अग्रिम	300000	060615	500000
व:	विविध/अन्य	100000	1250489	400000
श:	विधि व्यय	–	0034710	050000
स:	विज्ञापनों पर व्यय	–	0170282	200000
	योग:	1840000	3526769	3185000
4:	ऋणों का प्रतिदान-			
1:	पुराने शासकीय ऋण/सामान्य/पार्क			
क:	मूलधन का प्रतिदान	1125000	0077375	1488000
ख:	व्याज का भुगतान	994000	0094925	0941000
	योग:-	2119000	0172300	2429000
5:	मशीनरी/सैंयत्र / स्टोर			
क:	मशीनी सैंयत्रों का क्रय	–	1435510	400000
ख:	भण्डार वस्तुयें	200000	0303957	100000
ग:	ईंधन पर व्यय	400000	0102561	400000
घ:	वाहनों की मरम्मत/रख-रखाव-	200000	0372372	250000
ङ:	कम्प्यूटर विभाग हेतु स्टोर/सैंयत्र	–	–	1000000
	योग:-	800000	2214400	2150000
6:	भवनों की मरम्मत	300000	0253810	300000
7:	विकास प्राधिकरण कार्यालय का निर्माण	1000000	1058950	2500000
8:	प्राधिकरण दुकानों का रख-रखाव			
क:	नक्खास	50000	0013162	025000
ख:	सिण्डर्स डम्प	–	–	–
ग:	महानगर	25000	–	025000
घ:	आई०टी०कालेज	75000	124811	100000
च:	अन्य	–	034130	200000
	योग:-	150000	172103	350000

9. जमा धन की वापसी :-

1.	किराया प्रीमियम	1,00,000	540	1,00,000
2.	ठेकेदारों का रिफण्ड	50,000	–	50,000
3.	अन्य	10,000	1,01,600	10,000
	योग:	1,60,000	1,02,140	1,60,000

10. अन्य विकास कार्य :-

1.	योजनाओं से अतिरिक्त विस्थापितों हेतु पुनर्वास योजना	–	–	10,00,000
2.	महापालिका क्षेत्र से बाहर भूमि पुर्नव्यवस्था	–	–	10,00,000
3.	क्षेत्रीय विकास आर. डी. एस/ आलम बाग/गाजीउद्दीन हैदर कैनाल	1,00,000	71,858	60,00,000
4.	मन्डियों/कैटिल कालोनीज् का विकास	50,000	6,226	20,00,000
5.	हाताज् तथा अविकसित कालोनीज् का विकास		7 . .	50,00,000
6.	मलिन बस्ती सुधार योजना	8,00,000	79,235	35,00,000
7.	विद्युत शवदाह-गृह	18,00,000	1,23,399	10,00,000
8.	अन्य सुधार कार्य	5,50,000	3,057	17,00,000
	योग:	33,00,000	2,83,775	18200,000

11. पर्यावरण सुधार एवं सौन्द्रीकरण योजनायें :-

1.	विकसित प्लाटों का रख-रखाव	11,00,000	14,78,646	16,00,000
2.	सूरज कुन्ड/गुलाब वाटिका/ लूमी पार्क का निर्माण	30,00,000	18,45,010	41,00,000
3.	गोमती घाटों का सौन्दर्यीकरण	5,00,000	–	5,00,000
4.	रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट कार्य	3,00,000	3,33,286	5,00,000
5.	अन्य पार्कों का निर्माण एवं वनरोपण	3,00,000	4,432	10,00,000
	योग:	52,00,000	36,61,374	77,00,000

1.	2.	3.	4.	5
12:	स्टोर क्रय	1907000	0039167	2000000
13:	शुष्क शौचालय	0400000	—	0400000
14:	महानगर सीवर का निर्माण	6000000	1383290	2000000
15:	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जल सम्प्रति का कार्य-	—	—	3500000
	कुलयोग:-	27676000	19649371	51880000
	अन्तिम अवशेष-	27676000	13643247	51880000

उ च न त खा ता

1:	कर्मचारियों को भविष्य निधि/ बीमें इत्यादि का भुगतान	100000	00002753	—
2:	डिपाजिट कार्यों का व्यय	1000000	—	00500000
3:	विनियोग	—	—	—
4:	ठेकेदारों को प्रतिभूति की वापसी-	500000	603335	0500000
5:	अन्य उचन्त व्यय-	1000000	363857	1000000
6:	अन्य योजनाओं की अग्रिम वापसी-	—	—	—
7:	अग्रिम ‖बजूल को‖	—	300000	—
	योग:-	2600000	1269945	2000,000
	अन्तिम अवशेष:-	—	1064141	—

एके/4,

मूल बजट वर्ष 1987-88 अधिष्ठान

सामान्य प्रशासन

क्र॰सं॰	पद नाम	कार्यरत संख्या	वेतनमान	योग
उपाध्यक्ष कार्यालय				
1-	उपाध्यक्ष	1	1200-2000	4184·00
2-	अनुसचिव	1	770 -1800	1695·83
3-	अवर वर्ग सहायक	1	340-550	988·33
4-	अनुचर	3	305-390	2777·27
सचिव कैम्प				
1-	सचिव	1	1200-2000	3711·50
2-	अनुसचिव	1	770-1600	1835·83
3-	आशुलिपिक	1	420-735	1079·53
4-	अवर वर्ग सहायक	1	340-550	860·73
5-	अनुचर	3	305-390	2767·27
रिकार्ड विभाग				
1-	प्रवर वर्ग सहायक	1	360-620	1177·39
2-	अवर वर्ग सहायक	1	340-550	1037·33
3-	अनुचर	1	305-390	988·03
सामान्य प्रशासन				
1-	संयुक्त सचिव/विशेष नजूल अधिकारी	1	1250-2050	4049·80
2-	आशुलिपिक	2	420-735	2039·86
3-	अनुभाग अधिकारी	2	420-735	3255·26
4-	सहायक जन0अधि0	1	420-735	1406·73
5-	लाइब्रेरियन	1	360-620	1406·73
6-	स्टोर कीपर	1	360-620	1369·63
7-	प्रवर वर्ग सहायक	8	360-620	10507·84
8-	स्टोर कीपर सहायक	1	340-550	1170·18
9-	अवर वर्ग सहायक-17 टेलीफोन आपरेटर 3	20	340-550	21039 ·70
10-	दफ्तरी	1	315-440	1000·83
11-	कुर्सी बुनकर	1	305-390	760·43
12-	सफाई कर्मचारी	1	305-390	984·58
13-	चौकीदार	2	305-390	1889·26
14-	चपरासी/वाटरमैन/ फर्राश/कार्यालय जमादार	26	305-390	22932·98
15-	ड्राइवर	20	330-495	20694·60

क्रमशः · 2

दैनिक वेतन भोगी

1-	ड्राइवर	40 दर रु0 15/-प्रतिदिन	[illegible]
2-	सुपरवाइजर	1 " रु0 20/- "	620-00
3-	कैन्टीन मैनेजर	1 " रु0 18/= "	554-00
4-	कैन्टीन लिपिक	1 " रु0 18/= "	554·00
5-	कुक	1 " रु0 18/= "	554·00
6-	बेयरा	7 " रु0 14/- "	3039 ·00
7-	लिपिक	12 " रु0 18/= "	6696· 00
8-	अनुचर	24 " रु0 12/= "	9648-00
9-	दफ्तरी	1 " रु0 23/= "	713·00
10-	टेलीफोन आपरेटर	1 " रु0 18/= "	554·00
11-	रिकार्ड व्यवस्थापक	2 " रु0 23/= "	1426·00
			1,60;557·15

एक माह का व्ययानुमान रु0 1,60,557·15

बोनस नगदीकरण तथा अन्य हेतु 25% 40,139·28

2,00,696·43

एक वर्ष का व्ययानुमान रु0 24,08,357·10

अर्थात 24,08,000·00

रिक्त पदो हेतुआंशिक प्रस्ताव 1,00,000·00

कुल प्रस्ताव रु0 25,08,000·00

क्रमश:-3

सामान्य प्रशासन मेन्टीनेन्स

1-	प्लम्बर	3	325-495	2011·29
2-	कारपेन्टर	1	325-495	945·73
3-	इलेक्ट्रीशियन	1	325-495	945·73
4-	मिस्त्री	1	325-495	845·73
5-	मेसन	1	325-495	845·73
6-	मेट	4	315-440	4235·27
7-	हेल्पर	2	305-390	1736·60
8-	कारपेन्टर	1	315-440	908·93
9-	बेल्दार	2	305-390	1736·60
10-	अनुचर	1	305-390	899·63
11-	गैग मैन	13	305-390	11222·04
12-	सफाई कर्मचारी	1	305-390	859·63
13-	चौकीदार	4	305-390	3438·62
14-	चैनमैन	1	305-390	741·13
				31,272·66

एक माह का व्ययानुमान रूपया- 31,272·66

बोनस, नकदीकरण तथा अन्य हेतु 25% 7810·16

कुल योग रू0 = 39,090·82

एक वर्ष का व्ययानुमान रूपया· 46,9,089·84

अर्थात 4,69,000·00

लेखा विभाग

1-	मुख्य लेखा अधिकारी	1	1250-2050	3994·00
2-	लेखाधिकारी (सा0)	1	850-1720	2740·63
3-	सहा0लेखाधिकारी	1	690-1430	2388·00
4-	लेखाकार (सा0)	3	405-860	4960·49
5-	सहा0 लेखाकार	1	400-675	925·23
6-	लेखा लिपिक	2	360-620	2463·26
7-	प्रवर वर्ग सहायक	3	380-620	3726·04
8-	अवर वर्ग सहायक	4	340-550	3925·72
9-	कैशियर	1	420-735	1727·37
10-	सहा0 कैशियर	3	400-695	4[illegible]·79
11-	चपरासी/गनमैन	6	305-390	5370·74
12-	व दफ्तरी	1	315-440	1009·53
13-	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	2	470-735	4591-90

दैनिक वेतन भोगी

1-	पेन्शन लिपिक	1	दर 23/=प्रतिदिन	713·00
2-	लिपिक (सा0/का0)	11	" 10/= "	6130·00
3-	अनुचरी	1	" 12/= "	372·00
4=	लेखाकार (का0)	3	" 25/= "	2325·00
				52,206·50

माह
एक का व्ययानुमान रुपया 52,206·50

बोनस नकदीकरण ए0 अन्य हेतु 25% 13,051·60

एक वर्ष का व्ययानुमान रुपया 7,03,092·20

अर्थात [illegible] 783000-00

~~120~~ 130 191

चिकित्सक एग्रीमेन्ट के आधार पर कार्यरत कर्मचारी		1	दर 1100/= प्रतिमाह	1100.00
1-	सहायक प्रोसेस वर्कर	2	1000/= प्रतिमाह	2000.00
2-	प्रोग्रामर	1	2950/= "	2950.00
3-	सहायक प्रोग्रामर	2	1100/= "	2200.00
			एक माह का व्ययानुमान रुपया=	8250.00
			एक वर्ष का व्ययानुमान रुपया =	9,9000.00

कास्टिंग विभाग

1-	कास्ट एकाउन्टेन्ट कम इको0प्लान0	1	1700-2300	3969.63
2-	वरिष्ठ सहायक कास्टएकाउन्टेन्ट	2	570-1100	3012.26
3-	सहायक कास्ट एकाउन्टैन्ट	1	485- 960	1134.63
4-	आशुलिपिक	2	420-735	2559.26
5-	अवर वर्ग सहायक	2	340-550	1931.16
6-	चपरासी	3	305-390	2490.69

दैनिक वेतन भोगी

1-	सहायक प्रोग्रामर	1	दर 20/=प्रतिदिन	660.00
2-	सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट	2	" 30/= "	1060.00
3-	डाटा आपरेटर	1	" 21/= "	651.00
4-	कन्सोल आपरेटर	1	" 21 /= 6"	651.00
5-	लिपिक	3	" 18/= "	1674.00
6-	अनुचर	2	" 12/= "	740.00
			एक माह का व्ययानुमान रुपया=	21,543;33
			बोनस नगदीकरण एंव अन्य हेतु 25%	5,305.00
			एक वर्ष का व्ययानुमान रुपया	3,23,149.50
			रिक्त/स्वीकृत पदो हेतु प्राविधान आंशिक रुप मे । रु0	2,07,000.00
				5,30,149.00
			अर्थात	5,30,000.00
1-	खण्डीय लेखाकार	2	1640-2900	6,449.70
			एक वर्ष का व्ययानुमान	77,396.40
			अवकाश नगदीकरण तथा अन्य हेतु 25 प्रतिशत	19,399.10
				96745.50
			अर्थात:	96,000.00

नगर महापालिका ट्रिब्यूनल

1- पीठासीन अधिकारी	1		4,703·30
2- पेशकार	1	515-060	1,452·23
3- आशुलिपिक	1		1,343·47
4- अहलमद	1	430-605	1,293·05
5- अर्दली/अनुचर	2	305-390	1,544·22
दैनिक वेतन भोगी			
6- लिपिक	3	18/- प्रतिदिन	1,674·00
7- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	12/- प्रतिदिन	1,400·00
		एक माह का व्ययानुमान:	13,490·27
		एक वर्ष का व्ययानुमान	:1,61,979·24
		बोनस, नगदीकरण तथा अन्य हेतु 25 प्रतिशत:	: 40,494·00
			:2,02,474·05
		अर्थात	:2,03,000·00

11 दिसम्बर, 1986 की मीटिंग में स्वीकृत पद

कास्टिंग विभाग

1-	डिप्टी कास्ट एकाउन्टेन्ट	1	950-1720	1767·63
2-	सहायक इको0प्लानर	1	950-1720	1767·63
3-	इको0प्लानिंग सहायक	2	570-1100	2362·06
4-	कास्टिंग लिपिक	1	360-620	947·03
5-	लिपिक	1	340-550	706·23
6-	टंकक	1	340-550	706·23
7-	अनुचर	2	305-390	1426·96
			एक माह का व्यय0	9,755·37
			एक वर्ष का व्यय0	1,46,330·55

आर0बी0ओ0 विभाग

1-	गैंगमैन	50	305-390	35925·00
2-	वार्ड अनुचर	15	305-390	10777·50
				46702·50
			25% अन्य हेतु	11775·62
			एक वर्ष का व्यय0	7,00,537·00

भवन अनुरक्षण हेतु

1-	इलेक्ट्रीशियन	3	330-495	2300·49
2-	कारपेन्टर	1	330-495	766·03
3-	[illegible]	1	325-495	755·08
4-	प्लम्बर	2	330-495	1533·66
5-	पेन्टर	1	330-495	766·03
6-	हेल्पर इलेक्ट्रीशियन	3	330-495	2300·49
7-	हेल्पर कारपेन्टर	1	330-495	766·03
8-	जमादार	10	305-390	7105·00
9-	चौकीदार	2	305-390	1437·00
10-	बेलदार	4	305-390	2874·00
			एक माह का व्यय0	20,607·01
				1034·35
			ऐक वर्ष का व्यय0	3,10,305·14

123
134

सम्पत्ति एवं राजस्व विभाग

1-	संयुक्त सचिव	2	1250-2050	7643·00
2-	अतिरिक्त सचिव	1	1700-2300	4063·03
3-	उप सचिव	1	950-1720	3923·00
4-	अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1009·93
5-	सहायक कर अधीक्षक	1	405-960	1297·30
6-	कर निरीक्षक	6	360-620	7565·20
7-	कर संचयक	2	340-550	1994·00
8-	जिलेदार	5	340-550	5950·35
9-	आशुलिपिक	3	420-620	3936·69
10-	प्रवर वर्ग सहायक	6	360-620	0431·53
11-	चपरासी	14	305-390	12227·02

दैनिक वेतन भोगी

1-	लिपिक	34	10/=प्रतिदिन	10972·00
2-	चपरासी	10	12/=प्रतिदिन	3720·00
3-	चौकीदार	1	12/=प्रतिदिन	372·00
4-	स्वीपर	1	12/=प्रतिदिन	372·00

एक माह का व्यायानुमान	82,363·07
अन्य हेतु 25%	20,390·96
एक वर्ष का व्यायानुमान	12,35,457·90
अर्थात रूपया 12,35,000·00	

सम्पत्ति विभाग रू0 8,24,000·00
राजस्व विभाग रू0 4,11,000·00
रू0 12,35,000·00

रेन्ट विभाग

1-	सहायक नगर अधिकारी	1	850-1720	2212·63
2-	कर अधीक्षक	1	570-1100	1909·03
3-	सहायक कर अधीक्षक	1	405-860	1300·00
4-	अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1332·00
5-	प्रवर वर्ग सहायक	3	360-620	3979·94
6-	अवर वर्ग सहायक	2	340-550	1900·46
7-	कर निरीक्षक	1	360-620	994·93
8-	कर संचयक	2	340-550	1907·46
9-	अनुचर	3	305-390	2020·39

दैनिक वेतन भोगी

1-	लिपिक	3	10/=प्रतिदिन	1674·00
2-	अनुचर	2	12/=प्रतिदिन	744·00

एक माह का व्ययानुमान	20,079·64
अन्य हेतु 25%	5,219·91
एक वर्ष का व्ययानुमान	3,13,194·60
अर्थात रू0 3,13,000·00	

नजुल विभाग

1-	नजूल अधिकारी	1	850-1720	2916·50
2-	अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1752·60
3-	प्रवर वर्ग सहायक	4	360-620	4070·20
4-	अवर वर्ग सहायक	8	340-550	7742·40
5-	अमीन	4	340-550	4079·50
7-	अनुचर	6	305-390	5040·70

दैनिक वेतन भोगी

1-	लिपिक	1	10/=प्रतिदिन	550·00

एक माह का व्ययानुमान	रू0	27,767·90
एक वर्ष का व्ययानुमान	रू 0	3,35;214·00
अन्य हेतु 25%	रू0	33,303·70
कुल योग	रू0	4,16,510·50

तहसीलदार कार्यालय

1-	तहसीलदार	1	690-1420	2650·05
2-	कानूनगो	1	430-605	1007·00
3-	सर्वेयर	2	340-550	1929·20
4-	सर्वेयर	3	330-495	9142·90
5-	सर्वेयर	1	405-540	1209·60

दैनिक वेतन भोगी

1-	कानूनगो	1	20/=प्रतिदिन	620·00
2-	चैनमैन	10	12/=प्रतिदिन	3720·00
3-	अनुचर	1	12/=प्रतिदिन	372·00

एक माह का व्यायानुमान	रू0	21,611·55
एक वर्ष का व्यायानुमान	रू0	2,59,330·60
अन्य हेतु 25%	रू0	64,834·65
कुल योग	रू0	3,24,173·25 (11)

नजूल कार्यालय + तहसीलदार कार्यालय का महायोग
(1 + 2) रूपया 7,40,691·00
अर्थात रू0 7,40,000·00

विधि विभाग

1-	मुख्य विधि सलाहकार	1	1000-2000	4644·10
2-	विधि सहायक	1	420-735	1502·63
3-	प्रवर वर्ग सहायक	1	360-620	1231·63
4-	अवर वर्ग सहायक	3	340-550	2040·09
5-	अनुचर	3	305-390	2740·69

दैनिक वेतन भोगी

1-	लिपिक	6	10/=प्रतिदिन	3304·00

एक माह का व्यायानुमान	रू0	16,307·94
एक वर्ष का व्यायानुमान	रू0	1,95,695,20
अन्य हेतु 25%	रू0	48,923·82
कुल योग	रू0	2,44,619·10

आर0बी0ओ0 विभाग

1- सहायक अभियन्ता	3	850-1720	6871·09
2- अवर अभियन्ता	12	405-860	16061·76
3- प्रवर वर्ग सहायक	3	360-620	3561·79
4- अवर वर्ग सहायक	1	340-550	1145·03
5- अनुचर, गैंगमैन	3	305-390	2451·69

दैनिक वेतन भोगी

1- लिपिक	0	10/=प्रतिदिन	4464·00
2- अनुचर	35	12/=प्रतिदिन	13020·00
		एक माह का व्यायानुमान	47,576·16
		एक वर्ष का व्यायानुमान	5,70,913·92
		अन्य हेतु 25%	1,42,720·40
		रिक्त /स्वीकृत पदों हेतु	1,55,000·00
		कुल योग	0,60,642·00

भवन विभाग

1- सहायक अभियन्ता	3	850-1720	6871·09
2- अवर अभियन्ता	5	405-860	7995·35
3- प्रवर वर्ग सहायक	2	360-620	2402·26
4- अवर वर्ग सहायक	3	340-550	3390·09
5- आशुलिपिक	1	420-735	1103·63
6- अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1491·63
7- ट्रेसर	1	340-550	1133·23
8- सर्वेयर	2	105-226	1090·66
9- अनुचर	5	305-390	4962·75

दैनिक वेतन भोगी

1- लिपिक	5	10/=प्रतिदिन	2790·00
2- अनुचर	2	12/=प्रतिदिन	744·00
		एक माह का व्यायानुमान रू0	34,565·49
		एक वर्ष का व्यायानुमान रू0	4,14,705·00
		अन्य हेतु 25% रू0	1,03,696·47
		कुल योग रू0	5,18,402·35
		अर्थात रू0	5,18,000·00

127
138

उद्यान विभाग

1- उद्यान अधिकारी	1	1100-2050	2360·43
2- अवर वर्ग सहायक	1	340-550	362·73

अलींगज पार्क

1- प्रधान माली	1	315-440	900·10
2- माली	10	305-390	7790·10

विकास पार्क

1- प्रधान माली	1	315-440	963·63
2- माली	9	305-390	0400·53

दैनिक वेतन भोगी

1- गोमती नगर योजना पार्क बेलदार	16	12/=प्रतिदिन	5952·00
2- अलीगंज योजना पार्क बेलदार	22	12/=प्रतिदिन	8184·00
3- कानपुर रोड/ट्रांसपोर्ट नगर बेलदार	5	12/=प्रतिदिन	1860·00
4- आजाद नगर बेलदार	8	12/=प्रतिदिन	2966·00
5- बादशाह नगर पार्क बेलदार	2	12/=प्रतिदिन	744·00
6- मोतीझील पार्क बेलदार	6	12/=प्रतिदिन	2232·00
7- नैपियर एवं चौपटिया पार्क बेलदार	2	12/=प्रतिदिन	744·00
8- विकास भवन पार्क बेलदार	1	12/=प्रतिदिन	372·00
9- विभिन्न पार्क सुपरवाईजर	5	10/=प्रतिदिन	1860·00
10- प्रस्तावित वृक्षारोपणों हेतु बेलदार	50	12/=प्रतिदिन	18600·00
11- वृक्षारोपण हेतु सुपरवाईजर	3	10/=प्रतिदिन	1674·00

एक माह का व्ययानुमान	रू0	66,499·60
एक वर्ष का व्ययानुमान	रू0	7,97,995·20
अन्य हेतु 25%	रू0	1,99,499·00
कुल योग	रू0	9,97,494·00
अर्थात	रू0	9,90,000·00

128
139

नजूल उद्यान

1- प्रधान माली	7	315-440	7145.21
2- माली	55	305-390	46275.75
3- अनुचर	1	305-390	914.03
4- पम्प आपरेटर	1	325-475	765.00

दैनिक वेतन भोगी

1- बेलदार-नीबू पार्क	20	12/=प्रतिदिन	7740.00
2- " गुलाब पार्क	20	12/=प्रतिदिन	7740.00
3- " रूमी पार्क	9	12/=प्रतिदिन	3340.00
4- " बुद्धा पार्क	20	12/=प्रतिदिन	7740.00
5- " हाथी पार्क	13	12/=प्रतिदिन	4036.00
6- " जवाहर यू0केन्द्र	1	12/=प्रतिदिन	372.00
7- " मुखर्जी पार्क	6	12/=प्रतिदिन	2232.00
8- " चन्दर नगर पार्क	8	12/=प्रतिदिन	2966.00
9- " डालीबाग/राज0	5	12/=प्रतिदिन	1060.00
10- " कोनेश्वर पार्क	5	12/=प्रतिदिन	1116.00
11- " शहीद पार्क	5	12/=प्रतिदिन	1116.00
12- " बेगम हजरत महल	1	12/=प्रतिदिन	372.00
13- " आचार्य नरेन्द्र देव	1	12/=प्रतिदिन	372.00
14- " विधानसभा के पीछे	2	12/=प्रतिदिन	744.00
15- " छितवापुर काम्पलेक्स	2	12/=प्रतिदिन	744.00
16- " जी0पी0ओ0पार्किंग	2	12/=प्रतिदिन	744.00
17- पार्कों हेतु सुपरवाईजर	9	10/=प्रतिदिन	5022.00
18- मेट	1	13/=प्रतिदिन	403.00
19- सफाई कर्मचारी	4	12/=प्रतिदिन	1488.00
20- सूरजकुंड पार्क, बेलदार	20	12/=प्रतिदिन	7440.00

एक माह का व्यायानुमान	रू0	1,13,516.67
एक वर्ष का व्यायानुमान	रू0	13,62,200.00
अन्य हेतु 25%	रू0	34,550.00
अतिरिक्त पदों हेतु आशिंक	रू0	17,00,000.00
कुल योग	रू0	34,02,750.00
अर्थात	रू0	34,00,000.00

128
~~133~~

उद्यान विभाग

1-	प्रधान माली	6	315-440	4420·60
2-	सुपरवाईजर	13	315-440	9591·94
3-	मेट	1	315-440	737·00
4-	बेलदार माली	101	305-390	11706·46
5-	सफाई कर्मचारी	10	305-390	7105·00
6-	पम्प आपरेटर	1	315-495	757·10
7-	ड्राईवर	2	330-495	1533·66
8-	अनुचर	2	305-390	1436·96
		एक माह का व्यायानुमान		1,42,607·66
				35,671·90
		एक वर्ष का व्यायानुमान		21,40,314·00

अभियन्त्रण विभाग पार्क हेतु

1-	पम्प आपरेटर	2	315-495	1473·16
2-	मेसन	1	325-495	755·00
3-	मेट	1	315-440	730·50
4-	चौकीदार	50	305-390	35504·00
5-	गेट कीपर	20	305-390	14345·00
6-	हेल्पर बेलदार	10	305-390	7172·00
7-	स्वीपर	10	305-390	7172·00
8-	कैटाल क्लीनर	7	305-390	5597·41
9-	बोट सुपरवाईजर	2	315-440	1473·16
10-	इलेक्ट्रीशियन	4	330-495	1500·00
		एक माह का व्यायानुमान		75,764·67
		एक वर्ष का व्यायानुमान		113647·00

प्राधिकरण के मुख्यालय एवं बाहरी कार्यालय के लिये चौकीदारों के अतिरिक्त पद

1-	चौकीदार	20	305-390	14345·00
2-	ड्राईवर	25	330-495	19130·25
3-	जन सम्पर्क अधिकारी	1	530-940	1229·55
		एक माह का व्यायानुमान		34,703·80
		एक वर्ष का व्यायानुमान		
		अर्थात रू0 4,17,000·00		416563-20

आशिंक प्राविधान रू0 2,07,000·00 (कास्टिंग मद में प्रस्तावित है)

130
145

मुख्य अभियन्ता

1-	मुख्य अभियन्ता	1	1700-2300	3411·23
2-	सहायक अभियन्ता	6	950-1720	13643·00
3-	अवर अभियन्ता	5	405-960	7457·21
4-	आशुलिपिक	1	420-735	1104·93
5-	अवर वर्ग सहायक	2	340-550	1023·36
6-	अनुचर	2	305-390	1960·60

दैनिक वेतन भोगी

1-	लिपिक	3	10/=प्रतिदिन	1674·00
2-	अनुचर	1	12/=प्रतिदिन	372·00

एक माह का व्यायानुमान	रू0	31,455·[illegible]
एक वर्ष का व्यायानुमान	रू0	3,77,460·12
अन्य हेतु 25%	रू0	94,362·03
कुल योग	रू0	4,71,025·15
अर्थात	रू0	4,72,000·00

अभियन्त्रण खण्ड- I

1-	अधिशासी अभियन्ता	1	1100-2050	2616·63
2-	सहायक अभियन्ता	5	950-1720	11342·75
3-	अवर अभियन्ता	14	405-960	26055·00
4-	अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1530·95
5-	अवर वर्ग सहायक	3	340-550	2603·99
6-	लेखा लिपिक	1	360-620	1174·50
7-	ड्राफ्टमैन	1	420-735	1036·93
8-	ट्रेसर	1	340-550	867·23
9-	वर्क ऐजन्ट	1	325-475	1064·20

दैनिक वेतन भोगी

1-	लिपिक	4	10/=प्रतिदिन	2232·00
2-	अनुचर	5	12/=प्रतिदिन	1860·00

एक माह का व्यायानुमान	रू0	52,473·14
एक वर्ष का व्यायानुमान	रू0	6,29,677·60
अन्य हेतु 25%	रू0	1,57,41942
कुल योग	रू0	7,87,097·10
अर्थात	रू0	7,87,000·00

131
141

अभियन्त्रण खण्ड-2

1- अधिशाषी अभियन्ता	1	1100-2050	4,056·00
2- सहायक अभियन्ता	7	950-1720	10,552·72
3- अवर अभियन्ता	10	435-960	24,927·60
4- अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1,657·20
5- ड्राफटमैन	1	420-735	1,065·90
6- अवर वर्ग सहायक	4	340-550	3,704·32
7- ट्रेसर	1	340-550	967·23
8- अनुचर	1	305-390	972·67
		एक माह का व्ययानुमान:	47,904·51

एक वर्ष का व्ययानुमान : 5,75,814·12
अवकाश, नगदीकरण, बोनस
एँव अन्य हेतु: 25 % : 1,47,953·53

: 7,23,767·65
अर्थात :7 ,24,000·00

अभियन्त्रण खण्ड-3

1- अधिशाषी अभियन्ता	1	1100-2050	2,960·43
2- सहायक अभियन्ता	3	950-1720	6,322·09
3- अवर अभियन्ता	11	435-960	13,910·05
4- अवर वर्ग सहायक	6	340-550	4,052·00
5- ट्रेसर	1	340-550	954·57
6- खण्डीय लेखाकार	1		2,004·50
7- अनुचर	4	305-390	3,300·41

दैनिक वेतन भोगी

1- अनुचर	1	12/- प्रतिदिन	372·00
2- चौकीदार	2	12/- प्रतिदिन	744·00
		एक माह का व्ययानुमान:	36,315·05

एक वर्ष का व्ययानुमान : 4,35,792·60
बोनस, नगदीकरण व अन्य
हेतु 25 प्रतिशत :1,00,943·15

:5,44,740·75
अर्थात :5,45,000·00

~~Ms~~ 132

अभियन्त्रण खण्ड-4

1- अधिशाषी अभियन्ता	1	1100-2050	3,100·03
2- सहायक अभियन्ता	4	850-1720	8,690·62
3- अवर अभियन्ता	10	435-860	13,204·54
4- अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1,354·53
5- विभागीय लेखकार	1	400-695	1,277·42
6- लेखा लिपिक	1	360-620	1,144·00
7- प्रवर वर्ग सहायक	1	360-620	1,144·00
8- अवर वर्ग सहायक	2	340-550	1,910·16
9- ड्राफटमैन	1	420-735	1,065·90
10- ट्रेसर	1	340-550	1,112·91
11- अनुचर	2	395-390	1,050·92
दैनिक वेतन भोगी			
12- लिपिक	1	10/- प्रतिदिन	550·00
		एक माह का व्यायानुमन:	36,509·11

एक वर्ष का व्यायानुमान : रु0 4,39,069·32
बोनस, नगदीकरण तथा
अन्य हेतु :रु0 1,09,767·33
रु0 5,40,036·65
अर्थात : रु0 5,49,000·00

133
143

अभियन्त्रण खण्ड-5

अधिशाषी अभियन्ता	1	1100-2050	2,624·63
2- सहायक अभियन्ता	2	850-1720	4,735·66
3- अवर अभियन्ता	11	405-860	15,675·13
4- प्रवर वर्ग सहायक	1	360-620	1,145,63
5- अवर वर्ग सहायक	1	340-550	886·53
6- ट्रेसर	1	340-550	667·23
7- दै0वे0भो0 लिपिक	3	दर 10/- प्र0दि0	1,674·00

एक माह का व्यायानुमान :27,650·81
एक वर्ष का व्यायानुमान:3,31,905·72
बोनस, नगदीकरण तथा
अन्य हेतु 25 प्रतिशत : 82,976·43
:4,14,882·15
अर्थात :4,15,000·00

अभियन्त्रण खण्ड-6

1- अधिशाषी अभियन्ता	1	1100-2050	3,263·43
2- सहायक अभियन्ता	4	850-1720	14,269·02
3- अवर अभियन्ता	15	405-860	17,611·27
4- अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1,609·51
5- अवर वर्ग सहायक	2	340-550	1,311·76
6- ड्राफ्टमैन	1	420-735	1,133·90

एक माह का व्यायानुमान : 39,704·77
एक वर्ष तक व्यायानुमान :4,77,417·24
बोनस, नगदीकरण तथा
अन्य हेतु: :1,19,354·31
:5,96,771·55
अर्थात :5,97,000·00

134
+66

अभियन्त्रण खण्ड-7एंव अन्य

1-	अधिशासी अभियन्ता	1	1100-2050	2819.63
2-	सहायक अभियन्ता	7	850-1720	14951.21
3-	अवर अभियन्ता	13	485-860	16816.02
4-	ड्राफ्ट मैन	2	420-735	2598.08
5-	अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1460.89
6-	अवर वर्ग सहायक	3	340-550	4553.05
7-	प्रवर वर्ग सहायक	3	360-620	3382.65
8-	अमीन	7	340-550	6809.28
9-	ट्रेसर	2	340-550	1892.16
10-	चैन मेन	6	305-390	4340.08
11-	आशुलिपिक	1	420-735	1065.94

दैनिक वेतन भोगी

1-	लिपिक	20	18/=प्रतिदिन	11160.00
2-	अनुचर	3	12/= "	1116.00
3-	ड्राइवर	1	15/= "	465.00

एक माह का व्ययानुमान रू0- 73,430,00

एक वर्ष का व्ययानुमानरू0 - 8,81,160.00
बोनस ,नकदीकरणएंव अन्यहेतु 25% 2,20,290.00

11, 01450.00

अर्थात 11,01,000=00

अभियन्त्रण खण्ड- 8

1-	अधिशासी अभियन्ता	1	1100-2050	3,482.63
2-	सहायक अभियन्ता	3	850-1720	6,452.99
3-	अवर अभियन्ता	14	485-860	19,650.22
4-	अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1,094.93
5-	प्रवर वर्ग सहायक	2	360-620	2,553.76
6-	अवर वर्ग सहायक	1	340-550	973.93
7-	अनुचर	1	305-390	982.67

एक माह का व्ययानुमान रू0 36,534.36

एक वर्ष का व्ययानुमान रू0 4,38,412.32
बोनस, नकदीकरण एंव अन्य हेतु 25% रू0 1,09,603.08

5,48,015.40

अर्थात 5,48,000.00

1	2	3	4	5
	अभियांत्रण खण्ड-9			
1.	अधिशासी अभियंता	1	1100-2050	3,268,43
2.	सहायक अभियंता	5	850-1720	11,141.85
3.	अवर अभियंता	11	485-860	15,221.35
4.	अवर वर्ग सहायक	2	340-550	1,919.76
	दैनिक वेतन भोगी			
1.	लिपिक	4	दर रु0-18/= प्रतिदिन	2,232.00
2.	अनुचर	2	दर रु0-12/= प्रतिदिन	744.00
3.	आशुलिपिक (नियोजित)	1	420-735	1,104.93
				35,632.32
			एक वर्ष का व्ययानुमान	4,27,587.84
			बोनस अवकाश नकदीकरण एवं अन्य हेतु 25 प्रतिशत	1,06,896.96
				5,34,484.80
			अर्थात	5,34,000.00
	अभियांत्रण खण्ड-10			
1.	अधिशासी अभियंता	1	1100-2050	3168.43
2.	सहायक अभियंता	5	850-1720	10675.55
3.	अवर अभियंता	13	485-860	16788 .09
4.	लेखा लिपिक	1	360-620	1179.58
5.	प्रवर वर्ग सहायक	1	360-620	1135.63
6.	अवर वर्ग सहायक	3	340-550	2590.69
7.	ट्रेसर	1	340-550	867.23
8.	सर्वेयर	1	340-550	974.53
	दैनिक वेतन भोगी			
1.	लिपिक	3	18/=प्र0दि0	1674.00
2.	अनुचर	3	12/=प्र0दि0	1116.00
				40169.73
			एक वर्ष का व्ययानुमान	4,82,036.76
			अन्य हेतु 25 प्रतिशत	1,20,509.19
				602545.95
			अर्थात	60,3000.00

136
146

अभियंत्रण खण्ड-11

1. अधिशासी अभियंता	1	1100-2050	2624.63
3.सहासहायक अभियंता	3	850-1720	6112.39
3. अवर अभियंता	9	485-860	12017.91
4. अनुभाग अधिकारी	1	420-735	1272.03
5. ड्राफ्टमैन	1	420-735	1075.98
6- अवर वर्ग सहायक	3	340-550	2635.69
7. ट्रेसर	1	340-550	857.23
8. अनुचर	1	305-390	962.67
दैनिक वेतन भोगी			
1. लिपिक	1	18/=प्र0दि0	558.00
			28,126.53
		एक वर्ष का व्ययानुमान	3,37,518.36
		अन्य हेतु 25 प्रतिशत	84,380.00
			4,21,897.36
		अर्थात	4,22,000.00

अभियंत्रण खण्ड-12

1. अधिशासी अभियंता	1	1100-2050	2383.13
2. सहायक अभियंता	4	850-1720	8377.22
3. अवर अभियंता	12	485-860	15905.03
4. प्रवर वर्ग सहायक	1	360 -620	1218.63
5. अनुचर	1	305-390	976.09
दैनिक वेतन भोगी			
1. लिपिक	2	18/=प्र0दि0	1116.00
2. अवर अभियंता	3	23/=प्र0दि0	2139.00
			32115.15
		एक वर्ष का व्ययानुमान	38 5381.80
		अन्य हेतु 25 प्रतिशत	96345.45
		कुल योग	48 1727.25
		अर्थात	4,81,000.00

अभियन्त्रण स्टोर

1.	सहायक अभियन्ता	1	850-1720	2235.73
2.	अवर अभियन्ता	1	485-860	1583.67
3.	प्रवर वर्ग सहायक	1	360-620	1251.63
4.	अवर वर्ग सहायक	1	340-550	1012.63
5.	अनुचर	3	305-390	2770.01
				8774.67
			एक वर्ष का व्ययानुमान	1,05,284.04
			अन्य हेतु 25 प्रतिशत	26,321.01
			कुल योग	1,31,605.05
			अर्थात	1,32,000.00

नियोजन विभाग

1.	मुख्य नगर नियोजक	1	1720-2300	4417.63
2.	नगर नियोजक	1	1100-2050	3898.63
3.	वास्तुविद्	1	1100-2050	3152.63
4.	सहायक वास्तुविद्	3	850-1720	8041.89
5.	लैंड स्केप	1	850-1720	2167.63
6.	आर्थिक्स प्लानिंग सहा०	2	570-1100	2930.26
7.	ड्राफ्टमैन	7	420-735	7540.41
8.	अवर वर्ग सहायक	1	340-550	1006.63
9.	अनुचर	6	305-390	5555.78
10.	कान्ट्रेक्ट बेसिस पर दैनिक वेतन भोगी	15		16000.00
1.	लिपिक	2	18/=प्रतिदिन	1116.00
2.	अनुचर	4	12/= प्रतिदिन	1488.00
3.	ब्लू प्रिन्टर	1	15/=प्रतिदिन	465.00
				57780.49
			एक वर्ष का व्ययानुमान	6,93,365.88
			अन्य हेतु 25 प्रतिशत	1,73,441.47
			कुल योग	8,66,707.35
			रिक्त/स्वीकृत पदों का आंशिक प्रस्ताव	99,000.00
				9,65,707.35
			अर्थात	9,66,000.00

138
~~149~~

नियोजन विभाग मास्टर प्लान

1.	सहायक नगर नियोजक	1	850-1720	1918.63
2.	आर्च कम प्लानिंग सहा०	2	570-1100	2564.46
3.	फिजिकल सर्वे सहायक	3	485-800	2438.04
4.	आशुलिपिक	1	420-735	987.23
5.	ड्राफटमैन	2	420-735	1974.46
6.	अवर वर्ग सहायक	1	340-550	817.83
7.	ब्लू प्रिन्टर	1	315-420	739.58
8.	अनुचर	1	305-390	730.28
				12170.51
	एक वर्ष का व्ययानुमान			146046.12
	अन्य हेतु 25 प्रतिशत			36511.53
	कुल योग			182557.65
			अर्थात	1,83,000.00

139
148

पार्कों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

गौतम बुद्धा पार्क				
1.	शिफ्ट इन्चार्ज	2	18/=प्र०दि०	1116.00
2.	सहायक शिफ्ट इंचार्ज	1	18/=प्र०दि०	558.00
3.	बुकिंग क्लर्क	5	18/=प्र०दि०	2790.00
4.	बोट सुपरवाईजर	2	18/=प्र०दि०	1116.00
5.	पम्प आपरेटर	1	15/=प्र०दि०	465.00
6.	चतुर्थ श्रेणी	44	12/=प्र०दि०	16368.00
हाथी पार्क				
1.	शिफ्ट इन्चार्ज	2	18/=प्र०दि०	1116.00
2.	बुकिंग क्लर्क	4	18/=प्र०दि०	2232.00
3.	चतुर्थ श्रेणी	17	12/=प्र०दि०	6324.00
नजूल पार्क				
1.	शिफ्ट इन्चार्ज	3	18/=प्र०दि०	1674.00
2.	पम्प आपरेटर	1	15/=प्र०दि०	465.00
3.	चतुर्थ श्रेणी	27	12/=प्र०दि०	10044.00
रेजीडेन्सी पार्क				
1.	शिफ्ट इन्चार्ज	1	18/=प्र०दि०	558.00
2.	बुकिंग क्लर्क	2	18/=प्र०दि०	1116.00
3.	चतुर्थ श्रेणी	4	12/=प्र०दि०	4836.00
गुलाब पार्क				
1.	शिफ्ट इन्चार्ज	1	18/=प्र०दि०	558.00
2.	चतुर्थ श्रेणी	4	12/=प्र०दि०	1448.00
आचार्य नरेन्द्र देव पार्क				
1.	चौकीदार	3	12/=प्र०दि०	1116.00
जमुना झील				
1.	चौकीदार	2	12/=प्र०दि०	744.00
रूमी पार्क				
1.	चौकीदार	2	12/=प्र०दि०	744.00
2.	बुकिंग क्लर्क(खेलाड़ी)	1	18/=प्र०दि०	558.00
3.	चौकीदार(सूरज कुंडपार्क)	3	12/=प्र०दि०	1116.00
4.	चौकीदार(गवर्नर हाउस	2	12/=प्र०दि०	744.00
नींबू पार्क				
1.	शिफ्ट इन्चार्ज	2	18/=प्र०दि०	1116.00
2.	बुकिंग क्लर्क	4	18/=प्र०दि०	2232.00
3.	पम्प आपरेटर	1	15/=प्र०दि०	465.00
4.	चतुर्थ श्रेणी	25	12/=प्र०दि०	9300.00
5.	टैंकर ड्राईवर	1	15/=प्र०दि०	465.00
6.	ट्रैक्टर ड्राईवर	1	15/=प्र०दि०	465.00
				71809.00
	उपरोक्त स्टोकअप	एक वर्ष का व्यापुमान		862568.00
	अ विधान अनु 11(अ)	अन्य हेतु 25 प्रतिशत		215667.00
	पार्कों निरस्त रद्दोबदल में लिया गया।			1078335.00

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक
28 मार्च, 1987 का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1-	श्री बृजेश कुमार	अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री अखण्ड प्रताप सिँह	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवँ नगर विकास विभाग, लखानऊ ।
3-	श्री नरेश दयाल	ज़िलाधिकारी, लखानऊ ।
4-	श्री गोविन्दन नायर	उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।
5-	श्री कुँवर फतेह बहादुर	सँयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवँ नगर विकास विभाग ।
6-	श्री जे0 पी0 भार्गव	मुख्य ग्राम एवँ नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश के स्थान पर ।
7-	श्री डी0 पी0 सिँहाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम ।
8-	डा0 वी0एन0खान्ना	सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
9-	श्री राम नगीना सिँह	सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
10-	श्रीमती उमा त्रिपाठी	सदस्या, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।

x=x=x=x=x=x=x=x

अन्य उपस्थित:

श्री शैलेश कृष्ण	सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।

x=x=x=x=x=x=x=x

विषाय सँख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 12 जनवरी, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 12 जनवरी, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया ।

विषाय सँख्या: 2

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 11 दिसम्बर, 1986 की अनुपालन आख्या ।

निर्णय :

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 11-12-1986 की अनुपालन आख्या के क्रम सँख्या: 4, विषाय सँख्या: 8 जो श्री जीवेन्द्र-नाथ कौल के सम्बन्धा में है, में यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण लेगें । इसके अतिरिक्त अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

क्रमश: ——— 2

विषय संख्या: 3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या: 4 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्ययक 1987-88 पर विचार ।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मूल बजट निम्न संशोधनों के साथ पारित किया जाता है :-

(1) भूमि अर्जन हेतु शासकीय ऋण की धनराशि रू0 1.50 करोड़ के बजाये 6.50 करोड़ कर दी जाये । तदनुसार भूमि अर्जन पर व्यय रू0 15.00 करोड़ से 20.00 करोड़ कर दिया जाये । इस आधार पर मूल बजट रू0 71,94,63,000/- आय-व्यय का पारित किया गया ।

विषय संख्या: 5 — श्री यदुनाथ सिंह की भूमि के बदले विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 6 — अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय संख्या: 7 — कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (फेज-3), पार्ट-2 के अन्तर्गत हडको से भूमि अर्जन हेतु रू0 383.69 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 8 — कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (फेज-1), पार्ट-1 के अन्तर्गत हडको से अर्जन हेतु रू0 183.80 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 9 — उजरियाँव आवासीय योजना (फेज-1) पार्ट-1 के अन्तर्गत हडको से भूमि अर्जन हेतु रू0 490.00 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

क्रमशः———3

विषय संख्या: 10 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित की गई भूमि में ग्रीन-बेल्ट का उपयोग तथा ऐसी भूमि का उपयोग जिसपर योजना पूर्ण रूप से लागू होने में कुछ समय लगने की सम्भावना हो ।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव निम्नांकित संशोधनों के साथ पारित किया गया :-

(1) लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास ग्रीन-बेल्ट हेतु जो भूमि वर्तमान योजनाओं में उपलब्ध है उसमें अधिक से अधिक क्षेत्र में यूकलिप्टस के अतिरिक्त अन्य वृक्षों का आरोपण किया जाये और प्राथमिकता के आधार पर वन विभाग को यदि सम्भव हो सके तो यह भूमि दे दी जाये । इस ग्रीन-बेल्ट में वृक्षारोपड़ हेतु जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत वह धन उपलब्ध करा देंगे ।

(2) एजेन्सीज़ एवं संस्थाओं के चयन हेतु उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1- श्री राम नगीना सिंह, सदस्य
2- डा0 वी0एन0खान्ना, सदस्य
3- श्री एन0एस0जौहरी, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उत्तर प्रदेश ।

विषय संख्या: 11 — श्री विलायती राम गुप्ता को मोतीझील योजना में आवन्टित भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तित करके क़ब्ज़ा देने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि श्री विलायती राम गुप्ता को उसी दर पर वर्तमान भूमि उपलब्ध करा दी जाये । और शासन को भू-उपयोग परिवर्तन के लिये प्रस्ताव भेज दिया जाये ।

विषय संख्या: 12 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स (पी0बी0एक्स) को अन्य विभागों की भाँति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नियमित टेलीफोन आपरेटर्स को रू0 50/- प्रतिमाह भत्ता दे दिया जाये । यह भत्ता अप्रैल, 1987 से देय होगा ।

क्रमशः ———4

विषय संख्या: 13 — वर्ष 1975 से पूर्व महानगर तथा निरालानगर में आवन्टित आवासीय भूखण्डों पर लेवी-शुल्क कम करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लेवी-शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन न किया जाये परन्तु समस्त स्कीमों के क्षेत्र में भूखण्डों के आवन्टी यदि दिसम्बर, 1987 तक भवन चित्र स्वीकृत करा लेते हैं तो उन्हे लेवी-शुल्क में 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान कर दी जाये। और स्वीकृत निर्धारित अवधि में यदि कोई आवन्टी निर्माण नहीं कराता है तो विकास प्राधिकरण उसपर रि-इन्ट्री कर ले ।

विषय संख्या: 14 — नवल किशोर रोड, हज़रतगंज, लखनऊ पर स्थित नजूल भूमि (खासरा संख्या:163 भाग) का लखनऊ महायोजना में व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन ।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये ।

विषय संख्या: 15 — लखनऊ नगर में बिल्ट-अप एरिया में व्यवसायिक/कार्यालय क्षेत्र में निर्मित भवन में विस्तार या परिवर्तन एवं परिवर्धन का निर्माण कार्य स्वीकृत करते समय आवश्यक पार्किंग उपलब्ध न होने की दशा में पार्किंग चार्जेज़ लेकर सामुदायिक पार्किंग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेज दिया जाये ।

विषय संख्या: 16 — उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 के 22 विधान सभा मार्ग पर स्थित कार्यालय परिसर का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करके के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अधिकतम 35 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज तथा 200 एफ0ए0आर0 के साथ अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित कर दिया जाये ।

क्रमशः-----5

विषय संख्या: 17	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6 हेतु 904.16 एकड़ भूमि का अर्जन ।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।
विषय संख्या: 18	आर0 टी0 ओ0 काम्पलेक्स के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विषय स्थगित किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि विषय आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
विषय संख्या: 19	जनपथ मार्केट में निर्मित दुकानों को विस्थापितों को बिक्रय किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

हस्ताक्षर
गोविन्दन नायर
(गोविन्दन नायर)
उपाध्यक्ष

हस्ताक्षर
शैलेश कृष्ण
(शैलेश कृष्ण)
सचिव

अ नु मो दि त
==========

ह/- वृजेश कुमार

(वृजेश कुमार)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ